

उत्तर मध्य रेलवे
आगरा मंडल

स्टेशन संचालन नियम
संख्या आगरा/68

जारी करने की तारीख
लागू होने की तारीख

राधाकुण्ड (बी.जी)

नोट:-स्टेशन संचालन नियमों को सामान्य एवं सहायक नियमावली तथा ब्लाक संचालन नियमावली के साथ-साथ पढ़ा जाना चाहिए। ये नियम किसी भी दशा में उपरोक्त पुस्तकों के किसी भी नियम का अतिक्रमण नहीं करते हैं जिसकी एक प्रति कार्यरत स्टेशन मास्टर के पास हर समय उपलब्ध रहेगी। शुद्धि पत्र संख्या.आगरा/68/क स्टेशन संचालन नियम में समायोजित कर दी गई है।

1. स्टेशन संचालन नियम आरेख

स्टेशन संचालन नियम आरेख संख्या एस.आई-1402/सी दिनांक 25.04.2019 जो सिगनल एवं इन्टरलॉकिंग प्लान संख्या एस.आई-1402/सी संशोधित दिनांक 16.04.2019 पर आधारित है। ट्रैक एकमोडेशन स्टेशन संचालन नियम आरेख में दर्शाया गया है।

2. स्टेशन का विवरण

राधाकुण्ड स्टेशन 'बी' श्रेणी का स्टेशन है। अन्तर्पार्शन स्टेशन-॥ (आर) की व्यवस्था है, बहुसंकेती कलर लाइट सिगनलों के साथ सुसज्जित है तथा बीडीयू स्टेशन मास्टर कार्यालय में लगाये गये हैं।

2.1 सामान्य स्थिति

राधाकुण्ड स्टेशन एक "बी" श्रेणी स्टेशन जो अलवर-मथुरा इकहरी लाइन पर विधुतिकृत बीजी खण्ड ई-रूट का स्टेशन है यह छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से 1415.83 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

2.2 ब्लाक स्टेशन आईबीएच, आईबीएस किसी भी दिशा और उनकी दूरियाँ और आउटलेइंग साइडिंग:

राधाकुण्ड स्टेशन मोरा स्टेशन के पूर्वी तरफ 07.23 किमी. की दूरी पर और गोवर्धन स्टेशन से पश्चिमी तरफ 8.940 किमी की दूरी पर स्थित है।

2.2.1 ब्लॉक खण्ड के बीच 'डी' और 'डीके' श्रेणी स्टेशन यदि कोई हो:-

- कोई नहीं -

2.3 विभिन्न मार्गों पर स्टेशन के दोनों ओर की ब्लॉक खण्ड सीमाएं:-

स्टेशनों के मध्य	स्थान जहाँ से ब्लॉक खण्ड प्रारम्भ होता है	स्थान जहाँ से ब्लॉक खण्ड समाप्त होता है
राधाकुण्ड-मोरा	राधाकुण्ड के अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल नं. 1	मोरा के डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल नं. 20
राधाकुण्ड-गोवर्धन	राधाकुण्ड का डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल नं. 20	गोवर्धन का अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल नं. एस-1

(के.जी गोस्वामी)

वरि.मं. परि. प्र./सा.एवं को./आगरा

(योगेश मित्तल)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

2.4 ढलान यदि कोई हो:-

मथुरा की तरफ से राधाकुण्ड स्टेशन पर स्टेशन सीमा 890 मंटे 1 का कि.मी. 1412.50 से कि.मी. 1413.80 तक चढ़ता हुआ ढलान है और 1130 में 1 का कि.मी. 1413.80 से कि.मी. 1415.83 तक गिरता हुआ ढलान है, और कि.मी. 1416.95 तक समतल और फिर 275 में 1 का कि.मी. 1416.95 से कि.मी. 1417.50 तक गिरता हुआ ढलान है और कि.मी. 1417.60 तक समतल और 425 में 1 का कि.मी. 1417.60 में 1418.23 तक अलवर की तरफ गिरता हुआ ढलान है।

2.5 ले-आउट:-

अभिन्यास में 03 लाइनों शामिल हैं। लाइन संख्या 1 (अप व डाउन लूप), लाइन नं. 2 (अप व डाउन मुख्य लाइन), लाइन नं. 3 (अप व डाउन लूप लाइन), लूप लाइन नं. 1 व 3 में 120 मी. लम्बी डेड एण्ड दोनों तरफ है (लोड स्टेबिल करने के लिये नहीं) और यहाँ पर रेल लेवल प्लेटफार्म है यह साइडिंग गाड़ियों के आगमन के लिये सिगनल ओवरलैप हेतु हमेशा खाली रखी जायेगी।

2.5.1 चालू लाइने, संचालन की दिशा और सीएसआर में वहन क्षमता:-

परिचालित लाइन संख्या	सीएसएल	मीटर में टिप्पणी
लाइन संख्या-1	780 मीटर	प्लेटफार्म लाइन (अप व डाउन लूप लाइन)
लाइन संख्या-2	739 मीटर	अप व डाउन मेन लाइन
लाइन संख्या-3	780 मीटर	प्लेटफार्म लाइन (अप व डाउन लूप लाइन)

2.5.2 गैर चालू लाइने संचालन की दिशा और उनकी धारण क्षमता:- - कोई नहीं -

2.5.3 चालू लाइने संचालन की दिशा और उनकी धारण क्षमता:-

(क) लाइन नं. 1 (प्रथम लूप लाइन)

लाइन नं. 1 (अप व डाउन लूप) प्लेटफार्म एवं ट्रैक सर्किटेड युक्त लाइन है तथा अप एवं डाउन गाड़ियों के आगमन एवं प्रस्थान हेतु सिगनलों की व्यवस्था की गई है। लाइन की क्लीयर स्टैडिंग लम्बाई 780 मीटर है।

(ख) लाइन नं. 2 (मुख्य लाइन):-

लाइन नं. 2 (मुख्य लाइन) ट्रैक सर्किटेड युक्त लाइन है अप व डाउन गाड़ियों के आगमन एवं प्रस्थान हेतु सिगनलों की व्यवस्था की गई है। लाइन की क्लीयर स्टैडिंग लम्बाई 739 मीटर है।

(ग) लाइन नं. 3 (द्वितीय लूप):-

लाइन नं. 3 (अप व डाउन लूप) प्लेटफार्म एवं ट्रैक सर्किटेड युक्त लाइन है तथा अप एवं डाउन गाड़ियों के आगमन एवं प्रस्थान हेतु सिगनलों की व्यवस्था की गई है। लाइन की क्लीयर स्टैडिंग लम्बाई 780 मीटर है।


(के.जी गोस्वामी)

वरि.मं. परि. प्र./सा.एवं को./आगरा


(योगेश मित्तल)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

(घ) ओवर रन लाइन:-

लाइन नं. 1 व लाइन नं. 3 (अप व डाउन लूप लाइन) के मथुरा सिरे और अलवर सिरे का विस्तारित भाग है एवं डैड एण्ड का प्रावधान है। लाइन नं. 1 एवं लाइन नं. 3 पर गाड़ी के आगमन हेतु पर्याप्त दूरी के लिये साफ रखा जाना आवश्यक है और यह सिग्नल ओवर लैप माना गया है।

2.5.4 ले-आउट में कोई मुख्य विशेषता: - कोई नहीं।

2.6 समपार

फाटक संख्या	14	17
वर्गीकरण	टैफिक सी	इंजी सी
खंड	राधाकुण्ड -मोरा	राधाकुण्ड -गोवर्धन
एमजी/बीजी	बीजी	बीजी
किलोमीटर	1415/3-4	1418/9-10
अन्तर्पार्शित /गैर अन्तर्पार्शित	अन्तर्पार्शित	गैर अन्तर्पार्शित
सामान्य स्थिति	खुला	बंद
लीब्स /एल.बी	पावर लिफ्टिंग बैरियर स्लाइडिंग बूम के साथ	लिफ्टिंग बैरियर
दूर संचार से जुड़े	स्टेशन मास्टर राधाकुण्ड	स्टेशन मास्टर राधाकुण्ड
द्वारा संचालित	गेटमैन टैफिक	गेटमैन इंजी

नोट:- समपार फाटको के संचालन से सम्बन्धित विस्तृत अनुदेशों के लिये परिशिष्ट "क" देखें

3. संचालन की पद्धति एवं साधन:

संचालन की पद्धति:-

3.1 कार्य प्रणाली का लागू होना:-

संचालन के साधन:-

- राधाकुण्ड और गोवर्धन स्टेशन के बीच गाड़ियों के संचालन के लिए स्टेशन मास्टर कार्यालय में स्टेशन से स्टेशन टेलिफोन के साथ डयूल डिजिटल एक्सल काउंटर के साथ सिंगल लाइन ब्लॉक प्रूविंग एक्सल काउंटर ब्लॉक उपकरण स्थापित किये गये हैं।
- प्रचालन और चाबी की अभिरक्षा के लिए ड्यूटी वाला स्टेशन मास्टर जिम्मेदार है।

3.4 चाबियों को सुरक्षित करना:-

3.4.1 स्टेशन मास्टर निम्न चाबियों के लिये व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखने के लिये जिम्मेदार होगा और जब भी किसी को चाबी देगा तो सम्बन्धित प्रपत्र पर हस्ताक्षर प्राप्त करेगा।

- पासवर्ड कार्यरत स्टेशन मास्टर के द्वारा प्रयोग किया जायेगा।
- ब्लॉक यन्त्र की स्टेशन मास्टर चाबी
- आक्यूपेशन चाबी
- रिले रूम की चाबी
- क्रैक हैण्डल बाक्स की चाबी
- बी.पी.ए.सी. एक्सल काउंटर की रिसैटिंग चाबी

(के.जी गोस्वामी)

वरि.मं. परि. प्र./सा.एवं को./आगरा

(योगेश मिश्र)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

4. सिगनल और अन्तर्पार्शन की प्रणाली

- (i) मानक II R अन्तर्पार्शन का मानक है।
- (ii) राधाकुण्ड स्टेशन हाथ से संचालित बहुसंकेती रंगीन रोशनी वाले सिगनलों में सुसज्जित है। कॉटो और सिगनलों का संचालन वी.डी.यू. द्वारा किया जाता है। कॉटो तथा सिगनलों के बीच इण्टरलॉकिंग एम.एम.आई. (मॉलिड स्टेट इण्टरलॉकिंग) के द्वारा वी.डी.यू. पर कमांड देने से प्राप्त होती है।
- (iii) वी.डी.यू. पर उपलब्ध स्टेशन संचालन नियम डायग्राम के अनुसार ट्रैक सर्किट और उनके संकेत उपलब्ध है।
- (iv) डायग्राम पर कॉटो के संकेत उपलब्ध है इनके नार्मल तथा रिवर्स स्थिति का संकेत वी.डी.यू. पैनल पर मिलता है।
- (v) एम.एम.आई. (मॉलिड स्टेट इण्टरलॉकिंग) इस स्टेशन पर उपलब्ध है। वी.डी.यू. स्टे.मा. कार्यालय में स्थापित है। सभी कॉट व सिगनल वी.डी.यू. से कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा परिचालित होते हैं।
- (vi) कॉलिंग ऑन सिगनल डाउन होम सिगनल नं. एम-2 और अप होम सिगनल नं. एम-19 के नीचे स्थापित है।
- (vii) राधाकुण्ड-गोवर्धन और राधाकुण्ड-मोरा के मध्य ब्लॉक सैक्शन साफ (क्लियर) करने के लिये डबल डिजिटल एक्सल काउंटर डाउन होम सिगनल और अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल और डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल और अप होम सिगनल के पास स्थापित है।
- (viii) मोटर प्वाइंट के हस्त संचालन हेतु क्रैक हैण्डिल की व्यवस्था सम्बन्धित प्वाइंट के पास की गई है। लोकेशन बॉक्स की चाबी स्टेशन मास्टर की व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखी जायेगी। विस्तृत जानकारी परिशिष्ट "ख" में दी गई है। वीडियू स्टेशन मास्टर कार्यालय में दिये गये हैं। रिले द्वारा विद्युत रूट के साथ कॉटो और सिगनल का अंतर्पार्शन एवं व्यक्तिगत संचालन के साथ वीडियू पैनल पर भी प्रदर्शित होता है। कॉटो की सैटिंग, रूट, ट्रैक सर्किट का घिरा होना तथा सिगनलों के संकेत वीडियू पर प्रदर्शित होते हैं।

4.1.1 टैप्स:- कोई नहीं -

नोट:-ओवर रन लाइन में निकाली गई लाइन नं. 1 और 3 का प्रयोग लोडिंग अनलोडिंग तथा वाहनों के स्टेविलिंग के मनाही है।

4.1.2 माइक्रोलोक इंडीकेटर प्रणाली:- परिशिष्ट "बी" देखे

4.2 स्टेशन मास्टर और एस एण्ड टी स्टाफ के मध्य रिले रूम चाबी की अभिरक्षा और उसको लेने व देने का तरीका:-

जब मरम्मत/फेलियर के लिये रिले रूम खोलना आवश्यक हो तो निम्न तरीका अपनाया जायेगा।

- (1) रिले रूम को डबल तालों से लॉक किया जायेगा। एक ताला स्टे. मा. द्वारा तथा दूसरा ताला अधिकृत एस एण्ड टी स्टाफ के द्वारा लगाया जायेगा। स्टे.मा. के पैडलॉक की चाबी झूटी पर कार्यरत स्टे.मा. के पास रहेगी और जब आवश्यक हो तो अधिकृत एस एण्ड टी स्टाफ को दी जायेगी।
- (2) जब रिले रूम की चाबी एस एण्ड टी स्टाफ के पास हो तो उस समय सम्बन्धित स्टेशन स्टाफ द्वारा गाड़ियों के संचालन के सम्बन्ध में पूर्व सूचना एस एण्ड टी स्टाफ को दी जायेगी।
- (3) एस एण्ड टी स्टाफ जब रिले रूम में मरम्मत कार्य/निरीक्षण इत्यादि करेगा तो यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी अशुभित कार्यवाही न होने पाये इसके लिये एस एण्ड टी स्टाफ स्वयं उत्तरदायी होगा।


(के.जी गोस्वामी)

वरि.मं. परि. प्र./सा. एवं को./आगरा


(योगेश मिश्र)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

- (4) जब रिले रूम की चाबी एस एण्ड टी स्टाफ को दी गयी हो उस समय सिगनल/एस एण्ड टी गेयर के किसी भी खराबी के लिये स्टे. मा. को अतिरिक्त सतर्क रहना होगा। किसी भी एस एण्ड टी गेयर की विफलता के मामले में निर्देशित नियमों का, कॉटो/सिगनलों के विफलता के समय, गाड़ियों के आगमन/प्रस्थान के लिये कड़ाई से पालन करना होगा।
- (5) सिगनल विभाग के रेलवे कर्मचारी से जब रिले रूम की चाबी वापस प्राप्त हो जाती है तो झूटी पर स्टेशन मास्टर स्वयं सुनिश्चित करेगा कि रिले रूम सही लॉक किया गया है।

4.3 विद्युत सप्लाई:-

- (क) सिगनलिंग के लिये विद्युत सप्लाई के साधन इस प्रकार हैं:-

- ए.टी सप्लाई
- लोकल सप्लाई (यू.पी.पी.सी.एल.)
- डीजल जनरेटर सप्लाई
- इन्टीग्रेटेड पावर सप्लाई
- इस स्टेशन पर सिगनलिंग पद्धति और पैनल के लिये पावर सप्लाई साधारण सप्लाई संकेत द्वारा नियंत्रित पैनल पर डालते हुये बल्ब द्वारा "एन" संकेतों के साथ उपलब्ध है। जब भी ए.टी सप्लाई एबम् यू.पी.पी.सी.एल. सप्लाई दोनों सिगनलिंग लोड के लिये विफल होती है तो उसे एकीकरण पावर सप्लाई पर स्विच द्वारा बदल देगे और परिचालन स्टाफ द्वारा जनरेटर को चालू किया जायेगा। यदि यू.पी.पी.सी.एल. सप्लाई दो घंटे से अधिक विफल होती है तो दूसरे जनरेटर को चालू (स्टार्ट) कर दिया जायेगा और पहले वाले को बंद कर दिया जायेगा। एक जनरेटर केवल दो घंटे तक लगातार चालू रह सकता है। इन पावर सप्लाई की उपलब्धता का इंडीकेशन स्टेशन मास्टर कार्यालय में लगे हुये ऑटोमेटिक/मैनुअली चैन्ज ओवर पावर पैनल पर लगा दिया गया है।

- (ख) पावर सप्लाई की विफलता:- कृपया परिशिष्ट "बी" में देखें।

5. संचार साधन:-

गाड़ी संचालन तथा अन्य कार्यों के लिये दूरसंचार सुविधाये नीचे दी गई है सभी स्टेशन कर्मचारी को आपातस्थिति में टेलीफोन को तुरन्त कॉल अटेण्ड करना चाहिए क्योंकि की कोई भी कॉल आपातकाल की सूचना हो सकती है।

राधाकुण्ड स्टेशन पर उपलब्ध संचार साधन सुविधायें निम्न है।

- ब्लॉक यंत्र के साथ लगा ब्लॉक टेलीफोन।
- मैक्शन कंट्रोल फोन।
- ऑटो/डॉट टेलीफोन- बी.एस.एन.एल. टेलीफोन।
- केबिन/गेट के साथ मैगनिटो टेलीफोन-गेट के साथ टेलीफोन उपलब्ध है।
- आई बी एस किमी पर आई बी एस टेलीफोन-उपलब्ध नहीं है।
- एक्सल काउंटर रीमैट वाक्स के साथ टेलीफोन-उपलब्ध नहीं है।
- यार्ड के लिये संचार साधन - उपलब्ध नहीं है।
- बी एच एफ सैट।
- मोबाइल गाड़ी रेडियो संचार साधन (एमटीआरसी) उपलब्ध नहीं है।
- रेलवे ऑटो फोन

जब ऊपर दिये गये किसी भी साधन से लाइन क्लीयर प्राप्त नहीं होता है तो सामान्य एवं सहायक नियमावली के सामान्य नियम 6.02/03 और 6.02/4 में दिये गये तरीको के अनुसार गाड़ियों का संचालन होगा।

(परिशिष्ट "बी" पैरा क्रमांक 18 और 19 में कार्य करने का विवरण दिया गया है)



(के.जी गोस्वामी)

वरि.मं. परि. प्र./सा.एवं को./आगरा



(योगेश मित्तल)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

6. गाड़ियों के संचालन की पद्धति:-

इस स्टेशन पर गाड़ियों का संचालन पूर्ण ब्लॉक पद्धति के अनुसार किया जायेगा।

6.1 गाड़ी संचालन स्टाफ की ड्यूटियाँ:-

गाड़ी संचालन स्टाफ की ड्यूटियों के लिये परिशिष्ट "डी" देखें।

6.1.1 प्रत्येक शिफ्ट में गाड़ियों संचालन स्टाफ:-

(i)	कार्यरत स्टेशन मास्टर	-	1 (रोस्टर के अनुसार)
(ii)	स्टे.मा./सहा.स्टे.मा. (पैनल संचालक)	-	1 (रोस्टर के अनुसार)
(iii)	कॉट वाला	-	2 (रोस्टर के अनुसार)
(iv)	गेटमैन	-	1 (12घण्टे की शिफ्ट में)

नोट:- मण्डल रेल प्रबन्धक/उ.म.रे./आगरा द्वारा समय-समय पर रोस्टर जारी किया जाता है यह रोस्टर ऐसी जगह प्रदर्शित किया जायेगा जहाँ कर्मचारी सुविधानुसार देख सकें।

6.1.2 लाइन की क्लीयरेंस सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायित्व तथा उत्तरदायित्व के क्षेत्र:-

सामान्य कार्य के समय ड्यूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर सुनिश्चित करेगा कि सभी गाड़ियों के आगमन/प्रस्थान के लिये लाइन सम्बन्धित दिशा के होम सिगनल से अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक वीडियू पर ट्रैक सर्किट के संकेतक द्वारा साफ हो।

ट्रैक सर्किट के फेल हो जाने पर या असामान्य परिस्थिति में ड्यूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहा.स्टे.मा. का उत्तरदायित्व है कि वह स्वयं सुनिश्चित करे कि सम्बन्धित होम सिगनल से अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक लाइन साफ है।

6.1.3 आश्वासन रजिस्टर में कर्मचारियों का आश्वासन लेना:-

गाड़ी पास करने वाले सभी स्टाफ जिनकी स्टेशन पर नई नियुक्ति हुई है या स्टेशन पर छुट्टी देने वाला स्टाफ या स्थिर स्टाफ जिन्होंने 15 दिनों से ज्यादा अनुपस्थित होने के बाद ड्यूटी पर आये हैं।

स्टेशन संचालन नियम में लागू नियमों के अनुसार आश्वासन रजिस्टर में आश्वासन देना चाहिए एवं हस्ताक्षर करने होंगे।

6.2 लाइन क्लीयर देने की शर्तें:

(क) लाइन तब तक साफ नहीं मानी जायेगी और गाड़ी को लाइन क्लीयर ड्यूटी वाले स्टेशन मास्टर द्वारा तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि:-

- ठीक पहले आने वाली गाड़ी पूरी आ चुकी हो।
- उक्त गाड़ी के पीछे के सभी आवश्यक सिगनल फिर से 'ऑन' स्थिति में कर दिये गये हो, तथा
- लाइन, आने वाली सम्भावित गाड़ी के निकटस्थ सिरे के स्टेशन के अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ हो, अर्थात् अप गाड़ी के लिए डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल नं. 20 तक अथवा डाउन गाड़ी के लिए अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल नं. 01 तक' साफ हो साधारण नियम 8.01 (1) तथा 8.03।

(ख) ड्यूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर लाइन क्लीयर देने से पहले आगमन सिरे के स्टेशन से इस बात का आश्वासन ले लेंगे कि आगमन अनुमति देने की शर्तें पूरी कर ली गई हो।

(के.जी.गोस्वामी)

वरि.मं. परि. प्र./सा.एवं को./आगरा

(योगेश मित्तल)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

6.2.1 गाड़ी के स्टेशन पर आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली अन्य विशेष शर्तें:-

कुछ नहीं

6.2.1.1 ब्लॉक लाइन के विरुद्ध कॉटो को अन्य लाइन के लिये सैट करना:-

जब कोई चालू लाइन किसी गाड़ी, डिब्बा या वैगन से या क्रांसिंग के लिये या दूसरी गाड़ी को प्राथमिकता देने के लिये या स्टेशन पर तुरंत गाड़ी आने के पश्चात इत्यादि से ब्लॉक हो तो डबल लाइन खण्ड में कॉटो को विपरीत और दूसरे सिरे पर तथा इकहरी लाइन खण्ड में तुरंत ब्लॉक लाइन के विपरीत आगे तथा पीछे सैट करेगा। सिवाय इसके कि जब शंटिंग या अन्य कोई संचालन उसी दिशा में लाइन पर तुरंत करना आवश्यक हो।

6.2.1.2 ब्लॉक लाइन पर गाड़ियों का आगमन:-

अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने के लिये कार्यरत स्टेशन मास्टर पिछले स्टेशन के कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा कि 'उस गाड़ी को सर्तकता आदेश देकर ड्राइवर को सूचित करे कि गाड़ी को अवरोधित लाइन पर लिया जा रहा है,

यह सुनिश्चित करेगा कि गाड़ी के प्रवेश का नियंत्रण करने वाले सिगनल या सिगनलों को 'ऑफ' न किया जाए, तथा

यह सुनिश्चित करेगा कि जिन कॉटो पर से गाड़ी को पार होना है, उन्हें सही तौर पर सैट कर दिया गया है और सम्मुख (फेसिंग) कॉटो पर ताला लगा दिया गया है।

संबंधित रोक (स्टॉप) सिगनल पर गाड़ी खड़ी कर देने के बाद उसे निम्नलिखित रीति से अवरुद्ध लाइन पर लिया जा सकता है, जहाँ बुलावा (कॉलिंग ऑन) सिगनल लगा है वहाँ उसे 'ऑफ' करके लोको पायलट को रोक सिगनल 'ऑन स्थिति' में पार करने के लिये प्राधिकृत करेगा, या 'ऑन' स्थिति में संबंधित सिगनल या सिगनलों को पार करने के लिये लोको पायलट को लिखित प्राधिकार देना। यह प्राधिकार पत्र किसी कॉटो वाले द्वारा भेजा जा सकता है जो गाड़ी को पायलट करके उसे सिगनलों से पार करायेगा।

प्रवेश लाइन पर ले जाने वाले सम्मुख (फेसिंग) कॉटों पर गाड़ी को तब तक खड़ा रखा जायेगा जब तक किसी सक्षम रेल सेवक द्वारा उसे आगे के लिये हाथ सिगनल नहीं दे दिया जाता। अवरोध के मामले में कम से कम 45 मीटर की दूरी पर एक रोक (स्टॉप) हाथ सिगनल दिखाया जायेगा जो कि लोको पायलट को यह बतायेगा कि गाड़ी को कहाँ खड़ा करना है। लोको पायलट गाड़ी को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखेगा और वह किसी भी अवरोध से पहले रुकने के लिये तैयार रहेगा।

6.2.1.3 सिगनल रहित लाइन पर गाड़ियों का आगमन:-

लागू नहीं है।

6.2.1.4 सिगनल रहित लाइन से गाड़ियों का प्रस्थान:-

लागू नहीं है।

6.2.1.5 कॉमन स्टार्टर सिगनल के साथ स्थापित लाइन से गाड़ियों का प्रस्थान:

लागू नहीं

6.2.1.6 अन्य कोई विशेष स्थिति:

कुछ नहीं

6.3 आगमन सिगनलों को ऑफ करने की शर्तें:-

जब तक गाड़ी प्रवेश नहीं कर जाती कार्यरत स्टेशन मास्टर सिगनल 'ऑफ' नहीं करेगा।



(के.जी. गोस्वामी)

वरि.मं. परि. प्र./सा.एवं को./आगरा



(योगेश मिश्र)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

- (1) वी.डी.यू. को देखकर जिस लाइन पर गाड़ी लेनी है साफ है नीचे दिये अनुसार सुनिश्चित करेगा:-
(क) अप गाड़ियों का आगमन:-

- (i) अप लाइन नं. 1 (प्रथम लूप लाइन):- लाइन अप एडवांस स्टार्टर सिगनल नं. 1 तक साफ होनी चाहिए साथ काँटा संख्या 298ए/बी और 201ए/बी सामान्य स्थिति में, काँटा संख्या 202ए/बी और 299ए/बी विपरीत दिशा में सैट होने चाहिए ओवर रन लाइन की सम्पूर्ण लम्बाई तक काँटा संख्या 299ए/बी विपरीत स्थिति में, और 202 ए/बी सामान्य स्थिति सैट होने चाहिए।
(ii) अप लाइन नं. 2 (मुख्य लाइन):- लाइन अप एडवांस स्टार्टर सिगनल नं. 1 तक साफ साथ काँटा संख्या 201ए/बी, 202ए/बी, 298, ए/बी, और 299 ए/बी सामान्य स्थिति में सैट होने चाहिए।
(iii) अप लाइन नं. 3 (द्वितीय लूप लाइन):- लाइन अप एडवांस स्टार्टर सिगनल नं. 1 तक साफ होनी चाहिए साथ काँटा संख्या 299ए/बी, 202ए/बी, सामान्य स्थिति में, काँटा संख्या 201ए/बी, 298ए/बी विपरीत दिशा में सैट होने चाहिए ओवर रन लाइन की सम्पूर्ण लम्बाई तक काँटा संख्या 298ए/बी, विपरीत स्थिति में, और 299ए/बी, 201 ए/बी सामान्य स्थिति सैट होने चाहिए।

(ख) डाउन गाड़ियों का आगमन:-

- (i) डाउन लाइन नं. 1 (प्रथम लूप लाइन):- लाइन डाउन एडवांस स्टार्टर सिगनल नं. 20 तक साफ होनी चाहिए साथ काँटा संख्या 299ए/बी, 202ए/बी विपरीत स्थिति में, काँटा संख्या 201ए/बी, 298ए/बी सामान्य दिशा में सैट होने चाहिए ओवर रन लाइन की सम्पूर्ण लम्बाई तक काँटा संख्या 202ए/बी, विपरीत स्थिति में, और 201ए/बी, 299ए/बी सामान्य स्थिति सैट होने चाहिए।
(ii) डाउन लाइन नं. 2 (मुख्य लाइन):- लाइन डाउन एडवांस स्टार्टर सिगनल नं. 20 तक साफ साथ काँटा संख्या 201ए/बी, 202ए/बी, 298ए/बी, एवं 299ए/बी सामान्य स्थिति में सैट होने चाहिए।
(iii) डाउन लाइन नं. 3 (द्वितीय लूप):- लाइन डाउन एडवांस स्टार्टर सिगनल नं. 20 तक साफ होनी चाहिए साथ काँटा संख्या 202ए/बी, 299ए/बी, सामान्य स्थिति में, काँटा संख्या 201ए/बी, 298ए/बी विपरीत दिशा में सैट होने चाहिए ओवर रन लाइन की सम्पूर्ण लम्बाई तक काँटा संख्या 202, ए/बी, 298ए/बी सामान्य स्थिति में, और 201ए/बी, विपरीत स्थिति सैट होने चाहिए।

2) समपार फाटक की कार्यवाही परिशिष्ट 'क' के अनुसार की जायेगी।

3) ऊपर लिखे निर्देशों के अनुसार लाइन किसी भी अवरोध से मुक्त है सुनिश्चित करने के बाद स्टेशन मास्टर किसी गाड़ी के आगमन हेतु होम सिगनल को ऑफ करेगे।

6.3.1 सिगनलों को पुनः "ऑन" करने के लिये स्टेशन मास्टर का दायित्व:- स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि गाड़ी आने के पश्चात सिगनलों को वापस "ऑन" में कर दिया गया है। सामान्य एवं सहायक नियम 3.36(2) दिये गये तरीको को लागू किया जायेगा।

6.3.2 गाड़ियों को जगह देना:-

रुकने वाली यात्री गाड़ी सामान्यतः अप/डाउन लूप लाइन नं. 1 और 3 (प्लेटफार्म लाइन) पर ही ली जानी चाहिए।

6.4 गाड़ियों का एक साथ आवागमन, क्रॉसिंग, और प्राथमिकता :-

(के.जी.गोस्वामी)

वरि.मं. परि. प्र./सा.एवं को./आगरा

(योगेश मित्तल)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

6.4.1 राधाकुण्ड स्टेशन पर निम्नलिखित एक साथ संचालनों की अनुमति है:-

- (i) एक अप गाडी डैड एण्ड लगाकर लाइन नं. 1 (प्रथम लूप) पर ली जा रही हो तो दूसरी डाउन गाडी को डैड एण्ड लगाकर लाइन नं. 3 (द्वितीय लूप) पर ली जा सकती है।
- (ii) जब अप गाडी डैड एण्ड लगाकर लाइन नं. 1 (प्रथम लूप) पर ली जा रही हो तो दूसरी अप गाडी को लाइन नं. 2 (मुख्य लाइन) और लाइन नं. 3 (द्वितीय लूप) से चलाई जा सकती है।
- (iii) जब एक डाउन गाडी डैड एण्ड लगाकर लाइन नं. 3 (द्वितीय लूप) पर ली जा रही हो तो डाउन गाडी को लाइन नं. 2 व 1 से चलाई जा सकती है।
- (iv) जब अप गाडी डैड एण्ड लगाकर लाइन नं. 3 (द्वितीय लूप) पर ली जा रही हो तो दूसरी अप गाडी को लाइन नं. 2 (मुख्य लाइन) और लाइन नं. 1 (प्रथम लूप) से चलाई जा सकती है।

6.4.1.1 अनुमोदित विशेष निर्देशों के अधीन

सामान्य नियम 3.40 (1) बी में निर्दिष्ट अनुमोदिन विशेष निर्देशों के अनुसार इकहरी लाइन खण्ड में होम सिगनल ऑफ करने के लिये लाइन अनमुख कांटो के आगे पर्याप्त दूरी तक साफ हो या अनुमोदित विशेष के अधीन पर्याप्त दूरी जहाँ गाडी के रूकने के लिये नियत स्थान तक लाइन क्लीयर है। इन मामलों में निम्नलिखित पर्याप्त दूरी प्रस्तावित की गई है।

- 1) लाइन नं. 1 के लिये पर्याप्त दूरी सिगनल नं. 7 से मथुरा सिरे के डैड एण्ड तक, स्टार्टर सिगनल नं. 7 से डैड एण्ड के बीच पर्याप्त दूरी 120 मीटर उपलब्ध है।
- 2) लाइन नं. 3 के लिये पर्याप्त दूरी सिगनल नं. 11 से मथुरा सिरे के डैड एण्ड तक, स्टार्टर सिगनल नं. 11 से डैड एण्ड के बीच पर्याप्त दूरी 120 मीटर उपलब्ध है।
- 3) लाइन नं. 1 के लिये पर्याप्त दूरी सिगनल नं. 12 से अलवर सिरे के डैड एण्ड तक, स्टार्टर सिगनल नं. 12 से डैड एण्ड के बीच पर्याप्त दूरी 120 मीटर उपलब्ध है।
- 4) लाइन नं. 3 के लिये पर्याप्त दूरी सिगनल नं. 16 से अलवर सिरे के डैड एण्ड तक, स्टार्टर सिगनल नं. 16 से डैड एण्ड के बीच पर्याप्त दूरी 120 मीटर उपलब्ध है।

6.4.2 गाड़ियों की क्रासिंग:-

- 1 इन नियमों के पैरा 6.3 तथा सब पैरा 6.3.1 से 6.3.3 में दिये गये विस्तृत विवरण के अनुसार गाड़ियां ली जायेगी। उपरोक्त पैरा 6.4.1 में दिये गए वर्णन के अनुसार यदि गाड़ियाँ एक साथ ली जा सकती है तो एक साथ ही आगमन कराया जायेगा अन्यथा जिस गाड़ी की पहले आने की सम्भावना हो उसके आगमन के लिए आदेश पहले दिया जायेगा।
- 2 पूरी गाड़ी आ जाने के बाद उसका प्रस्थान पैरा 6.6 में दिए गए विवरण के अनुसार किया जायेगा।
- 3 साफ मौसम में तथा धुंध एवं कोहरे के मौसम में इस स्टेशन पर एक गाड़ी के क्रासिंग की अनुमति है फिर भी धुंध, कोहरे या तूफानी मौसम में सहा. नि. 3.61/2 में दी गई सावधानियों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।
- 4 रूकने वाली सवारी गाड़ियों को सामान्यतया प्लेटफार्म लाइन पर ही लिया जायेगा। जब दोनों रूकने वाली गाडी हो तो जब तक कि विशेष आदेश न हो पहली गाडी को प्लेटफार्म वाली लाइन पर लेना चाहिये (स.नि. 3.39/5 का क)
- 6.5 गाड़ियों का पूर्ण आगमन:- जहाँ खंड में ब्लॉक पूर्विंग एक्सल काउंटर और राधाकुण्ड-गोर्वधन और राधाकुण्ड-मोरा के बीच लगातार ट्रैक सर्किटिंग किया गया है स्टेशन सैक्शन को पूरा ट्रैक सर्किटिंग किया गया है जब वह कार्य कर रहा हो तब एक्सल काउंटर द्वारा दिये गये क्लीयरेंस और ब्लॉक खंड के साफ होने का संकेत व गाड़ियों का पूर्ण आगमन दिये गये संकेतों के अनुसार होता है। यह स्टे.मा. को गाड़ी के पूर्ण आगमन की जाँच कराता है। यदि दो ब्लॉक खंड के बीच ब्लॉक पूर्विंग एक्सल काउंटर और स्टेशन सैक्शन की पूर्ण ट्रैक सर्किटिंग विफल हो जाये तो निम्न तरीका अपनाया जायेगा।


(के.जी गोस्वामी)

वरि.मं. परि. प्र./सा.एवं को./आगरा


(योगेश मिश्र)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

गोर्वधन की तरफ से आने वाली अप रन थू गाडी के लिये कार्यरत स्टेशन मास्टर व्यक्तिगत रूप से गाडी के टैल लैम्प/टैल बोर्ड को देखकर गाडी का पूर्ण आगमन सुनिश्चित करेगा स्टेशन पर रुकने वाली गाडियों के मामले में कार्यरत स्टेशन मास्टर सक्षम रेल कर्मचारी द्वारा पूर्ण गाडी आगमन रजिस्टर भेजकर सुनिश्चित करेगा कि गाडी फाउलिंग मार्क के अन्दर टैल लैम्प व टैल बोर्ड के साथ आ गई है अन्य प्रावधान सामा. एवं सहा. नियम 4.56/1 में दिये गये हैं।

पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को "गाडी खण्ड के बाहर" की सूचना देने से पूर्व नीचे दिये अनुसार झूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा गाडी के सबसे पिछले वाहन के पीछे लगे हुये टैल लैम्प/टैल बोर्ड का या उसके अधिकृत विकल्प को स्वयं देखेंगे कि गाडी पूरी आ चुकी है।

- (i) झूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर का उत्तरदायित्व है कि गाडी का खण्ड से बाहर संकेत देने से पूर्व स्टेशन पर आने वाली गाडियों का क्लियर संकेत एवं गाडी पूर्ण आगमन वीडियू पर जाँच ले। यदि वीडियू पर व्यक्तिगत अवलोकन/साफ संकेतों द्वारा फाउलिंग मार्क के अन्दर गाडी का सम्पूर्ण आगमन नहीं होता है तो झूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर सम्पूर्ण गाडी आगमन को सामान्य एवं सहा. नियमावली के सहा. नि. 4.56/1 (सी) तथा बी.डब्ल्यू.एम. के पैरा 4.17 के अनुसार सुनिश्चित करेंगे।
- (ii) अप/डाउन गाडी के मामले में, कार्यरत स्टेशन मास्टर व्यक्तिगत रूप से गाडी के टैल लैम्प/टैल बोर्ड देखकर सुनिश्चित करने के बाद कि गाडी पूरी गुजर गई है, की सूचना स्टेशन मास्टर मोरा व स्टेशन मास्टर गोर्वधन को प्राइवेट नम्बर के साथ देगा। स्टेशन मास्टर मोरा स्टेशन मास्टर गोर्वधन "ट्रेन सिगनल रजिस्टर" में इसकी प्रविष्टि दर्ज करेंगे।

6.6 गाडियों का प्रस्थान:-

6.6.1 मोरा की तरफ गाडियों का प्रस्थान:-

- (i) ब्लॉक यंत्र पर लाइन क्लीयर प्राप्त करने के बाद झूटी वाले स्टे.मा./सहा.स्टे.मा. स्वयं सुनिश्चित करेंगे कि रूट में शामिल ट्रेक सर्किट क्लीयर है और गाडी आने की दिशा सही और समपार फाटक संख्या नं. 14 सड़क यातायात के लिये बंद हो गया है।
- (ii) तब झूटी वाले स्टे.मा./सहा.स्टे.मा. प्रस्थान सिगनलों को "ऑफ" करेंगे।
- (iii) पूरी गाडी जाने के बाद "ऑफ" किये गये सिगनल स्वतः ही "ऑन" स्थिति में आ जायेंगे और वीडियू पर रूट पर लाल संकेत बुझ जायेगा।

6.6.2 गोर्वधन की तरफ गाडियों का प्रस्थान:-

- (i) ब्लॉक यंत्र पर लाइन क्लीयर प्राप्त करने के बाद झूटी वाले स्टे.मा./सहा.स्टे.मा. स्वयं सुनिश्चित करेंगे कि रूट में शामिल ट्रेक सर्किट क्लीयर है और गाडी आने की दिशा सही और समपार फाटक सं0-17 सड़क यातायात के लिये बंद हो गया है।
- (ii) तब झूटी वाले स्टे.मा./सहा.स्टे.मा. प्रस्थान सिगनलों को "ऑफ" करेंगे।
- (iii) पूरी गाडी जाने के बाद "ऑफ" किये गये सिगनल स्वतः ही "ऑन" स्थिति में आ जायेंगे और वीडियू पर रूट पर लाल संकेत बुझ जायेगा।

6.7 बिना रुके सीधे जाने वाली गाडियां:-

- (i) स्टेशन पर रुके बिना गाडी को केवल मेन लाइन से निकाला जायेगा।
- (ii) अगर मेन लाइन अवरोधित है, अप या डाउन गाडी को लूप लाइन से निकाला जायेगा और उसकी गति 30 कि.मी. से अधिक नहीं होगी या विशेष अनुमोदित गति से निकाली जायेगी तथा देखा जायेगा कि सभी कांटे सही लगे हैं और सही सिगनल ऑफ किये जायेगे।
- (iii) यदि कोई गाडी बिना टेल लैम्प/टेल बोर्ड के पास होती है तब कार्यरत स्टेशन मास्टर पिछले सैक्शन को क्लीयर नहीं करेगा अगले स्टेशन को संकेत देगा कि गाडी बिना टेल लैम्प/टेल बोर्ड के गई है।

(के.जी गोस्वामी)

वरि.मं. परि. प्र./सा.एवं को./आगरा

(योगेश मित्तल)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

6.8 विफलता के समय कार्य करना:-

6.8.1 सिगनलो का विफल होना:-

जब कोई सिगनल त्रुटिपूर्ण होता है तो सम्बन्धित कॉटे यदि फेसिंग दिशा में हो तो उनको सही सैट क्लैम्प व तालित किया जायेगा और साधारण नियम 3.68, 3.69, 3.70, 3.71, 3.76 और उनके सहायक नियम का पालन किया जायेगा।

6.8.2 कॉटो का विफल होना:-

जब कोई कॉटा त्रुटिपूर्ण होता है और पैनल पर कोई संकेत उपलब्ध न हो तो सहायक नियम 3.77/1 का पालन किया जायेगा तथा किसी भी रूकावट इत्यादि के लिये कॉटो का निरीक्षण किया जायेगा और व एस एण्ड टी स्टाफ को सूचित किया जायेगा। कॉटो पर कोई भी संचालन करने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि ड्यूटी पर कार्यरत स्टे.मा. अपनी व्यक्तिगत देखरेख में सही सैट, क्लैम्प व तालित न कर दिया गया हो। सा. एवं सहा. नियमावली के नियम 3.68/1 (घ) और (3.51/1 सहा. नियम का पालन किया जायेगा।)

6.8.3 ट्रेक सर्किट का विफल होना:-

ट्रेक सर्किट/एक्सल काउंटर के विफल होने के मामले में गाड़ियों को कॉलिंग ऑन सिगनल "ऑफ" करके लिया जायेगा और स्टे.मा./सहा.स्टे.मा. लाइन का साफ होना स्वयं सुनिश्चित करेंगे।

6.8.4 क्षतिग्रस्त कॉटो पर कार्य करना:-

जब कभी कॉटे (पाइंट), कैची (क्रासिंग) या गार्ड रेल खराब या क्षतिग्रस्त हो जाती है तो जिस रेल सेवक के कार्यभार (चार्ज) में कॉटो का प्रचालन है, वह उनको संरक्षित करेगा और तत्काल इस बात की सूचना स्टेशन मास्टर को देने की व्यवस्था करेगा व परिस्थिती से अवगत करायेगा।(सहायक नियम 3.77/1 और 3.77/2 भी लागू होगा)

6.8.5 ट्राली या लाइट इंजन द्वारा धिरी हुई लाइन का फेलियर:-

स्टेशन से ट्राली या लाइट इंजन पास होने के बाद लाइन साफ है कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी ड्यूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर की होगी।

6.8.6 ब्लॉक यंत्र की विफलता:-

जब राधाकुण्ड-गोवर्धन और राधाकुण्ड-मोरा के बीच गाड़ी संचालन के लिए इकहरी लाइन ब्लॉक पूर्विग एक्सल काउंटर पैनल ब्लॉक उपकरण खराब हो तो गाड़ियों का संचालन ब्लॉक संचालन नियमावली (इकहरी लाइन) 5.01 (a)के अनुसार किया जायेगा। अंतीम रोक सिगनल को खराब माना जायेगा। ऐसी स्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा चालक को पेपर लाइन क्लियर सौपा जायेगा। विस्तृत कार्य प्रणाली के लिये परिशिष्ट बी देखें।

6.8.7 एक्सल काउंटर की विफलता:-

ब्लॉक एक्सल की दशा बताने वाला एक्सल काउंटर तक फेल माना जायेगा जब:-

1. रिसैट बॉक्स मे हरा संकेत हो किन्तु ब्लॉक सैक्शन ओवर लैप सहित साफ नहीं है।
2. रिसैट बॉक्स में लाल संकेत हो किन्तु ब्लॉक सैक्शन ओवरलैप सहित साफ है।
3. रिसैट बॉक्स में जब कोई संकेत नहीं हो।

6.9 ट्राली/मोटर ट्राली/मेटेरियल लारियों की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में उपबन्ध:-

- 6.9.1 रनिंग लाइन पर मेटेरियल लारी नहीं चलाई जा सकती सिवाय जब इंजी/सिगनल/विधुत विभाग द्वारा ब्लॉक के अन्तर्गत चलाई जाये, इन दशाओ में मोटर ट्राली कम से कम निरीक्षक स्तर के कर्मचारी के पर्यवेक्षक में कार्य करेगी।

(के.जी गोस्वामी)

वरि.मं. परि. प्र./सा.एवं को./आगरा

(योगेश मिश्र)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

स्टेशन मास्टर खण्ड नियंत्रक की सहमति से ब्लॉक लेगा और मैटेरियल लारी ब्लॉक के अन्तर्गत कार्य करेगी, मैटेरियल लारी साधारण नियम 15.27 के अनुसार चलेगी।

6.9.2 एक मोटर ट्राली सामान्य एवं सहायक नियम 15.18 से 15.28 के तक और उसके सहायक नियमों के अन्तर्गत कार्य करेगी।

मोटर ट्राली पूर्णतः वैक्यूम ब्रेक वाली गाड़ी के पीछे भेजा जा सकता है या मोटर ट्राली को दिन के समय दृश्यता साफ होने पर भेजा जा सकता है, ब्लॉक सैक्शन में प्रवेश करने से पूर्व मोटर ट्राली का इन्चार्ज ब्लॉक सैक्शन में प्रवेश करने के लिये मोटर ट्राली परमिट लेगा।

6.9.3 नॉन इंसुलेटेड ट्राली/लारी का संचालन ट्रैक सर्किट क्षेत्र में प्रतिबन्धित है।

7. लाइन अवरूद्ध होना:-

जब कभी रनिंग लाइन को ब्लॉक करना आवश्यक हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर वीडियो पर लगे सम्बन्धित रूट बटन को क्लिक करेगा, बटन लाल रंग प्रदर्शित करेगा इसका अर्थ है रूट साफ होने तक रूट ब्लॉक है।

8.0 शंटिंग:-

8.1 सामान्य सावधानियां:-

(क) सभी शंटिंग कार्य गाड़ी के गार्ड/स्टेशन मास्टर/शंटिंग कार्य के इंचार्ज की व्यक्तिगत अभिरक्षा में होगा।

(ख) शंटिंग कार्य आरम्भ करने से पूर्व गाड़ी के गार्ड व ड्राइवर को टी-806 जारी किया जायेगा।

(ग) शंटिंग कार्य के लिये सम्बन्धित लाइन के शंट सिगनल को 'ऑफ' किया जायेगा।

8.2 आने वाली गाड़ी के सम्मुख शंटिंग:-

आने वाली गाड़ी के सम्मुख शंटिंग एडवांस स्टार्टर सिगनल तक करने की अनुमति है बशर्ते:-

(i) सभी आवश्यक सिगनल 'आन' स्थिति में रखे गये हों।

(ii) मौसम साफ हो।

(iii) शंटिंग कार्य का पर्यवेक्षक एक सक्षम रेलवे कर्मचारी हो।

उपरोक्त शंटिंग की अनुमति देते समय (सा.नि. 8.09) झूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित बातों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए टी-806 जारी करेंगे और गाड़ी के गार्ड एवं ड्राइवर से इसकी पावती लेंगे:-

(क) शंटिंग की सीमा,

(ख) किए जाने वाले कार्य का पूर्ण विवरण,

(ग) शंटिंग संचालन में प्रयोग होने वाली परिचालित (रनिंग) एवं अन्य लाइनें,

(घ). अनुमानित समय जब तक शंटिंग करने की अनुमति दी गई हो।

8.3 शंटिंग करने की मनाही/कोई विशेष लक्षण:-

1. लूज शंटिंग की मनाही है।

2. दोनों तरफ हाथ शंटिंग या मुख्य लाइन पर अवरोध की अनुमति नहीं है।

3. बियरिंग रोलर स्टॉक की गाड़ियाँ जैसे **BOX, BOBS, BCXS** आदि की हाथ शंटिंग मना है।

4. रोलर बियरिंग स्टॉक को स्टेबिल करते समय सहा. नियम 5.23/2 एवं अन्य स्टॉक को स्टेबिल करते समय सहा. नियम 5.23/1 के अनुसार सुरक्षा की जायेगी।

5. जहाँ सम्भव हो वहाँ शंट सिगनल को ऑफ किया जायेगा। जब आने वाली गाड़ी के लिये सिगनल दे दिये गये हैं और वह लाइन पृथक (आईसोलेटेड) नहीं है, तो कोई शंटिंग कार्य उस ओर के कांटों की तरफ नहीं किया जायेगा। जिन पर से आने वाली गाड़ी गुजरेगी।

(के.जी.गोस्वामी)

वरि.मं. परि. प्र./सा.एवं को./आगरा

(योगेश मिश्र)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

8.4 इकहरी लाइन पर शंटिंग:-8.4.1 स्टेशन सेक्शन के अन्दर शंटिंग करना:-

अगर आवश्यक सिगनल ऑन है तो स्टेशन सेक्शन में शंटिंग जारी रह सकती है लाइन क्लीयर देने के पश्चात सामान्य एवं सहायक नियमावली के सहायक नियम 8.10 के अनुसार होगी।

अगर किसी गाडी को लाइन क्लीयर दिया हो तो स्टेशन सेक्शन में धुंध व कोहरे व तूफानी मौसम में और स्पष्ट दिखाई न देने की स्थिति में शंटिंग की अनुमति नहीं है। सहा.नियम 8.09/3 के अनुसार।

8.4.2 स्टेशन सेक्शन के बाहर शंटिंग:-

8.4.2.1 आती हुई गाडी के सम्मुख स्टेशन सेक्शन के बाहर शंटिंग करने की अनुमति नहीं है।

पिछले ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि वह ब्लॉक सेक्शन क्लीयर न हो या सहा.नियम 8.01 सी व 8.01 (2) के अनुसार ब्लॉक बैक नहीं ले लिया गया हो। राधाकुण्ड और मोरा खण्ड में शंटिंग के समय गेट नं. 14 का बंद होना सुनिश्चित होना चाहिए कि वे रोड यातायात के लिये बन्द है, इसी प्रकार राधाकुण्ड-गोवर्धन खण्ड में शंटिंग के समय गेट नं0-17 का सुनिश्चित होना चाहिये कि वे रोड यातायात के लिये बन्द है। स्टेशन की लॉग बुक में की गई आखिरी टिप्पणी सुनिश्चित करे, कि गेट सड़क यातायात के लिये बन्द है।

8.4.3 सभी सिगनल ऑन अवस्था में रखे जायेगे इस शंट सिगनल के अलावा जिसको शंटिंग में शामिल करना है, शंटिंग चाबी ब्लॉक उपकरण से निकालकर ड्राइवर को सौंप दी जायेगी, शंटिंग समाप्त होने पर ड्राइवर उस शंटिंग चाबी को स्टेशन मास्टर को सौंप देगा। ड्राइवर एडवांस स्टार्टर को (टी-806 में लिखित टिप्पणी) के आधार पर ऑन स्थिति में पार कर सकता है इसकी सही प्रविष्टि स्टेशन मास्टर की लॉग बुक में और ट्रेन सिगनल रजिस्टर में की जायेगी।

8.4.4 इकहरी लाइन पर ब्लॉक उपकरण के खराब होने के दौरान:-

ब्लॉक उपकरण के खराब होने पर शंटिंग चाबी व ब्लॉक उपकरण का उपयोग नहीं होगा जब तक ब्लॉक उपकरण सही नहीं हो जाता।

इस अवस्था में शंटिंग की स्वीकृति देने से पूर्व ब्लॉक वर्किंग मैनुअल के आधार पर सम्बन्धित लाइन पर ब्लॉक बैक लिया जायेगा तथा इसकी प्रविष्टि लाल स्याही से ट्रेन सिगनल रजिस्टर में की जायेगी, इसके बाद ड्राइवर को टी-806 प्राधिकार पत्र दिया जायेगा जिसमें ब्लॉक उपकरण खराब/निलम्बित.....लाइन बी में.....और..... स्टेशन (जिससे ब्लॉक बैक लिया है) और प्राइवेट नम्बर.....स्टेशन से प्राप्त..... की प्रविष्टि होगी, कार्यरत स्टेशन मास्टर उस दिशा से आने वाली गाडी को लाइन क्लीयर देने से पूर्व उस प्राधिकार को वापस प्राप्त करेगा।

8.5 डबल लाइन पर शंटिंग:-

लागू नहीं।

8.6 स्टेशन यार्ड/गुड्स यार्ड से निकली हुई साइडिंग में शंटिंग:-

लागू नहीं।

(के.जी गोस्वामी)

वरि.मं. परि. प्र./सा.एवं को./आगरा

(योगेश मित्तल)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

9.0 असामान्य स्थिति:-

(क) असामान्य स्थिति की दशा में नियमों का पालन करना:-

असामान्य कार्य के समय गाड़ियों के संचालन में यह तरीका अपनाया जायेगा।

- (i) विद्युत संचार यंत्र के आशिक अवरोध/विफल होने पर सामान्य एवं सहायक नियमावली के सहायक नियम 6.02/3 एवं 6.02/4 लागू होगा।
- (ii) दुर्घटना या लाइन पर अवरोध के मामले में घिरे हुये खण्ड में जाने के लिये प्राधिकार पत्र सामान्य नियम 6.05 और सहायक नियम 6.05/1 एवं 6.05/2 लागू होगा।
- (iii) ब्लॉक खण्ड में गाड़ियों का लेट होना। सहायक नियम 6.04/1 लागू होगा।
- (iv) विफलता/“ऑन” में इंटरमीडिएट ब्लॉक रोक सिगनल को पार करना - कुछ नहीं।
- (v) एक्सल काउंटर, ब्लॉक/बीपीएसी का विफल होना। (परिशिष्ट “बी” में कार्य विवरण देखें।)
- (vi) एम टी आर सी का विफल होना - कुछ नहीं।

(ख) क्रेक हैडिल द्वारा कॉटो का आपातकाल में संचालन करने का तरीका:-

- (i) मोटर पोंट का हस्त संचालन व संरक्षण और क्रेक हैडिल का प्रयोग:- मरम्मत या विफलता के समय इस स्टेशन पर मोटर संचालित कॉटो के मैनुअल सैटिंग के लिये क्रेक हैडिल उपलब्ध है। यह क्रेक हैडिल एक बाक्स में रखा जायेगा जो खासतौर से इसके लिये उपलब्ध है। इस बक्से को ताला लगाया जायेगा और चाबी झूटी पर कार्यरत स्टे.मा./सहा.स्टे.मा. की स्वयं की अभिरक्षा में रहेगी। स्टेशन मास्टर द्वारा लॉक करने के बाद खण्ड का ई.एस.एम. क्रेक हैडिल बाक्स को सील करेगा। (विस्तृत विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट “ख” देखें।)

(ii) एक्सल काउंटर/ट्रैक सर्किट विफलता और आपातकाल रूट रिलीज के साथ कॉटो का आपातकाल में संचालन करने का तरीका:-

सामान्य नियम 3.37, 3.39 और इनके सहायक नियम में दिये गये तरीको को अपनाना चाहिए।

(ग) कॉलिंग ऑन सिगनल देने से पूर्व ट्रैक के साफ होने की जाँच करना:-

ट्रैक सर्किट की विफलता के समय कॉलिंग ऑन सिगनल “ऑफ” करने से पूर्व रूट और ट्रैक का साफ होना जिस पर कि गाड़ी पास होनी है, को स्टे.मा./सहा.स्टे.मा. स्वयं सुनिश्चित करेंगे।

(घ) कॉटे, ट्रैक सर्किट/एक्सल काउंटर और अर्न्तपार्श्व का विफल होना:-

स्टेशन पर जब भी सिगनल कॉलिंग ऑन सिगनल, कॉटे ट्रैक सर्किट/एक्सल काउंटर या अन्य कोई अर्न्तपार्श्व उपकरण विफल होता है तो झूटी पर कार्यरत स्टे.मा./सहा.स्टे.मा. कार्यरत सम्बन्धित सिगनल मरम्मत स्टॉफ को विफलता को ठीक करने के लिये सूचित किया जायेगा। ईएसएम से विफलता को ठीक करने का लिखित मीमो प्राप्त करने के बाद स्टे.मा./सहा.स्टे.मा. सामान्य गाड़ी संचालन करेंगे। विफलता रजिस्टर में प्रविष्टियों की जायेगी तथा सैक्शन कंट्रोलर को भी सूचित किया जायेगा।

नोट:- कॉटे के विच्छेदन/त्रुटिपूर्ण मामले में दूसरे सिरे को जहाँ कार्य नहीं किया जा रहा हो कार्यरत स्टे.मा. द्वारा सैट किया जायेगा।

9.1 सम्पूर्ण संचार व्यवस्था का विफल होना:-

सम्पूर्ण संचार व्यवस्था के विफलता के मामले में जब किसी भी निम्न साधन से लाइन क्लियर प्राप्त न किया जा सकता हो:-

- (i) ब्लॉक यंत्र।
- (ii) ब्लॉक यंत्र से जुड़ा टेलीफोन।
- (iii) स्टेशन से स्टेशन के लिये स्थिर टेलीफोन जहाँ उपलब्ध हो।
- (iv) रेलवे के स्थिर टेलीफोन, ऑटो फोन और बीएसएनएल टेलीफोन।
- (v) कंट्रोल फोन।
- (vi) बीएचएफ सैट।

सामान्य एवं सहायक नियमावली के सहा.नि. 6.02/4 के अनुसार गाड़ियों का संचालन किया जायेगा।

(के.जी गोस्वामी)

वरि.मं. परि. प्र./सा.एवं को./आगरा

(योगेश मित्तल)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

9.2 डबल लाइन सैक्शन में अस्थाई इकहरी लाइन संचालन:-
कुछ नहीं।

9.3 बिना लाइन क्लीयर के गाड़ियों का प्रस्थान या प्राधिकार पत्र द्वारा अशक्त गाड़ियों की सहायता करना:-
जब कभी ब्लॉक सैक्शन में अशक्त गाड़ी की सहायता के लिये गाड़ी का बिना लाइन क्लीयर के प्रस्थान ऑथरिटी पर भेजना आवश्यक हो तो स्टेशन मास्टर को चाहिए कि:-

- प्रभावित सैक्शन के अगले सिरे के स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा।
 - सहायता गाड़ी के गार्ड और ड्राइवर को परिस्थिति के बारे में अवगत करायेगा।
 - सहायता गाड़ी के ड्राइवर को टीए/602 ऑथरिटी सौपेगा।
- सा.एवं सहा.नियमावली के सा.नि. 6.05 तथा इसके सहायक नि. के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

10 दृश्यता परीक्षण लक्ष्य:-

10.1 अप और डाउन मुख्य लाइन के प्रस्थान सिगनलों की बत्ती दिन व रात दोनों में सम्बन्धित दिशाओं में दृश्यता परीक्षण लक्ष्य है। (सहायक नियम 3.61/1 (क) और (ख)) यह स्टेशन मास्टर कार्यालय के मध्य से दिखाई देने चाहिए।

10.2 अस्पष्ट दृश्यता की अवस्था में कार्यरत स्टेशन मास्टर को सामान्य एवं सहायक नियमावली के नियम. 3.61/1 और 3.61/2 में दिये अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए।

10.3 धुंध कोहरे या तूफानी मौसम में अस्पष्ट दृश्यता के समय झूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर अप और डाउन मुख्य लाइन प्रस्थान सिगनलों की रोशनी की जाँच बार-बार करने के लिये उत्तरदायी होगा। (सामान्य नियम 3.61/2 (क))।

11. स्टेशन पर आवश्यक उपकरण:- परिशिष्ट 'ड' में देखें।

12 कोहरे के समय बुलाये जाने वाले नामित कोहरा सिगनल कर्मचारियों के नाम:-

स्टेशन मास्टर कोहरे के मौसम में बुलाये जाने वाले कर्मचारियों की एक सूची बनायेगे जिसका प्रारूप नीचे दिया गया है:-
राधाकुण्ड स्टेशन के कोहरा सिगनल कर्मचारियों की सूची

क्र.स.	नाम	पदनाम	मुख्यालय	विभाग/यूनिट नं.
1				
2				

नोट:- केवल स्थायी कर्मचारी ही कोहरा सिगनल मैन के लिये नामित किये जायेंगे।

स्टेशन मास्टर
राधाकुण्ड

परिशिष्टों की सूची

परिशिष्ट "ए"	समपार फाटकों की कार्य प्रणाली।
परिशिष्ट "बी"	स्टेशन पर सिगनल और अन्तर्पार्शन की पद्धति एवं दूर संचार के साधन।
परिशिष्ट "सी"	एन्टी कुलीजन डिवाइसेस (रक्षा कवच) -
परिशिष्ट "डी"	गाड़ी संचालन कर्मचारियों की झूटी और प्रत्येक पारी में कार्यरत कर्मचारी।
परिशिष्ट "ई"	स्टेशन पर उपलब्ध आवश्यक उपकरणों की सूची।
परिशिष्ट "एफ"	"डी के" स्टेशन, हाल्ट्स, आई बी एच, आई बी एस, और बाहरी साइडिंग की कार्य प्रणाली -
परिशिष्ट "जी"	विद्युतीय खंड में गाड़ियों के संचालन सम्बन्धी नियम

(के.जी गोस्वामी)

वरि.मं. परि. प्र./सा.एवं को./आगरा

(योगेश मित्तल)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

परिशिष्ट "क"

समपार फाटक की कार्यप्रणाली

1.1 सामान्य

1.1.1 समपार फाटक का विवरण

1	फाटक संख्या	14
2	श्रेणी	सी
3	इंजीनियरिंग/यातायात फाटक	यातायात
4	अधीन स्टेशन अधीन/रेल पथ निरीक्षक	स्टे.मा राधाकुण्ड
5	किमी० पर स्थित	1415/3-4
6	स्टेशन	राधाकुण्ड
7	स्टेशन मध्य	राधाकुण्ड -मोरा
8	बी०जी०/एम०जी०/एन०जी०	बी०जी०.
9	इकहरी/दोहरी/मिश्रित	इकहरी
10	इन्टरलाकड/नानइन्टरलाकड	इन्टरलाकड
11	इन्टरलॉकिंग का प्रकार	स्टेशनों के रोक सिगनलों द्वारा
12	गेट सिगनलों का प्रावधान किलोमीटर	-
13	संचार साधन टेलीफोन/घंटी	टेलीफोन एस.एम. राधाकुण्ड से सम्बद्ध
14	फाटक की सामान्य स्थिति	सड़क यातायात के लिए खुला
15	सिगनलिंग व्यवस्था	स्टेशनों के रोक सिगनलों द्वारा
16	कर्मचारियों की संख्या	2 (प्रत्येक 12घंटे की पाली)
17	समपार फाटक की चौड़ाई	5.5 मीटर
18	सड़क का प्रकार ; एन.एच./एस.एच./अन्य	अन्य
19	सड़क का नाम	दिल्ली-गोवर्धन
20	पक्का/कच्चा	पक्का
21	पहुँच मार्ग	पक्का
22	सड़क की चौड़ाई	5.5 मीटर
23	सड़क का क्रॉसिंग कोण गेट के लिए	-
24	सड़क का ढाल ; यदि कोई हो	समतल
	(i) उत्तर/पूर्व की तरफ	समतल
	(ii) दक्षिण/पश्चिम की तरफ	
25	सड़क की सीधाई (सीधा/घुमावदार)	सीधा
	(i) उत्तर/पूर्व की तरफ	सीधा
	(ii) दक्षिण/पश्चिम की तरफ	
26	हाइट गेज का प्रावधान	हाँ
27	बैरियर का प्रकार	पावर लिफ्टिंग बैरियर स्लाइडिंग बूम के साथ
28	चेक रेल की लम्बाई	7.5 मीटर
29	समपार के मध्य सड़क की सतह	पक्का (समतल)
30	रोड स्ट्रिप/गति अवरोधक की लम्बाई	सड़क चौड़ाई के अनुसार
31	रोड साइन	उपलब्ध है।
32	गति अवरोधक बोर्ड	उपलब्ध है।
33	टी वी यू	37465 मई 2022
34	अग्रिम गणना की तिथि	मई 2025
35	पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान	उपलब्ध है।
36	निकटतम रेलवे सहायता केन्द्र	मथुरा रेलवे स्टेशन
37	निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता ; यदि कोई हो	मथुरा/गोवर्धन/राधाकुण्ड
38	उपलब्ध उपकरणों की सूची	संलग्न सूची अनुसार उपलब्ध हैं।

(के.जी गोस्वामी)

वरि.मं. परि. प्र./सा.एवं को./आगरा

नितिन

(नितिन गर्ग)

वरि.मं.अभि/प्रथम/आगरा

योगेश

(योगेश मित्तल)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

1.2 समपार पर उपस्करों की सूची

क्रमांक	मद	मात्रा/संख्या
1.	हैन्ड सिगनल बत्ती / ट्राई कलर टार्च	3
2.	हैन्ड सिगनल हरी झंडी	2 डंडी मे लिपटी हुई
3.	हैन्ड सिगनल लाल झंडी	3 डंडी मे लिपटी हुई
4.	लाल बैनर फ्लैग	3
5.	लाल बैनर फ्लैग दिखाने के लिए पोस्टें	2
6.	तालों सहित अतिरिक्त जंजीरें	2 स्टॉप मार्क के साथ
7.	पटाखे	10 (प्लास्टिक के डब्बे में)
8.	फ्लैशिंग हैन्ड सिगनल (लाल तथा हरा)	1
9.	गेट बत्तियां	2
10.	टॉमी बार	1
11.	मोटर पैन	1
12.	कुदाल/फावड़ा	1
13.	थापी	1
14.	गैंती	1
15.	झंडियों के लिए टिन बॉक्स	1
16.	तेल के लिए कनस्तर	1
17.	पानी के लिए बर्तन/बाल्टी	1
18.	मस्टर रोल के लिए कनस्तर	1
19.	जो गेटमैन चश्मा पहनते हैं, उनके लिए चश्मे का अतिरिक्त सेट	1
20.	गेट पर रुकावट होने की दशा में समपार गेट रेखाचित्र की सुरक्षा को निर्धारित करने वाला बोर्ड	1
21.	टोकरी	1
22.	सीटी	1
23.	दीवार घड़ी	1
24.	छोटी जंजीर	2

टिप्पणी -1. उन समपार फाटकों पर जो केबिन मास्टर /केबिन मैन /लीवर मैन द्वारा प्रचलित है मद संख्या 11,12 13, 14, 16, 18, 20 एवं 21 के बिना काम चलाया जायेगा।

1.3 गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख

- 01 फाटक संचालन निर्देश हिन्दी/अंग्रेजी में
- 02 गेटमैन नियम पुस्तक हिन्दी/अंग्रेजी में
- 03 उपकरण एवं पुस्तकों की सूची
- 04 ड्यूटी रोस्टर
- 05 फाटकवाला का कार्य करने का प्रमाण-पत्र
- 06 फाटकवाला का विवरण संबंधी बायोडाटा, नेत्रजॉच पास करने की तिथि, प्रारम्भिक/पुनश्चर्या, पाठ्यक्रम संरक्षा शिविर आदि के सहित।
- 07 दुर्घटना रजिस्टर
- 08 समपार फाटक पर अन्तिम सड़क यातायात गणना का अभिलेख
- 09 जन शिकायत पुस्तिका
- 10 निरीक्षण पुस्तिका
- 11 संकेत एवं दूरसंचार पंजिका - अन्तर्पाशित इंजीनियरिंग गेट के मामले में

(के.जी गोस्वामी)

वरि.मं. परि. प्र./सा.एवं को./आगरा

(नितिन गर्ग)

वरि.मं.अभि/प्रथम/आगरा

(योगेश मित्तल)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

- 1.4 संचालन का तरीका- समपार के दोनो बूम लिफ्टिंग बैरियर द्वारा परिचालित है इसलिये बूम एक साथ खोले व बन्द किये जाते है।
- 1.5 गेटमेन की ड्यूटी:-
1. सतर्कता- गेटमेन सतर्क रहेगा और किसी खतरे की आशंका होते ही त्वरित कार्यवाही हेतु तत्पर रहेगा/फाटक की चाबियाँ उसके निजी अभिरक्षा में रहेगी।
 2. गाड़ी पास होते समय गेटमेन की स्थिति:-
गाड़ियों के गुजरते समय गेटमेन निम्न निर्दिष्ट रीति में खड़ा रहेगा-
 - (i) गेटमेन आने वाली गाड़ी के सामने मुह करके गेटलॉज के सामने खड़ा रहेगा।
 - (ii) गेटमेन दिन के समय लाल और हरी झंडी अलग-अलग डंडे पर लपेटी/समेटी हुई क्रमशः दाये और बाये हाथ में पकड़े रहेगा।
 - (iii) गेटमेन रात के समय सफेद प्रकाश युक्त हाथ बत्ती रेलपथ की ओर करके पकड़े रहेगा।
 - (iv) वह अपने गले में एक डोरी लगी हुई सीटी लटकाये रहेगा।
 3. गेटमेन की नियमित ड्यूटी:-
 - (i) गेटमेन सुनिश्चित करेगा कि जब भी अन्नतर्पार्शित गेट सड़क यातायात के लिये खुला होगा अथवा आपातकाल के दौरान या गेट पर अवरोध के दौरान लाल बैनर फ्लैग/लाल बत्ती रेलपथ के एक छोर से दूसरे छोर तक लगी है।
 - (ii) गेटमेन सुनिश्चित करेगा कि गेटलैम्प और सभी गेट सिगनलो की बत्तियां प्रकाशित है तथा सूर्यास्त से सूर्योदय तक जलती रहती हैं।
 - (iii) गेटमेन ड्यूटी रोस्टर के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन कड़ाई के साथ करेगा और तब तक गेट नहीं छोड़ेगा जब तक कि रिलीवर न आ जाये तथा कार्यभार ग्रहण न कर लें। यदि आपातकालीन स्थिति में गेट छोड़ना ही पड़े तो उसे गेट छोड़ने से पूर्व फाटकों को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द करके ताला अवश्य लगा देना चाहिए।
 - (iv) जहाँ किसी विशिष्ट अनुदेशो के अनुसार छूट है को छोड़कर गेटमेन सभी गुजरती हुई गाड़ियों को ध्यान से देखेगा और गाड़ियों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करने हेतु तैयार रहेगा।
 - (v) गेटमेन सभी गुजरने वाली गाड़ियों को अत्यन्त सावधानीपूर्वक देखेगा और किसी भी असामान्य स्थिति जैसे गरम धुरा, लटकती हुई चैन, लटकती हुई बैटरी, अन्य वाहन/ वैगन/ ट्रेन, बैटरी बॉक्स में लगी आग, लोड का खिसकना, गिरती हुई चीज जैसे-ब्रेक ब्लॉक, ब्रेक बीम, संरक्षा ब्रेकेट, निर्वात सिलेण्डर या अन्य स्थिति जो संरक्षित गाड़ी संचालन में खतरा पैदा कर सकते है उनका तीव्र एवं सावधानी पूर्ण निरीक्षण करेगा।
 - (vi) गेटमेन किसी सिगनल को दुहराने के लिए भी तैयार रहेगा, जो गार्ड द्वारा लोको पायलट को वाकी-टाकी या अन्य साधन द्वारा दिया जा सकता है।
 - (vii) यदि लिफ्टिंग बैरियर क्षतिग्रस्त अथवा अव्यस्थित हो तो गेटमेन अतिरिक्त चैन को डिस्क एवं पैडलॉक सहित सड़क यातायात के विरुद्ध फाटक को सुरक्षित करने के लिए प्रयोग में लायेगा।
 - (viii) गेटमेन स्टेशन मास्टर, गैगमेट या खण्ड अभियंता/रेलपथ को गेट अथवा उससे संबंधित उपकरण में किसी भी खराबी की सूचना शीघ्रातिशीघ्र देगा।
 - (ix) गेट सिगनल खराब हो जाने की दशा में गेटमेन सिगनल को ऑन की स्थिति में रखेगा चाहे उसे सिगनल से तारो को अलग करना पड़े।

(के.जी गोस्वामी)

वरि.मं. परि. प्र./सा.एवं को./आगरा

(नितिन गर्ग)

वरि.मं.अभि/प्रथम/आगरा

(अनिश मिट्तल)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

- (x) गेट के सिगनल खराब हो गये हो, गेटमैन गाड़ी को देखते ही लिफ्टिंग बैरियर बंद करेगा और ताला लगा देगा तथा गाड़ी को हाथ सिगनल दिखाकर या पायलट करके खराब सिगनल को पार करेगा। ऐसे मामले में अगले स्टेशन पर रिपोर्ट करने के लिये लोको पायलट को सूचित करेगा।
- (xi) गेटमैन जब समपार फाटक पर ड्यूटी पर हो तो बैज तथा निर्धारित यूनिफार्म पहनेगा।
- (xii) गेटमैन सुनिश्चित करेगा कि जब वह ड्यूटी पर है उसके पास सक्षमता प्रमाण पत्र है।
- (xiii) गेटमैन फाटक संचालन निर्देशों के अनुरूप कार्य करेगा और इन अनुदेशों से भलीभाँति अवगत बना रहेगा।
- (xiv) गेटमैन सुनिश्चित करेगा कि गेट पर आपूर्ति किए गये उपस्कर अच्छी हालत में हैं और तत्काल प्रयोग के लिए तैयार हैं।
- (xv) गेटमैन देखेगा कि पहिए की कोर (फ्लेंज) के लिए पथ (चैनल) साफ रखा गया है।
- (xvi) गेटमैन कच्ची सड़क की ऊपरी सतह को अच्छी तरह से पानी का छिड़काव एवं दुरुस्त करेगा।
- (xvii) गेटमैन यह देखने के लिए चौकस रहेगा कि सड़क उपयोगकर्ता को गेट बंद होने के कारण कम से कम असुविधा हो।
- (xviii) विद्युतीकरण (इलेक्ट्रीफाइड) खण्ड में गेटमैन यह सावधानीपूर्वक देखेगा कि सड़क वाहन/जानवर जो समपार से पास हो रहे हैं, वे समपार के दोनों ओर लगे हुये ऊँचाई लदान मापी के अन्दर हैं।
- (xix) गेटमैन व्यक्तियों अथवा पशुओं के अतिचार (ट्रेस पासिंग) को रोकने का हर संभव प्रयास करेगा।
- 4.0 गाड़ियों में असामान्य घटना के प्रकरण में कार्यवाही-
यदि फाटकवाला किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्नवत कार्यवाही करेगा:-
- (i) वह गुजरती हुई गाड़ी के लोको पायलट और गार्ड को सचेत करने के लिये दिन में लाल झंडी और रात में लाल बत्ती दिखाकर त्वरित कार्यवाही करेगा।
- (ii) ट्रेन पार्टिंग के मामले में गेटमैन रुकने का लाल हाथ सिगनल नहीं दिखाएगा, परन्तु ट्रेन पार्टिंग के लिये निर्धारित सिगनल दिन में हरी झंडी और रात में सफेद बत्ती लम्ब रूप में ऊपर नीचे करते हुये हिलायेगा।
- (iii) वह साथ-साथ लोको पायलट तथा गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिये लगातार सीटी बजाकर, बोलते समय हाथों की मुद्रा से हाव-भाव अभिव्यक्त करके ब्रेकवान पर गिट्टी फेंककर अथवा अन्य साधन द्वारा लोको पायलट तथा गार्ड का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करेगा।
- (iv) यदि लोको पायलट और गार्ड ध्यान देने में विफल रहते हैं तो गेटमैन स्टेशन मास्टर को, यदि टेलीफोन द्वारा सम्बन्ध है, समुचित कार्यवाही हेतु प्राइवेट नम्बर आदान-प्रदान के अन्तर्गत तत्काल सूचित करेगा।
- 5.0 आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही
- (i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर गेटमैन गेट सिगनल को ऑन स्थिति में रखेगा।
- (ii) इसके उपरान्त यदि फाटकवाला अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए फाटक की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।
- (iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं तो फाटकवाला सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।
- (iv) समपार फाटक पर किसी असामान्य घटना के दौरान किसी गाड़ी के लिये दिये हुये सिगनल ऑन करने हेतु समपार फाटक पर आपातकालीन स्विच दिया गया है। किसी असामान्य घटना के समय गेटमैन स्विच द्वारा सिगनलों को ऑन कर देगा।

(के.जी गोस्वामी)

वरि.मं. परि. प्र./सा.एवं को./आगरा

(नितिन गर्ग)

वरि.मं.अभि/प्रथम/आगरा

(योगेश मित्तल)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

गेटमैन लाइन/फाटक का बचाव निम्नवत् करेगा**(क) इकहरी लाइन खंड पर**

- (i) गेटमैन दिन के समय एक लाल बैनर फ्लैग तथा रात के समय एक लाल बत्ती अवरोध स्थल से 5 मीटर की दूरी पर इस निमित्त यथोचित लगाये गये खम्भों पर लगा देगा। जिस ओर से गाड़ी आने की संभावना है उस ओर का बचाव वह पहले करेगा।
- (ii) तब वह उसी प्रकार से दूसरी ओर का भी बचाव करेगा।
- (iii) समपार फाटक पर अवरोध को हटाने के लिये कदम उठायेगा तथा आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सचेत करेगा।
- (iv) वह लोको पायलट को सचेत करने के लिये लाल फ्लैशिंग हाथ सिगनल जलायेगा और स्थिर रखेगा आने वाली गाड़ी को दिन में लाल झंडी और रात के समय लाल हाथ बत्ती बारम्बार हिला कर रोकेगा।

(ख) गेटमैन द्वारा की जाने वाली अन्य कार्यवाही:-

- (i) गेटमैन रात के समय दो हाथ सिगनल बत्तियाँ जलायेगा और लाल बत्ती दिखाने/प्रदर्शित करने तथा उप पैरा न. कें (क) एवं (ख) वर्णित नियमानुसार लाइन का बचाव करने संबंधी कार्यवाही करेगा।
- (ii) यदि गेट सड़क वाहन द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया हो जो ट्रैक उल्लंघित कर रहा हो अथवा लिफ्टिंग बैरियर या अन्य कोई भाग ट्रैक को उल्लंघित कर रहा हो या समपार फाटक पर कोई अन्य अवरोध हो तो गेटमैन त्वरित कार्यवाही करेगा।
- (iii) वह सड़क वाहन के सभी विवरण वाहन का नंबर, चालक व मालिक का नाम नोट करेगा और समीपस्थ स्टेशन मास्टर अथवा खंड अभियंता ;रेलपथद्ध को विवरण और समपार फाटक पर अवरोध के संबंध में संदेश वाहक अथवा अन्य साधन द्वारा संदेश भेजेगा।

इंजीनियरिंग मद:-

- 1.6 समपार फाटकों पर दृश्यता संबंधी आवश्यकता समपार संपर्क मार्ग पर स्पीड ब्रेकर का प्रावधान और यातायात गणना आदि भारतीय रेलवे स्थाई रेल पथ नियमावली के पैरा 916, 918 919 में वर्णित है।

- 1.7 समपार फाटक गेट नम्बर 14 "सी" श्रेणी, ट्रेफिक समपार फाटक, स्टेशन के रोक सिगनलों के द्वारा अन्तर्प्राप्ति, टेलीफोन उपलब्ध एवं सामान्य स्थिति सड़क यातायात के लिए खुला

- 1.7.1 सामान्य- समपार फाटक संख्या-14 का संचालन

1. यह फाटक इंटरलाकड है और पावर ऑपरेटेड लिफ्टिंग बैरियर द्वारा संचालित है।

गेट ऑपरेटिंग पैनल का विवरण इस प्रकार है-

- क. गेट ऑपरेटिंग पैनल पर उपलब्ध बटन-

- (i) पैनल लॉक करने की चाबी।
- (ii) गेट खोलने के लिये हरा बटन।
- (iii) गेट बंद करने के लिये लाल बटन।
- (iv) सड़क यातायात नियंत्रित करने या नार्मल/रिवर्स स्विच।
- (v) सभी सिगनलों को ऑन करने हेतु आपातकालिन स्विच।

(के.जी गोस्वामी)

वरि.मं. परि. प्र./सा.एवं को./आगरा

(नितिन गर्ग)

वरि.मं.अभि/प्रथम/आगरा

(योगेश मित्तल)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

ख. गेट ऑपरेटिंग पैनल पर उपलब्ध संकेत-

- (i) सड़क यातायात के लिये ऑन और ऑफ संकेत।
- (ii) फाटक बंद करने के लिये संकेत।
- (iii) फाटक खोलने के लिये संकेत।
- (iv) पावर ऑन संकेत।

2. क. आपात स्थिति में सिगनल ऑन करने की प्रक्रिया - गेट पैनल पर सिगनलों को ऑन स्थिति में करने के लिये आपात स्विच उपलब्ध है। सिगनल ऑफ होने के बाद यदि गेटमैन टैक पर कोई अवरोध या आपात स्थिति देखता है, गेटमैन आपात स्विच को नार्मल स्थिति से रिवर्स स्थिति में कर देगा जिससे की संबंधित सिगनल ऑन स्थिति में हो जाये।

ख. सड़क यातायात के लिये लगे गेट सिगनल को गेट खुला होने पर ऑन करने की प्रक्रिया - गेट सड़क यातायात के लिये खुला होने तथा रोड सिगनल ऑफ स्थिति में रहने पर यदि गेटमैन को किसी आपात स्थिति के कारण रोड सिगनल को ऑन में करने की आवश्यकता पड़ती है तब गेटमैन रोड सिगनल स्विच को नार्मल स्थिति से रिवर्स में करेगा रोड सिगनल स्विच को नार्मल स्थिति में रिवर्स स्थिति में करेगा रोड सिगनल ऑन हो जायेगा।

3. गेट खोलने / बंद करने की प्रक्रिया-

- (i) गेट बंद करने की प्रक्रिया - गेट मैन गाडी के आगमन/प्रस्थान की सूचना मिलने के बाद यह सुनिश्चित करेगा कि कोई अवरोध या वाहन टैक पर नहीं और गेट सड़क यातायात के लिये बंद करेगा, तब गेटमैन, गेट ऑपरेटिंग पैनल पर उपलब्ध लाल बटन को पूरा बंद होने तथा बंद संकेत दिखाई देने तक दबायेगा। गेट सड़क यातायात के लिये बंद एवम् तालित होने पर बंद संकेत गेट ऑपरेटिंग पैनल पर प्रदर्शित होने लगेगा।
- (ii) गेट खोलने की प्रक्रिया - समपार फाटक से गाडी गुजरने के बाद, गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को गेट सड़क यातायात के लिये खोलने हेतु सूचना देगा। स्टेशन मास्टर स्टेशन पैनल से कंट्रोल रिलीज करेगा, गेट पर रिलीज संकेत आने पर गेटमैन हरा बटन को गेट खोलने के लिये, गेट पूर्ण रूप से खुलने व गेट ऑपरेटिंग पैनल पर गेट खुले होने के संकेत प्राप्त होने तक दबायेगा। नोट- गेट को सड़क यातायात के लिये बंद करने से पहले गेटमैन सुनिश्चित करेगा की कोई वाहन या कोई अवरोध टैक या बैरियर के मध्य नहीं है आर तब वह गेट बंद करना हेतु बटन दबायेगा। जैसे ही गेटमैन बटन दबायेगा हूटर बजना शुरू हो जायेगा जो कि गेट के बंद होने ओर रोड सिगनल लाल प्रदर्शित होने पर जो कि सड़क उपयोगकर्ता के लिये गेट बंद का संकेत है, स्वतः ही बंद हो जायेगा। गेट सड़क यातायात के लिये खुला होने पर रोड सिगनल पीला संकेत प्रदर्शित करेगा।
- (iii) गेट आधी खुली अवस्था में रोकने/बंद करने की प्रक्रिया - जब गेटमैन गेट बंद कर रहा हो और आंशिक रूप से बंद हुआ हो, उसी समय गेटमैन गेट को गेट बंद करने की प्रक्रिया को रोकने की आवश्यकता हो तो, तब वह बटन को रिलीज कर देगा गेट उसी अवस्था में रूक जायेगा। यदि वह दुबारा बंद करना चाहता है तो, वह उसी बटन को दुबारा दबायेगा।
- (iv) आपात स्थिति में क्रैंक हैंडिल का उपयोग - जब गेट बटन द्वारा आपरेट नहीं हो तो गेटमैन काँच के बक्से का सील तोड़कर क्रैंक हैंडिल निकालेगा तब वह बूम लॉक स्टैन्ड में से चाबी लगाकर अनलॉक करेगा और तब वह क्रैंक हैंडिल द्वारा बूम को जरूरत के अनुसार खोलना / बंद करना करेगा। क्रैंक हैंडिल के उपयोग के बाद सिगनल विभाग के कर्मचारी को क्रैंक हैंडिल बॉक्स सील करने की सूचना देगा।



(के.जी गोस्वामी)

वरि.मं. परि. प्र./सा.एवं को./आगरा



(नितिन गर्ग)

वरि.मं.अभि/प्रथम/आगरा



(यश मिश्र)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

4. स्लाइडिंग बूम की कार्यप्रणाली-०:

1. स्लाइडिंग बूम द्वारा गेट को बंद करने की प्रक्रिया- इस गेट पर प्रत्येक साइड पर पावर ऑपरेटेड लिफ्टिंग बैरियर के साथ एक अतिरिक्त स्लाइडिंग बूम उपलब्ध है। प्रत्येक स्लाइडिंग बूम वर्तमान स्थित पावर ऑपरेटेड बूम के साइड के सामान्तर लगा रहेगा और सामान्यतः इस प्रकार स्थित रहेगा की स्लाइडिंग बूम का पुरा भाग सड़क से दूर रहे अर्थात् स्लाइडिंग बूम का कोई भाग सामान्यतः सड़क पर स्थित नहीं रहेगा। उपयोग किया स्लाइडिंग बूम को आपात स्थिति में उपयोग हेतु स्थापित किया गया है। जब पावर ऑपरेटेड लिफ्टिंग बूम खराब है या संकेत किसी कारण से प्राप्त नहीं हो पा रहे है। सामान्यतः अपने पोस्ट से पैडलॉक के साथ लॉक रहेगा लॉक के अन्दर की चाभी बूम स्टैण्ड पर उपलब्ध कराया गया है। प्रत्येक स्लाइडिंग बूम पर स्टॉप बोर्ड लगा हुआ है गेट को बंद /खोलने के उपरांत या गेट खुली स्थिति में रहने पर निम्नलिखित स्थिति हो सकती है।
- क. जब गेट बैरियर खोलने या बंद करने के दौरान खराब हो जाय या गेट खुली अवस्था में हो।
- ख. जब कभी गेट खोलन/बंद करने के दौरान टुट जाये ऐसी स्थिति में गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा जो कि उस सूचना को खराब बैरियर सही करने के लिये सिगनल विभाग के कर्मचारी को सूचित करेगा।
- ग. जब किसी कारण से बंद संकेत खराब हो जाय- गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा विशिष्ट निर्देश प्राप्त करने के बाद उपलब्ध रोक स्वीच का घुमाकर रिवर्स में करेगा जिससे रोड सिगनल लाल हो जायेगा और वह स्लाइडिंग बूम बंद करना शुरू करेगा गेट मैन को स्टेशन मास्टर द्वारा आवश्यक निर्देश मिलने के बाद रोड सिगनल को ऑन में करने के लिये दिये गये स्विच को रिवर्स करेगा तथा इसके बाद 'ए' साइड के स्लाइडिंग बूम को बन्द करेगा और स्लाइडिंग बूम को स्टैण्ड तक खीचेगा और चाबी को 'एक्स' मार्क बूम स्टैण्ड' में लगाकर लॉक कर देगा जिससे 'वाई' चाबी रिलीज हो जायेगी। फिर 'बी' साइड के स्लाइडिंग बूम को खीचेगा। 'वाई' चाबी को लॉक में लगाकर घड़ी के अनुसार घुमायेगा। जिससे 'बी' साइड का बूम भी लॉक हो जायेगा और तीसरी चाबी 'जेड' रिलीज हो जायेगी इस चाबी को लेकर गेटमैन गेटलॉज मे रखे टी-2/केएलसीआर में लगाकर घुमायेगा। जिससे बैरियर स्विच रिवर्स पोजीशन में आ जायेगा और गेट कन्ट्रोल रिले क्रियाशील हो जायेगी।

स्लाइडिंग बूम को खोलने की प्रणाली:-

गाडी गुजरने के बाद गेटमैन सड़क यातायात निकालने के लिये स्टेशन मास्टर से आवश्यक निर्देश प्राप्त करेगा। गेटमैन बैरियर स्विच को सामान्य स्थिति में करेगा जिससे गेट सिगनल खतरा स्थिति में हो जायेगा।

टी-2/केएलसीआर से 'जेड' चाबी निकालकर 'जेड' चाबी को 'बी' साइड के बूम के लगाकर खोलेगा जिससे 'वाई' चाबी निकल आयेगी अब इसी प्रकार 'वाई' चाबी की सहायता से 'ए' साइड के बूम को 'बी' साइड के बूम की प्रक्रिया के अनुसार खोलेगा। इसके बाद रोड सिगनल स्विच को सड़क यातायात निकालने के लिये सामान्य स्थिति में करेगा और सड़क यातायात क्लियर करेगा।

समपार फाटक गेट नम्बर 14 "सी" श्रेणी , टैक्फिक समपार फाटक , स्टेशन के रोक सिगनल को के द्वारा अन्तर्पार्शित , टेलिफोन उपलब्ध सड़क यातायात के लिये खुला।

1

प्रचालन की पद्धति:-

- (i) इस समपार फाटक की सामान्य स्थिति सड़क यातायात के लिये खुली है। इसमें उठने वाले नाके लगे है।
- (ii) समपार फाटक पर कार्यरत फाटक वाला अप/डाउन गाड़ियों के आगमन एवं प्रस्थान हेतु एवं फाटक की ओर शंटिंग के समय उठने वाले नाको द्वारा फाटक को सड़क यातायात के लिये बंद करने के लिये उत्तरदायी है।

(के.जी गोस्वामी)

वरि.मं. परि. प्र./सा.एवं को./आगरा

(नितिन गर्ग)

वरि.मं.अभि/प्रथम/आगरा

(योगेश मित्तल)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

- (iii) समपार फाटक वीडियू द्वारा नियन्त्रित किया जाता है। इसकी सामान्य स्थिति सड़क यातायात के लिये खुला है जो फाटक के ऊपर एक वृत्ताकार झिलमिलाती पीली बत्ती द्वारा संकेत वीडियू पर दर्शायी गयी है।
- (iv) यह समपार फाटक अन्तर्पाशित है और सिगनलों द्वारा सभी अप व डाउन गाड़ियों को संरक्षित करता है। सिगनल जब तक 'ऑफ' नहीं होगा जब तक कि फाटक सड़क यातायात के लिये बंद व तालित न कर दिया गया हो और कंट्रोल वीडियू को स्थानान्तरित कर दिया गया हो।
- (v) जब गाड़ी के आगमन व प्रस्थान के लिये सिगनल को "ऑफ" करने की आवश्यकता हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर समपार फाटक से गुजरने वाली गाड़ी के गाड़ी क्रमांक, विवरण, दिशा एवं सम्भावित समय के बारे में गेटमेन को सूचित करेगा, ऐसी सूचना प्राप्त कर गेटमेन समय से गेट को बन्द करेगा।
- (vi) गाड़ी संचालन हेतु गेट बन्द की सूचना मिलने के बाद गेटमैन सड़क यातायात निकालने के गेट बैरियर का लाल बटन दबाकर गेट बन्द करेगा जिससे कि गेट ऑपरेटिंग पैनल पर संचालन पूरा होने के बाद बन्द इंडीकेशन प्रदर्शित होगा इसके बाद गेटमैन ड्यूटी वाले स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा कि गेट बन्द कर दिया है गेट खोलने हेतु गेटमैन स्टेशन मास्टर से गाड़ी के बारे में पूछेगा यदि कोई गेट की तरफ आने वाले नहीं है तो गेट ऑपरेटिंग पैनल पर हरा बटन दबाकर बैरियर खोल देगा और गेट ऑपरेटिंग पैनल पर हरी बत्ती प्रदर्शित हो जायेगी।
- (vii) फाटक वाले से ऐसी सूचना प्राप्त करने के बाद व वीडियू पर बंद संकेत देखकर (वृत्ताकार सफेद झिलमिलाती बत्ती) कार्यरत स्टेशन मास्टर वीडियू के संचालन द्वारा नियंत्रण को वापस ले लेगा, और वीडियू पर सफेद बत्ती स्थिर हो जायेगी तब आवश्यक सिगनलों को ऑफ किया जा सकता है।
- (viii) गाड़ी के आगमन/प्रस्थान के बाद कार्यरत स्टेशन मास्टर वीडियू पर प्रदर्शित समपार फाटक पर क्लिक करके नियंत्रण को रिलीज करेंगे और टेलीफोन द्वारा फाटक वाले को सड़क यातायात निकालने के लिये व फाटक को खोलने के लिये निर्देशित करेंगे। एक दर्शनीय "मुक्त संकेत" भी फाटक पर गेटमैन को गेट खोलने के लिये दिखाई देगा।
- (ix) कार्यरत स्टेशन मास्टर से गेट को खोलने की सूचना प्राप्त कर गेटमैन "फ्री इंडीकेशन" को देखकर गेटमैन सड़क यातायात को निकालने के लिये गेट को खोल देगा।
- (x) कार्यरत पैनल सहा. स्टेशन मास्टर के गेट खोलने के उपरोक्त निर्देश मिलने के बाद एवं "मुक्त संकेत" देखने के बाद गेटमैन हरे बटन को जब तक दबाये रखेगा जब तक कि गेट सड़क यातायात के लिये नहीं खुल जाता तथा गेट पैनल पर संकेत प्राप्त नहीं हो जाता।
- (xi) गेट को आधीखुली स्थिति में रोकना/बंद करना:-जब फाटकवाला गेट बंद कर रहा हो और आधा बंद हो गया हो इसी बीच यदि गेट को बंद करना या रोकना हो तब वह बटन को रिलीज करेगा और बैरियर उस स्थिति में रुक जायेगा। यदि वह पुनः गेट बंद करना चाहे तो उसे उस बटन को पुनः दबाना होगा।
- (xii) गेट पर विद्युत आपूर्ति के विफल हो जाने पर गेट का संचालन (आपातकाल क्रैक हैडिल का उपयोग करना):- विद्युत संचालन के विफल हो जाने की स्थिति में जब फाटक बटन द्वारा संचालित नहीं हो रहा है तब गेटमैन क्रैक हैडिल को निकालेगा और सील बंद कॉच के बाक्स से चाबी निकालेगा। तब फाटक को क्रैक हैडिल द्वारा बंद अथवा खोलना जैसा भी, आवश्यक हो करेगा, क्रैक हैडिल के उपयोग के बाद वह एस एण्ड टी स्टाफ को सूचित करेगा व क्रैक हैडिल बाक्स को पुनः सील करायेगा।

(के.जी गोस्वामी)

वरि.मं. परि. प्र./सा.एवं को./आगरा

(नितिन गर्ग)

वरि.मं.अभि/प्रथम/आगरा

(योगेश मित्तल)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

2. गेटमैन को सूचना:

- (i) प्रस्थान/आगमन सिगनल को ऑफ करने से पूर्व स्टेशन मास्टर उस छोर के फाटक वाले को टेलीफोन द्वारा गाड़ी संचालन के विषय में जो कि समपार फाटक की ओर चलने वाली हो, के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी देगा।
- (ii) गेटमैन, गेट पैनल पर संकेत को देखेगा और गेट बन्द करेगा और यातायात के विरुद्ध गेट बंद करने की सूचना स्टेशन मास्टर को देगा
- (iii) तब आगमन/प्रस्थान सिगनल ऑफ किये जायेंगे।
- (iv) स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के क्रम में कि सड़क यातायात अधिक समय तक रूका न रहे, गेटमैन को गेट बन्द करने के लिए सूचित करने से पूर्व अवश्य सुनिश्चित करेंगे कि गाड़ी प्रस्थान हेतु सब प्रकार से तैयार है।
- (v) जब किसी गाड़ी का स्टेशन यार्ड की ओर से पायलट अथवा शंटिंग संचलन किया जाना है तो समपार के आर-पार पायलट करने अथवा शंटिंग करने के लिए प्रति नियुक्त कर्मचारी समपार फाटक के आर-पार किसी संचालन को अनुमत करने पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए कि गेट सड़क यातायात के लिए बन्द है, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं।

3. टेलीफोन संचार विफलता:-

यदि दूरभाष संचार विफल हो जाये अथवा 2-3 प्रयास के बाद भी गेटमैन की ओर से कोई जबाब नहीं मिलता तो निम्नांकित कार्यपद्धति अपनायी जायेगी।

- (i) कार्यरत स्टेशन मास्टर पोर्टर/पो0मैन द्वारा गेटमैन को लिखित सूचना सम्पूर्ण विवरण गाड़ी नम्बर,, विवरण दिशा आदि से भेजेंगे।
- (ii) गेटमैन ऐसी सूचना मिलने पर गेट बन्द करेगा और स्टेशन मास्टर को गेट कंट्रोल प्रेषित (ट्रंसासमिट) करेगा जिससे आगमन/प्रस्थान सिगनल ऑफ करना सम्भव करेगा।
- (iii) यदि गाड़ियों की अधिक आवृत्ति के कारण पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं है तो स्टेशन मास्टर गाड़ी के लोको पायलट को सिगनल ऑन स्थिति में पास होने का लिखित प्राधिकार देंगे।
- (iv) इसके साथ ही स्टेशन मास्टर लोको पायलट को, गेट पर सावधानीपूर्वक पहुँचने, लगातार सीटी बजाने के सुझाव सहित सावधानता आदेश जारी करेंगे।
- (v) गाड़ी के लोको पायलट को गेटमैन द्वारा हाथ सिगनल देने पर सावधानीपूर्वक समपार फाटक पार करने हेतु निर्देशित किया जायेगा। यदि हाथ सिगनल नहीं दिखाई देता तो लोको पायलट गेट से पहले रूकने के लिए तैयार रहेगा और सुनिश्चित करेगा कि गेट साधारण नियम 3.73(2) (ख) के अनुपालन में बन्द है।
- (vi) आने वाली गाड़ी के प्रकरण में स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बरो के आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेगा कि गेट पर टेलीफोन खराब हो गया है।
- (vii) प्रस्थान सिरे के स्टेशन मास्टर अपनी ओर से ब्लाक खण्ड में गाड़ी भेजने से पहले लोको पायलट को सावधानता आदेश जारी करेंगे।
- (viii) वह उत्तरदायी एस.एण्ड.टी. स्टाफ टेलीफोन की मरम्मत करने/सुधारने के लिए भी सूचित करेंगे।
- (ix) एस.एण्ड.टी. स्टाफ द्वारा टेलीफोन को सुधारने और पुनः संयोजन/ फिट मैमो देने के बाद ही सामान्य संचालन पुनः आरम्भ होगा।

(के.जी गोस्वामी)

वरि.मं. परि. प्र./सा.एवं को./आगरा

(नितिन गर्ग)

वरि.मं.अभि/प्रथम/आगरा

(योगेश मित्तल)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

4. लिफ्टिंग बैरियर की विफलता:

- (i) जब लिफ्टिंग बैरियर की विफलता के कारण गेट बन्द न किया जा सकता हो तो गेटमैन तत्काल कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट न. आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर ट्रेक को फाउल नहीं करता है।
- (ii) वह तत्काल दिन के समय लाल बैनर फ्लैग और रात के समय लाल बत्ती जिस ओर से गाड़ी आ रही है। उस और पहले और दूसरी ओर बाद में, खम्भे पर लगा देगा।
- (iii) गेटमैन सड़क यातायात के विरुद्ध गेट को संरक्षा चैन और पैडलॉग द्वारा सुरक्षित करेगा।
- (iv) गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध सुरक्षित करने के बाद गेटमैन दिन के समय हरी झण्डी और रात के समय हरी बत्ती, आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को दिखायेगा।
- (v) कार्यरत स्टेशन मास्टर जाने वाली गाड़ी को सावधानता आदेश जारी करेगा।
- (vi) वह प्रस्थान सिरे के स्टेशन मास्टर को भी गाड़ी के लोको पायलट को अपनी ओर से ब्लॉक खण्ड में भेजने से पूर्व उसी तरफ सावधानता आदेश जारी करने के लिए प्राइवेट नं0 आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेगा।
- (vii) स्टेशन मास्टर उत्तरदायी मेन्टेनेन्स स्टाफ को लिफ्टिंग बैरियर की शीघ्र मरम्मत करने/सुधारने हेतु सूचित करेगा।
- (viii) मेन्टेनेन्स स्टाफ द्वारा लिफ्टिंग बैरियर की मरम्मत करने के बाद पुनः संयोजन/फिट मैमो देने के बाद ही सामान्य संचालन पुनः आरम्भ होगा।

टिप्पणी:-

- (क) जाने और आने वाली गाड़ियों को सिगनल ऑन की हालत में पास करने के लिए नियमित प्राधिकार पत्र जारी किया जायेगा।

5. रोक सिगनलों का खराब होना:-

चूँकि गेट स्टेशन के रोक सिगनलों के साथ इण्टरलॉक है प्रत्येक गाड़ी को सावधानता आदेश जारी किया जाना चाहिए और आने वाली तथा जाने वाली गाड़ियों के लोको पायलट को नियमानुसार सिगनलों को ऑन स्थिति में पास करने का प्राधिकार भी दिया जायेगा।

6. फाटक पर अवरोध:

- (i) यदि गेट सड़क परिवहन द्वारा क्षतिग्रस्त हो जाये तो ट्रेक को उल्लिखित (फाउल) कर रहा हो अथवा यदि लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग ट्रेक को फाउल कर रहा हो या गेट पर अन्य कोई अवरोध हो तो गेटमैन तत्काल दिन के समय लाल बैनर फ्लैग और रात के समय रात बत्ती गेट के दोनों ओर इस ओर निमित्त लगे हुए खम्भों पर लगा देगा।
- (ii) समपार फाटक पर किसी असामान्य घटना के दौरान किसी गाड़ी के लिये दिये हुये सिगनल ऑन करने हेतु समपार फाटक पर आपातकालीन स्विच दिया गया है। किसी असामान्य घटना के समय गेट मैन स्विच द्वारा सिगनलों को ऑन कर देगा।
- (iii) गेटमैन इसके बाद तत्काल कार्यरत स्टेशन मास्टर को खराबी /अवरोध के बारे में प्राइवेट नं0 आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेगा।
- (iv) कार्यरत स्टे.मा. को सुझाव दिया जायेगा कि आगमन/प्रस्थान सिगनलों को ऑन स्थिति में कर दे, यदि किसी गाड़ी के लिए ऑफ किये गये हो।
- (v) यदि 2-3 प्रयास के बाद भी स्टेशन मास्टर द्वारा जबाब नहीं मिलता तो वह पहले गेट का बचाव करेगा और तब टेलीफोन पर सूचना देगा।

(के.जी. गोस्वामी)

वरि.मं. परि. प्र./सा.एवं को./आगरा

नितिन

(नितिन गर्ग)

वरि.मं.अभि/प्रथम/आगरा

योगेश

(योगेश मित्तल)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

- (vi) तब गेटमैन पटाखे/लाल फ्लैशिंग हाथ सिगनल और दिन के समय लाल झण्डी तथा रात के समय लाल हाथ बत्ती सहित, गाड़ी आने की दिशा में अति वेग से जायेगा और गेटमैन की ड्यूटी सम्बंधी सामान्य अनुदेश के अधीन मद संख्या 1.5 (5) में निर्दिष्ट नियमानुसार गेट का बचाव करेगा।
- (vii) उसके बाद वह दूसरी दिशा से भी गेट का बचाव करेगा।
- (viii) वह सड़क वाहन के विवरण, चालक, मालिक का नाम नोट करेगा तथा स्टेशन मास्टर को देगा जो कि गाड़ी को तब तक नहीं चलायेगा। जब तक कि गेटमैन द्वारा यह आश्वासन न कर दिया जाये कि सड़क यातायात लिफ्टिंग बैरियर ट्रेक को उल्लिखित नहीं कर रहा है।
- (ix) स्टेशन मास्टर प्रस्थान सिरे के स्टेशन मास्टर को भी प्राइवेट नं0 आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेंगे कि ब्लॉक खण्ड में वह अपनी ओर से कोई गाड़ी न भेजें तब तक कि ट्रेक अवरोध से मुक्त न हो जाये।
- (x) ट्रेक अवरोध से मुक्त हो जाने के बाद गेटमैन प्राइवेट नं0 आदान-प्रदान के अन्तर्गत स्टेशन मास्टर को तदनुसार सूचित करेगा।
- (xi) स्टेशन मास्टर सभी गाड़ियों के लोको पायलट को सावधानता आदेश जारी करेंगे कि सावधानी से आगे बढ़े और गेट सिगनल को ऑन स्थिति में हरे हाथ सिगनल पर पार करें। यदि गेट क्षतिग्रस्त है, किन्तु अवरोध मुक्त है तो गेटमैन निर्धारित प्रक्रिया द्वारा स्लाइडिंग बूम का संचालन करेगा।
- (xii) यदि स्लाइडिंग बूम भी खराब हो तो गेटमैन संरक्षा चिन्ह एवं पैडलॉक से गेट को सुरक्षित करेगा और यदि गेट पर अवरोध नहीं है तो हरा हाथ सिगनल दिखायेगा।
- (xiii) स्टेशन मास्टर उत्तरदायी स्टेशन मेन्टेनेन्स स्टाफ को लिफ्टिंग बैरियर की मरम्मत के लिए शीघ्रातिशीघ्र सूचित करेंगे।
- (xiv) मेन्टीनेन्स स्टाफ द्वारा खराब लिफ्टिंग बैरियर को सुधारने एवं पुनः संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही सामान्य संचालन पुनः आरम्भ किया जायेगा।

7. समपार फाटक के समीप ट्रेक पर अवरोध:-

यदि पटरी के टूटने अथवा पेड़ के गिरने, सड़क वाहन द्वारा फाउल किये जाने अथवा डिरेलमैन्ट जो कि गेटमैन को दिखाई पड़ता हो, तो, गेटमैन और स्टेशन मास्टर उपर्युक्त वर्णित मद संख्या 8 के अनुसार कार्य पद्धति अपनायेंगे। यदि अवरोध समपार फाटक को फाउल करता है तो गेटमैन सड़क यातायात के विरुद्ध गेट को बंद रखेगा जब तक कि ट्रेक अवरोध मुक्त न हो जाये।

(के.जी. गोस्वामी)

वरि.मं. परि. प्र./सा.एवं को./आगरा

नितिन

(नितिन गर्ग)

वरि.मं.अभि/प्रथम/आगरा

योगेश

(योगेश मित्तल)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

परिशिष्ट "क"

समपार फाटक की कार्यप्रणाली

1.1 सामान्य

1.1.1 समपार फाटक का विवरण

1	फाटक संख्या	17
2	श्रेणी	सी
3	इंजीनियरिंग/यातायात फाटक	इंजीनियरिंग
4	अधीन स्टेशन अधीन/रेल पथ निरीक्षक	रेल पथा निरीक्षक /मथुरा जं०(वेस्ट)
5	किमी० पर स्थित	1418/9-10
6	स्टेशन	राधाकुण्ड
7	स्टेशन मध्य	राधाकुण्ड -गोवर्धन
8	बी०जी०/एम०जी०/एन०जी०	बी०जी०.
9	इकहरी/दोहरी/मिश्रित	इकहरी
10	इन्टरलाकड/नानइन्टरलाकड	नॉन इन्टरलाकड
11	इन्टरलॉकिंग का प्रकार	-
12	गेट सिगनलों का प्रावधान किलोमीटर	-
13	संचार साधन टेलीफोन/घंटी	टेलीफोन एस.एम. राधाकुण्ड से सम्बद्ध
14	फाटक की सामान्य स्थिति	सड़क यातायात के लिए खुला
15	सिगनलिंग व्यवस्था	-
16	कर्मचारियों की संख्या	2 (प्रत्येक 12घंटे की पाली)
17	समपार फाटक की चौड़ाई	5.5 मीटर
18	सड़क का प्रकार ;एन.एच./एस.एच./अन्य	अन्य
19	सड़क का नाम	सोनई -राधाकुण्ड
20	पक्का/कच्चा	पक्का
21	पहुँच मार्ग	पक्का
22	सड़क की चौड़ाई	5.5 मीटर
23	सड़क का क्रॉसिंग कोण गेट के लिए	-
24	सड़क का ढाल ;यदि कोई हो (iii) उत्तर/पूर्व की तरफ (iv) दक्षिण/पश्चिम की तरफ	समतल समतल
25	सड़क की सीधार्ई (सीधा/घुमावदार) (iii) उत्तर/पूर्व की तरफ (iv) दक्षिण/पश्चिम की तरफ	सीधा सीधा
26	हाइट गेज का प्रावधान	हाँ
27	बैरियर का प्रकार	लिफ्टिंग बैरियर
28	चेक रेल की लम्बाई	7.5 मीटर
29	समपार के मध्य सड़क की सतह	पक्का (समतल)
30	रोड स्ट्रिप/गति अवरोधक की लम्बाई	सड़क चौड़ाई के अनुसार
31	रोड साइन	उपलब्ध है।
32	गति अवरोधक बोर्ड	उपलब्ध है।
33	टी बी यू	12535 मई 2022
34	अग्रिम गणना की तिथि	मई 2025
35	पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान	उपलब्ध है।
36	निकटतम रेलवे सहायता केन्द्र	मथुरा रेलवे स्टेशन
37	निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता ;यदि कोई हो	मथुरा/गोवर्धन/राधाकुण्ड
38	उपलब्ध उपकरणों की सूची	संलग्न सूची अनुसार उपलब्ध हैं।

(के.जी गोस्वामी)

वरि.मं. परि. प्र./सा.एवं को./आगरा

नितिन

(नितिन गर्ग)

वरि.मं.अभि/प्रथम/आगरा

योगेश

(योगेश मित्तल)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

1.2 समपार पर उपस्करों की सूची

क्रमांक	मद	मात्रा/संख्या
1.	हैन्ड सिगनल बत्ती / ट्राई कलर टार्च	3
2.	हैन्ड सिगनल हरी झंडी	2 डंडी में लिपटी हुई
3.	हैन्ड सिगनल लाल झंडी	3 डंडी में लिपटी हुई
4.	लाल बैनर फ्लैग	3
5.	लाल बैनर फ्लैग दिखाने के लिए पोस्टें	2
6.	तालों सहित अतिरिक्त जंजीरें	2 स्टॉप मार्क के साथ
7.	पटाखे	10 (प्लास्टिक के डब्बे में)
8.	फलैशिंग हैण्ड सिगनल (लाल तथा हरा)	1
9.	गेट बत्तियां	2
10.	टॉमी बार	1
11.	मोटर पैन	1
12.	कुदाल/फावड़ा	1
13.	थापी	1
14.	गैंती	1
15.	झंडियों के लिए टिन बॉक्स	1
16.	तेल के लिए कनस्तर	1
17.	पानी के लिए बर्तन/वाल्टी	1
18.	मस्टर रोल के लिए कनस्तर	1
19.	जो गेटमैन चश्मा पहनते हैं, उनके लिए चश्मे का अतिरिक्त सैट	1
20.	गेट पर रुकावट होने की दशा में समपार गेट रेखाचित्र की सुरक्षा को निर्धारित करने वाला बोर्ड	1
21.	टोकरी	1
22.	सीटी	1
23.	दीवार घड़ी	1
24.	छोटी जंजीर	2

टिप्पणी -1. उन समपार फाटकों पर जो केबिन मास्टर /केबिन मैन /लीवर मैन द्वारा प्रचलित है मद संख्या 11,12 13, 14, 16, 18, 20 एवं 21 के बिना काम चलाया जायेगा।

1.3 गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख

- 01 फाटक संचालन निर्देश हिन्दी/अंग्रेजी में
- 02 गेटमैन नियम पुस्तक हिन्दी/अंग्रेजी में
- 03 उपकरण एवं पुस्तको की सूची
- 04 झूटी रोस्टर
- 05 फाटकवाला का कार्य करने का प्रमाण-पत्र
- 06 फाटकवाला का विवरण संबंधी बायोडाटा, नेत्रजॉच पास करने की तिथि, प्रारम्भिक/पुनश्चर्या, पाठ्यक्रम संरक्षा शिविर आदि के सहित।
- 07 दुर्घटना रजिस्टर
- 08 समपार फाटक पर अन्तिम सड़क यातायात गणना का अभिलेख
- 09 जन शिकायत पुस्तिका
- 10 निरीक्षण पुस्तिका
- 11 संकेत एवं दूरसंचार पंजिका - अन्तर्पार्शित इंजीनियरिंग गेट के मामले में

(के.जी गोस्वामी)

वरि.मं. परि. प्र./सा.एवं को./आगरा

नितिन

(नितिन गर्ग)

वरि.मं.अभि/प्रथम/आगरा

योगेश

(योगेश मित्तल)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

प्रचालन की पद्धति:- समपार के दोनो बूम लिफ्टिंग बैरियर द्वारा परिचालित है इसलिये बूम एक साथ खोले व बन्द किये जाते हैं।

1.5

गेटमेन की ड्यूटी:-

1. सतर्कता- गेटमेन सतर्क रहेगा और किसी खतरे की आशंका होते ही त्वरित कार्यवाही हेतु तत्पर रहेगा/फाटक की चाबियाँ उसके निजी अभिरक्षा में रहेगी।

2.

गाड़ी पास होते समय गेटमेन की स्थिति:-

गाड़ियों के गुजरते समय गेटमेन निम्न निर्दिष्ट रीति में खड़ा रहेगा-

- (i) गेटमेन आने वाली गाड़ी के सामने मुह करके गेटलॉज के सामने खड़ा रहेगा।
- (ii) गेटमेन दिन के समय लाल और हरी झंडी अलग-अलग डंडे पर लपेटी/समेटी हुई क्रमशः दाये और बाये हाथ में पकड़े रहेगा।
- (iii) गेटमेन रात के समय सफेद प्रकाश युक्त हाथ बत्ती रेलपथ की ओर करके पकड़े रहेगा।
- (iv) वह अपने गले में एक डोरी लगी हुई सीटी लटकाये रहेगा।

3.

गेटमेन की नियमित ड्यूटी:-

- (i) गेटमेन सुनिश्चित करेगा कि जब भी अन्नतर्पार्शित गेट सड़क यातायात के लिये खुला होगा अथवा आपातकाल के दौरान या गेट पर अवरोध के दौरान लाल बैनर फ्लैग/लाल बत्ती रेलपथ के एक छोर से दूसरे छोर तक लगी है।
- (ii) गेटमेन सुनिश्चित करेगा कि गेटलैम्प और सभी गेट सिगनलो की बत्तियां प्रकाशित हैं तथा सूर्यास्त से सूर्योदय तक जलती रहती हैं।
- (iii) गेटमेन ड्यूटी रोस्टर के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन कड़ाई के साथ करेगा और तब तक गेट नहीं छोड़ेगा जब तक कि रिलीवर न आ जाये तथा कार्यभार ग्रहण न कर लें। यदि आपातकालीन स्थिति में गेट छोड़ना ही पड़े तो उसे गेट छोड़ने से पूर्व फाटकों को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द करके ताला अवश्य लगा देना चाहिए।
- (iv) जहाँ किसी विशिष्ट अनुदेशों के अनुसार छूट है को छोड़कर गेटमेन सभी गुजरती हुई गाड़ियों को ध्यान से देखेगा और गाड़ियों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करने हेतु तैयार रहेगा।
- (v) गेटमेन सभी गुजरने वाली गाड़ियों को अत्यन्त सावधानीपूर्वक देखेगा और किसी भी असामान्य स्थिति जैसे गरम धुरा, लटकती हुई चैन, लटकती हुई बैटरी, अन्य वाहन/वैगन/ट्रेन, बैटरी बॉक्स में लगी आग, लोड का खिसकना, गिरती हुई चीज जैसे-ब्रेक ब्लॉक, ब्रेक बीम, संरक्षा ब्रेकेट, निर्वात सिलेण्डर या अन्य स्थिति जो संरक्षित गाड़ी संचालन में खतरा पैदा कर सकते हैं उनका तीव्र एवं सावधानी पूर्ण निरीक्षण करेगा।
- (vi) गेटमेन किसी सिगनल को दुहराने के लिए भी तैयार रहेगा, जो गार्ड द्वारा लोको पायलट को वाकी-टाकी या अन्य साधन द्वारा दिया जा सकता है।
- (vii) यदि लिफ्टिंग बैरियर क्षतिग्रस्त अथवा अव्यस्थित हो तो गेटमेन अतिरिक्त चैन को डिस्क एवं पैडलॉक सहित सड़क यातायात के विरुद्ध फाटक को सुरक्षित करने के लिए प्रयोग में लायेगा।
- (viii) गेटमेन स्टेशन मास्टर, गैगमेट या खण्ड अभियंता/रेलपथ को गेट अथवा उससे संबंधित उपकरण में किसी भी खराबी की सूचना शीघ्रातिशीघ्र देगा।
- (ix) गेट सिगनल खराब हो जाने की दशा में गेटमेन सिगनल को ऑन की स्थिति में रखेगा चाहे उसे सिगनल से तारों को अलग करना पड़े।

(के.जी गोस्वामी)

वरि.मं. परि. प्र./सा.एवं को./आगरा

(नितिन गर्ग)

वरि.मं.अभि/प्रथम/आगरा

(योगेश मित्तल)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

- (x) गेट के सिगनल खराब हो गये हो, गेटमैन गाड़ी को देखते ही लिफ्टिंग बैरियर बंद करेगा और ताला लगा देगा तथा गाड़ी को हाथ सिगनल दिखाकर या पायलट करके खराब सिगनल को पार करेगा। ऐसे मामले में अगले स्टेशन पर रिपोर्ट करने के लिये लोको पायलट को सूचित करेगा।
- (xi) गेटमैन जब समपार फाटक पर ड्यूटी पर हो तो बैज तथा निर्धारित यूनिफार्म पहनेगा।
- (xii) गेटमैन सुनिश्चित करेगा कि जब वह ड्यूटी पर है उसके पास सक्षमता प्रमाण पत्र है।
- (xiii) गेटमैन फाटक संचालन निर्देशों के अनुरूप कार्य करेगा और इन अनुदेशों से भलीभाँति अवगत बना रहेगा।
- (xiv) गेटमैन सुनिश्चित करेगा कि गेट पर आपूर्ति किए गये उपस्कर अच्छी हालत में हैं और तत्काल प्रयोग के लिए तैयार हैं।
- (xv) गेटमैन देखेगा कि पहिए की कोर (फ्लेंज) के लिए पथ (चैनल) साफ रखा गया है।
- (xvi) गेटमैन कच्ची सड़क की ऊपरी सतह को अच्छी तरह से पानी का छिड़काव एवं दुरमुस करेगा।
- (xvii) गेटमैन यह देखने के लिए चौकस रहेगा कि सड़क उपयोगकर्ता को गेट बंद होने के कारण कम से कम असुविधा हो।
- (xviii) विद्युतीकरण (इलेक्ट्रीफाइड) खण्ड में गेटमैन यह सावधानीपूर्वक देखेगा कि सड़क वाहन/जानवर जो समपार से पास हो रहे है, वे समपार के दोनों ओर लगे हुये ऊँचाई लदान मापी के अन्दर है
- (xix) गेटमैन व्यक्तियों अथवा पशुओं के अतिचार (ट्रेस पासिंग) को रोकने का हर संभव प्रयास करेगा।

4.0 गाड़ियों में असामान्य घटना के प्रकरण मे कार्यवाही-

- यदि फाटकवाला किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्नवत कार्यवाही करेगा:-
- (i) वह गुजरती हुई गाड़ी के लोको पायलट और गार्ड को सचेत करने के लिये दिन में लाल झंडी और रात में लाल बत्ती दिखाकर त्वरित कार्यवाही करेगा।
 - (ii) ट्रेन पार्टिंग के मामले में गेटमैन रुकने का लाल हाथ सिगनल नहीं दिखाएगा, परन्तु ट्रेन पार्टिंग के लिये निर्धारित सिगनल दिन में हरी झंडी और रात में सफेद बत्ती लम्ब रूप में ऊपर नीचे करते हुये हिलायेगा।
 - (iii) वह साथ-साथ लोको पायलट तथा गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिये लगातार सीटी बजाकर, बोलते समय हाथों की मुद्रा से हाव-भाव अभिव्यक्त करके ब्रेकवान पर गिट्टी फेंककर अथवा अन्य साधन द्वारा लोको पायलट तथा गार्ड का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करेगा।
 - (iv) यदि लोको पायलट और गार्ड ध्यान देने में विफल रहते है तो गेटमैन स्टेशन मास्टर को, यदि टेलीफोन द्वारा सम्बन्ध है, समुचित कार्यवाही हेतु प्राइवेट नम्बर आदान-प्रदान के अन्तर्गत तत्काल सूचित करेगा।

5.0 आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही

- (i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर गेटमैन गेट सिगनल को ऑन स्थिति मे रखेगा।
- (ii) इसके उपरान्त यदि फाटकवाला अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए फाटक की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा
- (iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं तो फाटकवाला सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।
- (iv) समपार फाटक पर किसी असामान्य घटना के दौरान किसी गाड़ी के लिये दिये हुये सिगनल ऑन करने हेतु समपार फाटक पर आपातकालीन स्विच दिया गया है। किसी असामान्य घटना के समय गेट मैन स्विच द्वारा सिगनलों को ऑन कर देगा।

(के.जी.भोस्वामी)

वरि.मं. परि. प्र./सा.एवं को./आगरा

(नितिन गर्ग)

वरि.मं.अभि/प्रथम/आगरा

(योगेश मित्तल)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

गेटमैन लाइन/फाटक का बचाव निम्नवत् करेगा

- (क) इकहरी लाइन खंड पर
- (i) गेटमैन दिन के समय एक लाल बैनर फ्लैग तथा रात के समय एक लाल बत्ती अवरोध स्थल से 5 मीटर की दूरी पर इस निमित्त यथोचित लगाये गये खम्भों पर लगा देगा। जिस ओर से गाड़ी आने की संभावना है उस ओर का बचाव वह पहले करेगा।
- (ii) तब वह उसी प्रकार से दूसरी ओर का भी बचाव करेगा।
- (iii) तब गेटमैन फाटक के बचाव के लिये पटाखे, लाल फ्लैशिंग हाथ सिगनल और दिन के समय लाल झंडी एवं रात के समय लाल हाथ बत्ती के साथ-साथ आगे जायेगा।
- (iv) गेटमैन दिन के समय लाल झंडी एवं रात के समय लाल हाथ बत्ती दिखाते हुये उस ओर जिधर से गाड़ी आने की संभावना पहले हो 600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा, उसके बाद वह समपार फाटक से 1200 मीटर तथा जायेगा और ट्रैक पर 3 पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन का बचाव करने के बाद वह रास्ते के मध्य स्थित पटाखे को उठाते हुये फाटक पर वापस आ जायेगा।
- (v) उसके बाद वह दूसरी दिशा की ओर लाल हाथ सिगनल दिखाता हुआ आगे जायेगा और उपर्युक्त उप पैरा (iv) में वर्णित नियमानुसार पटाखे लगायेगा और अवरोध स्थल पर वापस लौटते समय रास्ते के मध्य स्थित पटाखे को उठा लेगा।
- (vi) समपार फाटक पर वापस आ जाने के बाद अवरोध को हटाने के लिये कदम उठायेगा तथा आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सचेत करेगा।
- (vii) यदि गेटमैन यह देखता अथवा सुनता है कि गाड़ी आने वाली है जब कि वह बचाव करने के रास्ते में ही है तथा निर्धारित दूरी जहां पटाखे लगने हैं, से पहले तो वह जितनी दूर जा सकता है वहां लाइन पर पटाखे लगा देगा।
- (viii) उसके बाद वह लोको पायलट को सचेत करने के लिये लाल फ्लैशिंग हाथ सिगनल जलायेगा और स्थिर रखेगा आने वाली गाड़ी को दिन में लाल झंडी और रात के समय लाल हाथ बत्ती बारम्बार हिला कर रोकेगा।

टिप्पणी:- वे समपार फाटक जो स्टेशन के सबसे बाहरी सिगनलों के मध्य स्थिति है। उपर्युक्त उप पैरा 4 में वर्णित नियमानुसार पटाखे लगाने से मुक्त है।

(ख) गेटमैन द्वारा की जाने वाली अन्य कार्यवाही:-

- (i) गेटमैन रात के समय दो हाथ सिगनल बत्तियाँ जलायेगा और लाल बत्ती दिखाने/प्रदर्शित करने तथा उप पैरा न. के (क) एवं (ख) वर्णित नियमानुसार लाइन का बचाव करने संबंधी कार्यवाही करेगा।
- (ii) यदि गेट सड़क वाहन द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया हो जो ट्रैक उल्लंघित कर रहा हो अथवा लिफ्टिंग बैरियर या अन्य कोई भाग ट्रैक को उल्लंघित कर रहा हो या समपार फाटक पर कोई अन्य अवरोध हो तो गेटमैन त्वरित कार्यवाही करेगा।
- (iii) वह सड़क वाहन के सभी विवरण वाहन का नंबर, चालक व मालिक का नाम नोट करेगा और समीपस्थ स्टेशन मास्टर अथवा खंड अभियंता, रेलपथद्ध को विवरण और समपार फाटक पर अवरोध के संबंध में संदेश वाहक अथवा अन्य साधन द्वारा संदेश भेजेगा।

इंजीनियरिंग मद:-

- 1.6 समपार फाटकों पर दृश्यता संबंधी आवश्यकता समपार संपर्क मार्ग पर स्पीड ब्रेकर का प्रावधान और यातायात गणना आदि भारतीय रेलवे स्थाई रेल पथ नियमावली के पैरा 916, 918 919 में वर्णित है।



(के.जी गोस्वामी)

वरि.मं. परि. प्र./सा.एवं को./आगरा



(नितिन गर्ग)

वरि.मं.अभि/प्रथम/आगरा



(योगेश मित्तल)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

समपार फाटक 17, सी श्रेणी इंजीनियरिंग समपार फाटक नॉन इन्टरलॉकड, टेलीफोन उपलब्ध एवं सामान्य स्थिति सड़क यातायात के लिये बंद

1. प्राइवेट नंबरों का आदान-प्रदान:-

- (i) गेटमैन फाटक खोलने के लिये स्टेशन मास्टर से अनुमति लेगा।
- (ii) यदि सड़क यातायात को निकालने के लिये गेट खोला गया है तो गेटमैन स्टेशन मास्टर के साथ प्राइवेट नम्बर की अदला-बदली करेगा और सुनिश्चित करेगा कि गाड़ी गेट से पूरी निकल गई है उसके बाद स्टेशन मास्टर गेटमैन से गेट को खोलने की अनुमति देगा। स्टेशन मास्टर किसी गाड़ी को लाइन क्लीयर देने से पहले ऐसी स्थिति में ब्लॉक खण्ड में सड़क यातायात के लिये गेट बन्द है कि पुष्टि प्राइवेट नम्बर कि अदला-बदली करके करेगा।
- (iii) समुचित प्रविष्टि लाल स्याही से ट्रेन सिगनल रजिस्टर, प्राइवेट नंबर बुक और लॉग बुक में स्टेशन मास्टर द्वारा की जायेगी।
- (iv) सड़क यातायात निकलने के बाद गेटमैन फाटक बंद करेगा और इसकी पुष्टि स्टेशन मास्टर से प्राइवेट नंबर आदान-प्रदान के अंतर्गत करेगा।
- (v) ब्लॉक खण्ड में दुबारा किसी गाड़ी को प्रवेश की अनुमति से पूर्व स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि गेटमैन द्वारा गेट बंद कर दिये जाने के प्रमाण के रूप में उससे प्राइवेट नम्बर प्राप्त कर लिया गया है।
- (vi) एक बार बंद किया गया फाटक गाड़ी/गाड़ियों के पास होने पर अथवा गाड़ी संचालन योजना में परिवर्तन किये जाने आदि में स्टेशन मास्टर की अनुमति से सड़क यातायात की निकासी के लिये जैसा आवश्यक हो, गेटमैन द्वारा खोला जा सकता है। स्पष्ट रूप से यह तभी किया जा सकता है जब प्राइवेट नंबरों का आदान-प्रदान नियंत्रक स्टेशन मास्टर से किया जायेगा जो सुनिश्चित करेंगे कि समपार की ओर कोई गाड़ी संचालन नहीं है।

2. टेलीफोन संचार विफलता:-

यदि दूरभाष संचार विफल हो जाये अथवा 2-3 प्रयास के बाद भी गेटमैन की ओर से कोई जवाब नहीं मिलता तो निम्नांकित कार्य-पद्धति अपनाई जायेगी-

- (i) प्रस्थान सिरे के स्टेशन मास्टर अपनी ओर से ब्लॉक खण्ड में गाड़ी भेजने से पूर्व लोको पायलट को सावधानता आदेश जारी करेंगे।
- (ii) सावधानता आदेश, लोको पायलट को लगातार सीटी बजाने और गेट पर सावधानीपूर्वक पहुँचने का सुझाव देगा।
- (iii) गाड़ी के लोको पायलट को गेटमैन द्वारा हाथ सिगनल देने पर सावधानीपूर्वक समपार फाटक पार करने हेतु निर्देशित किया जायेगा। यदि हाथ सिगनल नहीं दिखाई देता तो लोको पायलट गेट से पहले रुकने के लिए तैयार रहेगा और अपने सहायक लोको पायलट को फाटक की स्थिति देखने के लिये प्रतिनियुक्त करेगा। यदि गेट बन्द है तो ऑल राइट सिगनल देगा और यदि गेट बन्द नहीं है तो सहायक लोको पायलट गेट को अवश्य बन्द करेगा और तब ऑल राइट सिगनल देगा। सहायक लोको पायलट की अनुपस्थिति में लोको पायलट गार्ड की सहायता ले सकता है और समपार को अवरोध मुक्त करके सहायक लोको पायलट को लेने के लिये रुकेगा सड़क यातायात पारण के लिये गेट को पुनः खोलेगा।
- (iv) आने वाली गाड़ी के प्रकरण में स्टेशन मास्टर प्रस्थान सिरे पर स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेगा कि गेट का टेलीफोन खराब है।
- (v) प्रस्थान सिरे के स्टेशन मास्टर अपनी ओर से ब्लॉक खण्ड में गाड़ी भेजने से पहले लोको पायलट को सावधानता आदेश जारी करेंगे।



(के.जी गोस्वामी)

वरि.मं. परि. प्र./सा.एवं को./आगरा



(नितिन गर्ग)

वरि.मं.अभि/प्रथम/आगरा



(योगेश मित्तल)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

- (vi) स्टेशन मास्टर, गैगमैन/पेट्रोलमैन अथवा पहली गाड़ी के लोको पायलट द्वारा गेटमैन को भी सूचना देगे की टेलिफोन खराब हो गया है।
- (vii) वह उत्तरदायी एस.एण्ट.टी. स्टाफ को टेलिफोन मरम्मत करने गेट खराबी शीघ्र दूर करने के लिये सूचित करेंगे।
- (viii) एस एण्ड टी स्टाफ द्वारा टेलिफोन को सुधारने और पुनः संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही सामान्य संचालन पुनः आरम्भ होगा।

3. लिफ्टिंग बैरियर की विफलता:-

- (i) जब लिफ्टिंग बैरियर अथवा लीफगेट की विफलता के कारण गेट बंद न किया जा सकता हो तो गेटमैन तत्काल कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नंबर के आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर ट्रैक को फाउल नहीं करता है।
- (ii) वह तत्काल दिन के समय लाल बैनर फ्लैग और रात के समय लाल बत्ती जिस ओर से गाड़ी आ रही है उस ओर पहले और फिर दूसरी ओर बाद में, खम्भे पर लगा देगा।
- (iii) गेटमैन सड़क यातायातक विरुद्ध गेट को सेफ्टी चैन और पैडलॉक द्वारा सुरक्षित करेगा।
- (iv) गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध सुरक्षित करने के बाद गेटमेन दिन के समय हरी झण्डी और रात के समय हरी बत्ती, आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को दिखायेगा।
- (v) कार्यरत स्टेशन मास्टर जाने वाली गाड़ी को सतर्कता आदेश जारी करेंगे।
- (vi) वह प्रस्थान सिरे के स्टेशन मास्टर को भी गाड़ी के लोको पायलट को अपनी ओर से ब्लॉक खण्ड में भेजने से पूर्व उसी तरह सतर्कता आदेश जारी करने के लिए प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेंगे।
- (vii) स्टेशन मास्टर उत्तरदायी मेन्टेनेन्स स्टाफ को लिफ्टिंग बैरियर की शीघ्र मरम्मत करने/सुधारने हेतु सूचित करेंगे।
- (viii) मेन्टेनेन्स स्टाफ द्वारा लिफ्टिंग बैरियर की मरम्मत करने के बाद पुनः संचोजन/ फिट मेमो देने के बाद ही सामान्य संचालन पुनः आरम्भ होगा।

4. समपार फाटक पर अवरोध:-

- (i) यदि गेट सड़क वाहन द्वारा क्षतिग्रस्त हो जाये जो ट्रैक को उल्लंघित ;फाउलद्ध कर रहा हो अथवा यदि लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग ट्रैक को फाउल कर रहा हो या गेट पर अन्य कोई अवरोध हो तो गेटमैन तत्काल दिन के समय लाल बैनर फ्लैग और रात के समय लाल बत्ती गेट के दोनों ओर इस निमित्त लगे हुए खम्भों पर लगा देगा।
- (ii) गेटमैन इसके बाद तत्काल कार्यरत स्टेशन मास्टर को खराबी/अवरोध के बारे में प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेगा।
- (iii) कार्यरत स्टेशन मास्टर को सुझाव दिया जायेगा कि आगमन/प्रस्थान सिगनलों को ऑन की स्थिति में कर दें, यदि किसी गाड़ी के लिए ऑफ किये गये हों।
- (iv) यदि 2-3 प्रयास के बाद भी स्टेशन मास्टर द्वारा जबाब नहीं मिलता तो गेटमैन पहले गेट का बचाव करेगा और तब टेलिफोन पर सूचना देगा।
- (v) तब गेटमैन पटाखे, दिन के समय लाल झंडी तथा रात के समय लाल हाथ बत्ती सहित गाड़ी आने की दिशा में अतिवेग से जायेगा और गेटमैन की ड्यूटी संबंधी सामान्य अनुदेश के अधीन मद सं.1.5;5द्ध में निर्दिष्ट नियमानुसार गेट का बचाव करेगा।



(के.जी गोस्वामी)

वरि.मं. परि. प्र./सा.एवं को./आगरा



(नितिन गर्ग)

वरि.मं.अभि/प्रथम/आगरा



(योगेश मिश्र)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

- (vi) उसके बाद वह दूसरी दिशा से भी गेट का बचाव करेगा।
 - (vii) वह सड़क वाहन के विवरण, चालक, मालिक का नाम नोट करेगा तथा स्टेशन मास्टर को देगा जोकि गाड़ी को तब तक नहीं चलायेंगे जब तक कि गेटमैन द्वारा यह आश्वासन न कर दिया जाय कि सड़क यातायात लिफ्टिंग बैरियर ट्रैक को उल्लंघित नहीं कर रहा हो।
 - (viii) स्टेशन मास्टर प्रस्थान सिरे के स्टेशन मास्टर को भी प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेंगे कि ब्लॉक खण्ड में वह अपनी ओर से कोई गाड़ी न भेजें जब तक कि ट्रैक अवरोध से मुक्त न हो जाये।
 - (ix) ट्रैक अवरोध से मुक्त हो जाने के बाद गेटमैन प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अन्तर्गत स्टेशन मास्टर को तदनुसार सूचित करेगा।
 - (x) यदि गेट क्षतिग्रस्त है, किन्तु अवरोध मुक्त है तब स्टेशन मास्टर सभी गाड़ियों के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेंगे कि सावधानी से आगे बढ़ें और गेट सिगनल को ऑन की स्थिति में गेटमैन के हरे हाथ सिगनल पर पार करें।
 - (xi) गेटमैन संरक्षा चेन एवं पैडलाक से गेट को सुरक्षित करेगा और यदि गेट पर अवरोध नहीं है तो हरा हाथ सिगनल दिखायेगा।
 - (xii) स्टेशन मास्टर उत्तरदायी मेन्टेनेन्स स्टाफ को लिफ्टिंग बैरियर की मरम्मत के लिए शीघ्रातिशीघ्र सूचित करेगा।
 - (xiii) मेन्टीनेन्स स्टाफ द्वारा खराब लिफ्टिंग बैरियर को सुधारने एवं पुनः संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही सामान्य संचालन पुनः आरम्भ किया जायेगा।
5. **समपार फाटक से समीप ट्रैक पर अवरोध:-** यदि पटरी से टूटने अथवा पेड़ के गिरने, सड़क वाहन द्वारा फाउल किये जाने अथवा डिरेलमेंट जो कि गेटमैन को दिखाई पड़ता हो, अवरोध गेट को फाउल करता हो, तो गेटमैन और स्टेशन मास्टर उपर्युक्त वर्णित मद सं. 5 के अनुसार कार्य पद्धति अपनायेंगे। गेटमैन सड़क यातायात के विरुद्ध गेट को बंद रखेगा जब तक कि ट्रैक अवरोध मुक्त न हो जाये।



(के.जी. गोस्वामी)

वरि.मं. परि. प्र./सा.एवं को./आगरा



(नितिन गर्ग)

वरि.मं.अभि/प्रथम/आगरा



(योगेश मिश्र)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

परिशिष्ट "ख"

1.0 स्टेशन संचालन नियम डायग्राम

कांटों तथा सिगनलों की सामान्य दशा, यार्ड के ट्रैक सर्किट किए गए भाग की सीमा, ढलान तथा सभी लाइनों के नाम एवं वहन क्षमता तथा साथ के स्टेशन की दूरी को स्टेशन संचालन नियम डायग्राम संख्या एस. ई-1402/सी दिनांक 25.04.19 में दिखाया गया है।

2.0 ब्लाक संचालन

साथ के ब्लाक स्टेशनो के मध्य गाड़ी संचालन की पद्धति निम्नलिखित है:-

साथ के स्टेशन राधाकुण्ड-गोवर्धन एवं राधाकुण्ड-मोरा के साथ पूर्ण ब्लॉक पद्धति लागू है। अन्तिम रोक सिगनल मोरा और गोवर्धन की तरफ टोकन लैस यू.एफ.एस.बी.आई पैनल ब्लॉक उपकरण द्वारा नियंत्रित है।

3.0 सिगनलिंग व अन्तर्पाषन की पद्धति

राधाकुण्ड एक विशेष श्रेणी का मानक-II(R) से अन्तर्पाषित स्टेशन है। इस स्टेशन पर बहुसंकेती रंगीन प्रकाश वाले सिगनलों की व्यवस्था है। सभी कांटे विद्युत द्वारा संचालित होते हैं तथा क्रैंक हैण्डिल से अन्तर्पाषित है। सभी कांटे व सिगनल स्टेशन मास्टर द्वारा वी डी यू से संचालित किए जाते हैं। वीडियू स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले डायलॉग बॉक्स द्वारा कांटे व सिगनल संचालित किए जाते हैं। कांटो व सिगनलो के मध्य विद्युतीय एस एस आई अन्तर्पाषन की व्यवस्था है।

वी डी यू द्वारा नियंत्रित स्टेशन का डायग्राम जिसमें कांटो व सिगनलो की भौगोलिक स्थिति दर्शायी गई है स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। सामान्यतः रूट सैटिंग कांटो का संचालन, सिगनल/कांटा/टैक मैनु के विकल्प से किया जाता है।

आपातकालीन सहायता कमांड वी डी यू द्वारा दो पास कमांड से नियंत्रित होता है।

स्टेशन मास्टर कन्सोल एल सी पी (वी डी यू) जिसमें कि एक कम्प्यूटर रंगीन स्क्रीन के साथ की-बोर्ड तथा माउस की व्यवस्था है। वीडियू पर टैक की स्थिति दर्शाने के लिए सॉफ्टवेयर की व्यवस्था है। जब किसी फंक्शन का चुनाव करना हो तो सम्बन्धित सूचनाओं के साथ एक दिशा निर्देश का प्रारूप प्रदर्शित होता है जिसके द्वारा उचित कमांड का चयन किया जाता है।

आपातकाल के लिए एक अतिरिक्त वी डी यू व्यवस्था है। यदि मुख्य एल सी पी विफल हो जाए तो स्टेशन मास्टर दूसरे एल सी पी को स्विच ओवर कर लेगा।

4.0 सिगनल गियर का विवरण

निम्न सिगनल वी डी यू द्वारा नियंत्रित है-

(क) मुख्य सिगनल

क्र.सं	सिगनलों का नम्बर	सिगनलों का नाम	विस्तृत विवरण
1	एस-1	अप एडवॉस स्टार्टर सिगनल	2 ऑस्पैक्ट
2	एस-2	डाउन होम सिगनल	3 ऑस्पैक्ट रूट के साथ
3	एस-3	रिक्त	-
4	एस-4	रिक्त	-
5	एस-5	अप मेन स्टार्टर	3 ऑस्पैक्ट
6	एस-6	रिक्त	-
7	एस-7	अप लूप स्टार्टर (लाइन नं. 1)	2 ऑस्पैक्ट
8	एस-8	रिक्त	-
9	एस-9	रिक्त	-
10	एस-10	रिक्त	-
11	एस-11	अप लूप स्टार्टर (लाइन नं. 3)	2 ऑस्पैक्ट
12	एस-12	डाउन लूप स्टार्टर (लाइन नं. 1)	2 ऑस्पैक्ट

(योगेश मिश्रा)

वरि.मं.सि.दू.सं.अभि./सम./आगरा

13	एस-13	रिक्त	
14	एस-14	रिक्त	
15	एस-15	रिक्त	
16	एस-16	डाउन लूप स्टार्टर (लाइन नं. 3)	2 ऑस्पैक्ट
17	एस-17	रिक्त	
18	एस-18	डाउन मुख्य स्टार्टर	3 ऑस्पैक्ट
19	एस-19	अप मुख्य होम	3 ऑस्पैक्ट रूट के साथ
20	एस-20	डाउन अग्रिम स्टार्टर सिगनल	2 ऑस्पैक्ट

ख) शंट सिगनल

21	शंट सिगनल -101	रिक्त	-
22	शंट सिगनल-102	डाउन शंट सिगनल डाउन मुख्य लाइन से डाउन लूप लाइन नं. 3 से सिगनल नं. 16 तक या डाउन मेन लाइन नं. 2 से सिगनल 18 तक या डाउन लूप लाइन नं. 1 से सिगनल नं. 12 तक शंटिंग के लिये।	स्वतंत्र
23	शंट सिगनल -103 से शंट सिगनल-198	रिक्त	-
24	शंट सिगनल -199	अप शंट सिगनल अप मुख्य लाइन से अप लूप लाइन न. 1 से सिगनल न.-07 तक या अप मेन लाइन न. 2 से सिगनल 05 तक या अप लूप लाइन न. 3 से सिगनल-11 तक शंटिंग के लिये।	स्वतंत्र

ग) कॉलिग ऑन

क्रम संख्या	सिगनल नम्बर	विवरण	विस्तृत विवरण
1	सीओ- 2	डाउन कॉलिग ऑन सिगनल (डाउन मुख्य लाइन और डाउन लूप लाइन नं.1 व 3)	डाउन होम सिगनल नं 2 के नीचे
2	सी.ओ -19	अप कॉलिग ऑन सिगनल (अप मुख्य लाइन और अप लूप लाइन नं.1 व)	अप होम सिगनल नं; 19 के नीचे

घ) ब्लॉक उपकरण

राधाकुण्ड-मोरा और राधाकुण्ड-गोवर्धन के मध्य अप एव डाउन लाइन ब्लॉक सीमा।	ब्लॉक क्लीयरेंस डिजिटल एक्सल काउंटर के साथ यू.एफ.एस.बी.आई पैनल ब्लॉक उपकरण द्वारा नियंत्रित है
---	--



(यॉश मिटल)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

5.0 वी डी यू संकेत

स्टेशन मास्टर के वी डी यू स्क्रीन पर स्टेशन आरेख पर निम्नलिखित संकेत लगाये गये हैं-

5.1 मुख्य सिगनल संकेत

- क) लाल संकेत- मुख्य सिगनलो को "रूको" संकेत पर सैट करके प्रदर्शित करता है।
- ख) एक पीला संकेत-मुख्य सिगनलो को नियंत्रित/अनुमत संकेत "सतर्कता" पर सैट करके प्रदर्शित करता है।
- ग) दो पीला संकेत-मुख्य सिगनलो को नियंत्रित/अनुमत संकेत "सावधान" पर सैट करके प्रदर्शित करता है।
- घ) हरा संकेत-मुख्य सिगनलो को नियंत्रित/अनुमत संकेत "आगे बढ़ो" पर सैट करके प्रदर्शित करता है।
- ड.) एक पीला व स्लाइट संकेत-मुख्य सिगनलो को नियंत्रित/अनुमत संकेत सतर्कता के साथ रूट संकेतक पर सैट करके प्रदर्शित करता है।
- च) सभी होम सिगनलो के नीचे बुलावा सिगनल लगाये गये हैं। वी डी यू पैनल पर बुलावा सिगनल ऑफ होने का संकेतक सम्बन्धित सिगनल के लाल संकेत के नीचे गोल पीले संकेत के रूप में प्रज्वलित होता है।

5.2 शंट सिगनल संकेत

- क) क्षैतिज दिशा में सफेद बत्ती सिगनल के ऑन होने के संकेत देती है तथा सफेद गोल बत्ती रूट फ्री का संकेतक पर सैट होती है।
- ख) नीला/सफेद संकेत प्रदर्शित होने के लिए शंट सिगनल आगे बढ़ो पर सैट होता है। सफेद गोला पीले संकेतक के साथ यह दर्शाता है कि रूट सैट व तालित है।

5.3 ट्रैक संकेत

- क) जब ट्रैक परिपथ घिरा न हो व खराब न हो तब ग्रे रंग का ट्रैक संकेत प्राप्त होगा।
- ख) जब ट्रैक परिपथ घिरा हो व खराब हो तब लाल रंग का संकेत प्राप्त होगा।
- ग) जब रूट सैट हो तब यह पीला रंग का ट्रैक संकेत देगा।

5.4 कांटा संकेत

- क) जब कांटा सामान्य स्थिति में सैट हो तो सफेद स्ट्रिप बत्ती जलती है। जब कांटा संचालित किया जाता है तब थोड़े समय के लिए फ्लैश करता है अथवा खराबी के दौरान निरन्तर फ्लैश करता है।
- ख) जब कांटा विपरीत स्थिति में सैट हो तो सफेद तिरछी स्ट्रिप बत्ती जलती है। जब कांटा संचालित किया जाता है तब थोड़े समय के लिए फ्लैश करता है अथवा खराबी के दौरान निरन्तर फ्लैश करता है।
- ग) प्रत्येक क्रॉस ओवर के पृष्ठ भूमि में ग्रे रंग का आयताकार संकेत यह प्रदर्शित करता है कि कांटा किसी रूट से तालित है। जब रूट सैट किया जाता है उस दौरान यह संकेत फ्लैश करता है।
- घ) गहरे पीले कलर के पृष्ठ भूमि में कांटे का आयताकार संकेत यह प्रदर्शित करता है कि कांटा किसी रूट के लिए उपलब्ध नहीं है अर्थात् इसकी स्थिति को बदला नहीं जा सकता। फिर भी कांटे को स्वतंत्र संचालन द्वारा चलाया जा सकता है, ऐसी स्थिति में जब एक गहरा पीला आयताकार संकेत प्रदर्शित करता है तो यह माना जाएगा कि कांटा संचालित किया जा सकता है।
- ड.) जब कांटे का क्रैंक हैण्डिल नियंत्रण रिलीज किया गया हो तो कांटे के समीप हरे रंग का संकेत चाबी डी ई टी के साथ उभरता है और जब क्रैंक हैण्डिल चाबी बाहर निकाल ली जाती है तो इसके स्थान पर मेजेन्टा रंग की पृष्ठ भूमि का संकेत प्रज्वलित हो जाता है।
- च) जब कांटा अवरुद्ध हो और चलाया न जा सके तो इसके निकट नीले रंग का संकेत उभरता है।


(योगेश मिश्र)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

5.5 रूट संकेत

राधाकुण्ड यार्ड का सम्पूर्ण बिछाव प्रत्येक दिशा में होम से लेकर अन्तिम रोक सिगनल तक ट्रैक परिपथ द्वारा सुसज्जित है। जैसा कि वी डी यू पर दर्शाया गया है, यह ट्रैक परिपथ विभिन्न क्षेत्रों में विभक्त किया गया है सामान्यतः जब कोई रूट सैट न हो तो यह सफेद संकेत देता है और जब सिगनल ऑफ करने के लिए कमांड दी जाती है तो रूट का सम्पूर्ण परिपथ पीले रंग से फ्लैश करता है जब सारे कांटे सैट हो कर ओवर लैप तक रूट तालित हो जाता है तो यह संकेत स्थिर पीला हो जाता है तथा यह दर्शाता है कि रूट सैट व तालित हो चुका है।

5.6 रूट रिलीज

रूट संकेत प्रज्वलित होने के बाद रूट के सभी कांटे तालित हो जाते हैं जिन्हें संचालित नहीं किया जा सकता। जैसे ही गाड़ी ट्रैक पर आती है यह पीला संकेत लाल में परिवर्तित हो जाता है और गाड़ी गुजरते ही पुनः पीला हो जाता है तथा संचालन समाप्त होने पर पीला संकेत चला जाता है तथा सफेद संकेत वापस आ जाता है इससे यह संकेत मिलता है कि रूट रिलीज हो चुका है तथा दूसरे संचालन हेतु कांटों को चलाया जा सकता है।

बर्थिंग ट्रैक पर गाड़ी आने के 120 सैकेण्ड बाद ओवर लैप रिलीज होता है। जैसे ही गाड़ी बर्थिंग पर आती है रूट रिलीज होने का संकेत पीला लाइट बुझने से पता चलेगा कि 'ओवी' संकेत फ्लैश करने लगता है तथा समय अन्तराल पूर्ण होने पर यह रिलीज हो जाता है।

5.7 कांटा व सिगनल लैप विफलता संकेत

कांटा या सिगनल विफलता के मामले में कंट्रोल वीडियू पैनल पर सम्बन्धित कांटों या सिगनल का स्थिर संकेत फ्लैशिंग करने लगेगा यदि किसी सिगनल का हरा संकेत फ्लैशिंग करता है इसका अर्थ रोक सिगनल का हरी लैम्प और यदि डिस्टेंट सिगनल का ऑफ आस्पैक्ट लैम्प फ्यूज हो गया है लेकिन सिगनल ऑफ ऑस्पैक्ट दर्शाता है लेकिन वीडियू पैनल पर हरा फ्लैशिंग के साथ लाल स्थिर संकेत है तो इसका अर्थ है कि सिगनल का ऑफ ऑस्पैक्ट लैम्प फ्यूज हो गया है और सिगनल ऑन स्थिति दर्शा रहा है सिगनल का लाल संकेत फेल हो जाने पर वीडियू पैनल पर लाल फ्लैशिंग संकेत दर्शायेगा। कार्यरत स्टेप्शन मास्टर तुरन्त पिछले स्टेप्शन के स्टेप्शन मास्टर को सूचित करेगा तथा गाड़ी के लोको पायलट को सिगनल भुझा हुआ है, सतर्कता से चले का सतर्कता आदेश जारी करायेगा तथा सिगनल मटेन्टेनर को सूचित कर फ्यूज सिगनल लैम्प को ठीक करायेगा।

5.8 क्रैंक हैण्डिल संकेत

प्रत्येक क्रैंक हैण्डिल जोन का संकेत वी डी यू पर दर्शाया गया है तथा स्थिर सफेद बत्ती जलने पर यह संकेत मिलता है कि क्रैंक हैण्डिल तालित है व स्थिर लाल बत्ती जलने पर क्रैंक हैण्डिल रिलीज कर दिया गया है।

5.9 विद्युत आपूर्ति संकेत

निम्नलिखित विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की गई है-

1. एटी सप्लाई
2. लोकल सप्लाई (यूपीपीसीएल)
3. डीजल जनरेटर सप्लाई
4. एकीकृत पावर सप्लाई

स्टेशन मास्टर कक्ष में वी डी यू पैनल पर स्वचलित व हस्त चलित विद्युत आपूर्ति चेंज ओवर लगाया गया है।


(योजेश चितल)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

5.10 फ्लैशिंग संकेत

फ्लैशर रिले वी डी यू पैनल पर निरन्तर फ्लैशिंग को दोहराता है इसकी उपलब्धता यह दर्शाती है कि फ्लैशर रिले उपकरण कार्यरत है यदि यह उपकरण खराब हो जाता है तो फ्लैशर या तो बुझ जाएगा या स्थिर हो जाएगा। इसकी सूचना तत्काल सिगनल अनुरक्षक को दी जाएगी। खराबी के दौरान सिगनलो व कांटो की फ्लैशिंग स्थिति वी डी यू पर उपलब्ध नहीं होगी फिर भी सिगनलो का ऑफ होना इस बात का आश्वासन है कि कांटे सही स्थिति में सैट है। फ्लैशर रिले खराबी के दौरान सभी सिगनल संचालन सामान्य रूप से किया जाएगा किन्तु बिना सिगनल के संचालन से पहले कांटो को क्लैम्प व तालित किया जाएगा। फिर भी बिना सिगनल के संचालन से पहले स्टेपन मास्टर कॉंटो का सही सैट होना और तालित होना सुनिश्चित करेगा कार्यरत स्टेपन मास्टर सुनिश्चित करेगा कि सम्बन्धित कॉटे क्लैम्प व तालित है।

5.11 सिगनल का जलना/बुझना/टिमटिमाना

जब सिगनल लगातार संकेत में परिवर्तन करे तो इसे टिमटिमाना कहते हैं तथा ऐसी स्थिति में सिगनल का प्रतिबन्धित संकेत का पालन किया जाएगा। सामान्य नियम 3.68, 3.69, 3.70, 9.12 व सहायक नियम की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

सिगनल के लगातार संकेत में परिवर्तन होने की सूचना मिलने पर स्टेपन मास्टर इसे संकेत विफलता पुस्तिका में दर्ज करेगा व इसकी सूचना संकेत अनुरक्षक को देगा। इस तरह की विफलता को खण्ड नियन्त्रक को भी बतायेगा जो चार्ट पर रिकार्ड करेगा तथा कार्यवाही करेगा।

6.0 कांटो का वी डी यू से संचालन

6.1 विद्युत द्वारा कांटो/क्रॉस ओवर का संचालन

रनिंग लाइन पर गाड़ियों के सिगनल द्वारा संचालन के लिये और कांटो की नार्मल और रिवर्स सैटिंग के लिये कांटो पर विद्युत चालित मशीन लगाई गयी है।

यार्ड में निम्नलिखित कांटो को वी डी यू से संचालित किया जाता है:-

क्रास ओवर नं. 201 ए/202 बी

क्रास ओवर नं. 202 ए/202 बी

क्रास ओवर नं. 298 ए/298 बी

क्रास ओवर नं. 299 ए/299 बी

सभी कांटे स्टेपन आरेख व वी डी यू स्क्रीन पर दर्शाये गये हैं।

6.1.1 कांटो का अलग-अलग संचालन

कांटे पर राइट क्लिक संचालित किया जाएगा तब मेनू प्रज्वलित होगा मेनू में लैफ्ट क्लिक से सब मेनू प्राप्त होगा। सब मेनू में लेफ्ट क्लिक करके कमांड भेजा जाएगा यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी तब नार्मल अथवा रिवर्स कमांड प्रेषित की जाएगी। कमांड मिलने पर कांटा नार्मल अथवा रिवर्स स्थिति में जाएगा इस दौरान यह फ्लैश करेगा। जब कांटा सैट हो जाएगा तब एक चौरस गहरी पीली रंग का बॉक्स सफेद स्थिर संकेत के साथ उभरेगा।

6.1.2 क्रैंक हैण्डिल

कांटो का हस्त चलित संचालन हेतु क्रैंक हैण्डिल की व्यवस्था की गई है। जब कांटे वी डी यू से विद्युत द्वारा संचालित न हो सके तो इसका उपयोग किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक कांटे के पास लोकेषन बक्से में इसकी नियंत्रण चाबी (के एल सी आर) लगाई गई है यह चाबी सामान्यतः तालित रहती है किन्तु वी डी यू से प्वाइंट मेनू में जाकर क्रैंक हैण्डिल रिलीज कमांड देकर इसे निकाला जा सकता है। इस प्रक्रिया से कांटे के पास उपलब्ध संकेत हरे स्थिर संकेत के साथ फ्लैश करेगा। जब कांटे वाला लोकेषन से चाबी निकाल लेगा तो यह संकेत मेजेन्टा रंग के पृष्ठ भूमि में परिवर्तित हो जाएगा। इसके पश्चात् चाबी को कांटा मशीन में लगा कर क्रैंक हैण्डिल के लिए अनलॉक किया जाएगा और क्रैंक हैण्डिल लगाकर कांटे को वांछित स्थिति में चलाया जाएगा।


(योयेश मिट्तल)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

के एल सी आर चाबी प्रत्येक कांटा मशीन की अलग-अलग होती है तथा क्रैंक हैण्डिल को किसी भी मशीन में लगाया जा सकता है जिस कांटे के लिए क्रैंक हैण्डिल चाबी निकाली जाएगी उससे सम्बन्धित प्रत्येक सिगनल व रूट तब तक विफल रहेगे जब तक कांटे को सैट करके उसका नियंत्रण सामान्य न कर दिया जाए। कार्यरत स्टेपन मास्टर द्वारा क्रैंक हैण्डिल रिलीज होने के बाद सिगनल अपने रूट के साथ फेल माना जायेगा जब तक कि वी.डी.यू. पर क्रैंक हैण्डिल की सामान्य संकेत प्राप्त नहीं हो जाता।

क्र.स.	क्र.स.	क्रैंक हैण्डिल
1	क्रास ओवर 201 ए/202 बी	सी एच-1
2	क्रास ओवर 202 ए/202 बी	सी एच-2
3	क्रास ओवर 298 ए/298 बी	सी एच-98
4	क्रास ओवर 299 ए/299 बी	सी एच-99

क्रैंक हैण्डिल द्वारा कांटे के हाथ परिचालन के बाद दो परिस्थितियाँ सामने आयेगी:-

(क) जिस स्थिति में कांटे को हैन्ड क्रैंकिंग किया है उस स्थिति में सही संकेत वी डी यू पर आ जाए तो सामान्य संचालन किया जाएगा।

(ख) किसी कारण से संकेत वी डी यू पर नहीं आता। सिगनल ऑफ नहीं होंगे इसलिये कांटो को क्लैम्प व तालित करके गाड़ियों को टी/369(3बी) जारी किया जायेगा। संचालन के पश्चात यदि वीडियू से कांटे नार्मल नहीं होते हैं तो क्रैंक हैण्डिल के कांटो को नार्मल में सैट कर दिया जायेगा। क्रैंक हैण्डिल निकालने व वापस करने का समय निर्धारित पंजिका में दर्ज किया जाएगा।

कार्यरत स्टेपन मास्टर यह सुनिश्चित करने के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा कि -

1. विफल हुए कांटो पर क्रैंक हेतु भेजे गए कर्मचारी को दिये गये निर्देश उसने पूर्ण रूप से समझ लिये हैं।
2. जितने समय के लिए क्रैंक हैण्डिल निकाला गया है तब तक के लिए सम्बन्धित खराब कांटो पर कोई संचालन नहीं किया जायेगा अथवा विषिष्ट नियमों के अन्तर्गत ही संचालन किया जाएगा।
3. स्टेपन मास्टर एक विषेष पंजिका में क्रैंक हैण्डिल के उपयोग, विफल हुए कांटे का नम्बर समय तथा दिनांक सहित दर्ज करेगा। यदि संकेत वी डी यू पर नहीं आता। तो सिगनल जब तक ऑफ नहीं होंगे जब तक कांटो को क्लैम्प व तालित न कर लिया हो इसके बाद टी/369(3बी) जारी करके गाड़ी पायलट की जायेगी।
4. कार्यरत स्टेपन मास्टर/राधाकुण्ड के साथ प्रत्येक क्रैंक हैण्डिल जोन चुम्बकीय फोन द्वारा जुड़ा है।
5. अब दो परिस्थितियाँ सामने आयेगी:-

(क) जिस स्थिति में कांटे को हैन्ड क्रैंकिंग किया है उस स्थिति में सही संकेत आ सकता है।

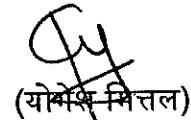
या

(ख) किसी कारण से कोई संकेत नहीं आता। पैरा 'क' के सम्बन्ध में गाड़ियों को सही सिगनलों पर आगमन किया जायेगा। पैरा 'ख' के सम्बन्ध में चूंकि सिगनल ऑफ नहीं होंगे इसलिये गाड़ियों को टी/369(3बी) पर पायलट किया जायेगा। इस सम्बन्ध में साधारण तथा सहायक नियम पुस्तक के साधारण नियम 3.51 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

टिप्पणी- यदि किसी कांटे का डिसकनेक्शन लगाया गया है और उसके लिए क्रैंक की आवश्यकता नहीं है तो मेमो पर स्पष्ट लिखा जाएगा कि क्रैंक हैण्डिल की आवश्यकता नहीं है।

6.1.3 कांटे का आपात संचालन

कांटो आपात संचालन करने के लिए स्टेपन मास्टर सर्वप्रथम आपात कांटा नार्मल/रिवर्स विकल्प लगायेगा। तत्पश्चात् संकेत प्राप्त होने पर आपात काल कमांड देगा।


(यशोवन्त मिश्र)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

टिप्पणी- यदि किसी कांटे का नियंत्रक टैक विफल हो जाता है तो सामान्य संचालन द्वारा कांटे का संचालन नहीं किया जा सकता। कार्यरत स्टेपन मास्टर यह सुनिश्चित करने के बाद ही विफल कांटे का टैक साफ तथा बाधा रहित है उस कांटे को आपात कांटा संचालन द्वारा वांछित स्थिति में सैट करेगा। आपात कांटा संचालन के लिये ई०डब्ल्यू०एन० का उपयोग करके कांटा नार्मल या रिवर्स में सैट करने के लिये सम्बन्धित कमांड देगा। प्रत्येक संचालन पर एक काउन्टर बढ़ेगा जिसे सम्बन्धित पंजिका में दर्ज किया जाएगा।

6.2 मुख्य सिगनल का संचालन:-

मुख्य सिगनल को ऑफ करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी-

जिस लाइन के लिए सिगनल ऑफ करना है उस पर एप्रोच टैक सहित बर्थिंग लाइन ओवर लैप तक साफ होनी चाहिए। सम्बन्धित बॉक्स में विकल्प चुनने के बाद वी डी यू पर कमांड प्रज्वलित होगी।

रूट सैट करते समय उस सिगनल से अन्तिम रोक सिगनल तक पीली बत्ती फ्लैश होगी तथा कांटे सैट व तालित होने तक फ्लैश करते रहेगे। कांटा तालित होने का संकेत ग्रे रंग का चौरस पृष्ठ भूमि संकेतक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा रूट सैट होने के बाद अन्तिम रोक सिगनल तक पीला स्थिर संकेत प्रज्वलित हो जाएगा तथा सिगनल का लाल संकेत रूट सैट होने के बाद हरा अथवा पीला हो जाएगा।

यदि गाडी लूप लाइन में ली जाती है तो होम सिगनल के ऊपर एक लाइन में पीला संकेत मिलेगा यह प्रदर्शित करता है कि रूट इंटीकेटर जल रह है रूट के कांटे सैट तथा तालित न हो जाये के पश्चात होम सिगनल एक पीला संकेत देगा।

6.3 कॉलिंग ऑन सिगनल का संचालन:-

सभी होम सिगनलों के नीचे बुलावा सिगनल लगाये गये है जो ट्रैक परिपथ की खराबी के दौरान ऑफ किये जा सकते है।

- (i) कॉलिंग ऑन सिगनल जब ही दिया जायेगा जब ट्रैक सर्किट फेल हो या ओवरलैप का कांटा या ट्रैक सर्किट फेल हो या मुख्य सिगनल का लैम्प फेल हो।
- (ii) कॉलिंग ऑन सिगनल देने से पूर्व मद संख्या 1 के अनुसार मुख्य सिगनल को ऑफ करने की पर्तें पूरी हो और गाडी द्वारा ट्रैक सी 2टी, घिरा हो कॉलिंग ऑन सिगनल नं. 2 दिया जायेगा तथा मुख्य सिगनल लाल में रहेगा
- (iii) सीओ 2 पर क्लिक करे, मुख्य सिगनल एस-2 के रूट क्लिक करे, मुख्य सिगनल की तरह कॉलिंग ऑन सिगनल दिखेगा कॉलिंग ऑन सिगनल देने से पूर्व स्टेपन मास्टर एस-2 को ऑफ करने की कोषिष करेगा। जब सीओ-2 क्लिक किया जायेगा मुख्य लाइन सलैक्ट की जायेगी कॉलिंग ऑन सिगनल देने से पूर्व ट्रैक नं. सी 2टी बाधित होना चाहिए। ट्रैक सर्किट फेल होने पर भी कॉलिंग ऑन सिगनल आयेगा, कॉलिंग ऑन सिगनल फ्लैश करता रहेगा, 60 सेकेण्ड बाद स्थिर हो जायेगा।
- (iv) परिस्थितियों के अनुसार मुख्य सिगनल ऑफ करने की कोषिष की जायेगी, उसके बाद कॉलिंग ऑन सिगनल देगे इसके लिये सी-2 टीसी-3 सिगनल संकेत पीला होना चाहिए, मुख्य सिगनल लाल में होगा। कॉलिंग ऑन सिगनल 60 सैकिंड फ्लैश करेगा।
- (v) मुख्य सिगनल कैसिल करने के लिये सिगनल कैसिल सलैक्ट करे यह कॉलिंग ऑन भी हो सकता है।
- (vi) मुख्य लाइन सिगनल को रद्द करने के लिये वीडियू पर "सिगनल कैसिल" चुना जायेगा।
- (vii) कॉलिंग ऑन रूट के लिये कॉमन रूट रिलीज की सुविधा दी गयी है। जब रूट रिलीज किया जायेगा तो जीएलकेई 120 सेकेण्ड के लिये फ्लैश करेगा 120 सैकिंड के बाद रूट रिलीज हो जायेगा।
- (viii) आपात काल रूट कैसिल वीडियू में दिया गया है, जब इस विकल्प पर क्लिक किया जायेगा जब वह सहा.स्टे.मास्टर का अलग से नाम व पासवर्ड दिया जायेगा, यह 120 सेकेण्ड तक इंतजार नहीं करेगा रूट व ओवरलैप तुरन्त कैन्सिल हो जायेगा।
- (ix) इसी तरह सीओ-19 का (i) से (vii) के अनुसार संचालन हो सकता है।

6.4 शंट सिगनल का संचालन:-

शंटिंग के संचालन हेतु शंट सिगनल पर क्लिक करने के बाद विभिन्न विकल्प दिखाई देगे जिनमें आवश्यकता अनुसार विकल्प को क्लिक करके शंट सिगनल ऑफ किया जा सकता है।

(योगेश मिश्र)

वरि.मं.सि.द.सं. अभि./सम./आगरा

- 7.0 संचालन चार्ट/शीट
7.1 अप/डाउन गाड़ियों का संचालन
डाउन गाड़ियों का आगमन

क्रसं०	रूट	-	वी डी यू पर वांछित संचालन
1	लाइन नं. 2 पर डाउन गाड़ी का आगमन	1	फाटक सं0.14 के क्लोज विकल्प पर लैफ्ट क्लिक करके कमांड को वर्तमान प्रार्थना स्टैक बाक्स में ट्रॉसमिट करेंगे।
		2	कार्यरत स्टेशन मास्टर फाटक सं014 के फाटक वाले को(गाड़ी का नम्बर और गाड़ी की दिशा)फाटक बंद करने के लिये सूचित करेगा।
		3	जब फाटक वाला फाटक बंद कर देगा तो एल एक्स मेनू के नीचे पीला संकेत प्रदर्शित होगा। समपार फाटक के 14 के एल एक्स पर लैफ्ट क्लिक करके और मैनु पर लैफ्ट क्लिक करके स्टैक बाँक्स में प्रार्थना सम्प्रेषित की जायेगी। गेट तालित का पीला संकेत उभर जायेगा।
		4	सही कमांड मिलने पर स्टैक बाँक्स में इसकी स्वीकृति प्रदर्शित हो जायेगी।
		5	सिगनल नं. एस -2 पर माउस बटन या लैफ्ट क्लिक करके सही कमांड मिलने पर स्टैक बाक्स में इसकी स्वीकृति प्रदर्शित हो जायेगी। डाउन होम सिगनल एस-2 से डाउन मेन लाइन स्टार्टर सिगनल नं0 एस-18 तक सही कमांड मिलने पर सम्पूर्ण ट्रैक पीले रंग से फ्लैश करने लगेगा।
		6	रूट सेंटिंग के दौरान कॉटि फ्लैश करेंगे तथा कांटे सैट व तालित होने पर ग्रे रंग का आयातकार बाँक्स से संकेत प्राप्त होगा।
		7	रूट सैट व तालित होने के बाद डाउन होम सिगनल एस-2 से 299बीटी तक पीला संकेत स्थिर हो जायेगा।
		8	रूट सैट होने के बाद जब सिगनल क्लीयर हो जाये तब डाउन होम सिगनल सं0 एस-2 का लाल संकेत हरा (या पीला) हो जायेगा।



(योगेश मित्तल)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

2	लाइन नं. 1 पर डाउन गाडी का आगमन	1 2 3 4 5 6 7 8	फाटक सं0.14 के क्लोज विकल्प पर लैफ्ट क्लिक करके कमांड को वर्तमान प्रार्थना स्टैक बाक्स में ट्रॉसमिट करेंगे। कार्यरत स्टेशन मास्टर फाटक सं014 के फाटक वाले को(गाडी का नम्बर और गाडी की दिशा)फाटक बंद करने के लिये सूचित करेगा। जब फाटक वाला फाटक बंद कर देगा तो एल एक्स मेनू के नीचे पीला संकेत प्रदर्शित होगा। समपार फाटक के 14 के एल एक्स पर लैफ्ट क्लिक करके और मैनु पर लैफ्ट क्लिक करके स्टैक बाॅक्स में प्रार्थना सम्प्रेषित की जायेगी। गेट तालित का पीला संकेत उभर जायेगा। सही कमांड मिलने पर स्टैक बाॅक्स में इसकी स्वीकृति प्रदर्शित हो जायेगी। सिगनल संख्या एस-2 पर माउस बटन का लैफ्ट क्लिक करके सही कमांड मिलने पर स्टैक बाक्स में इसकी स्वीकृति प्रदर्शित हो जायेगी। डाउन होम सिगनल एस-2 में डाउन लूप लाइन स्टार्टर सिगनल नं0-12 तक सही कमांड मिलने पर सम्पूर्ण ट्रैक पीले रंग में फ्लैश करने लगेगा रूट सेंटिंग के दौरान कॉटे फ्लैश करेंगे तथा कांटे सैट व तालित होने पर ग्रे रंग का आयातकार बाॅक्स से संकेत प्राप्त होगा। रूट सैट व तालित होने के बाद डाउन होम सिगनल नं.एस-2 से 299एटी व 299बीटी तक पीला संकेत स्थिर हो जायेगा। होम सिगनल के उपर एक क्षैतिज पीली रेखा दिखाई देगी, यह रूट इंडिकेटर का संकेत है और रूट सैट होने के बाद डाउन होम सिगनल एस-2 का संकेत एक पीला हो जायेगा।
---	---------------------------------	--------------------------------------	--



(योगेश मित्तल)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

3	लाइन नं.3 पर डाउन गाडी का आगमन	1	1 फाटक सं0.14 के क्लोज विकल्प पर लैफ्ट क्लिक करके कमांड को वर्तमान प्रार्थना स्टैक बाक्स में ट्रॉसमिट करेंगे। 2 कार्यरत स्टेशन मास्टर फाटक सं014 के फाटक वाले को(गाडी का नम्बर और गाडी की दिशा)फाटक बंद करने के लिये सूचित करेगा। 3 जब फाटक वाला फाटक बंद कर देगा तो एल एक्स मेनू के नीचे पीला संकेत प्रदर्शित होगा। समपार फाटक के 14 के एल एक्स पर लैफ्ट क्लिक करके और मैनु पर लैफ्ट क्लिक करके स्टैक बाँक्स में प्रार्थना सम्प्रेषित की जायेगी। गेट तालित का पीला संकेत उभर जायेगा। 4 सही कमांड मिलने पर स्टैक बाँक्स में इसकी स्वीकृति प्रदर्शित हो जायेगी। 5 सिगनल नं0 एस-2 पर माउस बटन का लैफ्ट क्लिक करके सही कमांड मिलने पर स्टॉक बाक्स में इसकी स्वीकृति प्रदर्शित हो जायेगी । डाउन होम सिगनल एस-2 से डाउन लूप लाइन स्टार्टर सिगनल सं0 एस-16 तक सही कमांड मिलने पर सम्पूर्ण ट्रैक पीले रंग में फ्लैश करने लगेगा। 6 रूट सेंटिंग के दौरान कॉटे फ्लैश करेंगे तथा कॉटे सैट व तालित होने पर ग्रे रंग का आयातकार बाँक्स से संकेत प्राप्त होगा। 7 रूट सैट व तालित होने के बाद डाउन होम सिगनल एस-2 में 298एटी व 298बीटी तक पीला संकेत स्थिर हो जायेगा। होम सिगनल के उपर एक क्षेतिज पीली रेखा दिखाई देगी,पर 8 होम सिगनल नं0 एस-2 का एक पीला हो जायेगा
---	--------------------------------	---	---



(योगेश मिश्र)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

डाउन गाडियों का प्रस्थान		
4	लाइन नं. 2 से डाउन मुख्य लाइन से डाउन गाडियों का प्रस्थान	1 डाउन मुख्य लाइन स्टार्टर सिगनल नं. एस 18 पर लैफ्ट क्लिक किया जायेगा। सही कमांड मिलने पर 'करेन्ट रिक्यूयेस्ट स्टैंक बॉक्स' में इसकी स्वीकृति प्रदर्शित हो जायेगी।
		2 ट्रॉसमिट बॉक्स पर क्लिक किया जायेगा। सिगनल एस-18 से सिगनल नं. 20 तक सही कमांड मिलने पर सम्पूर्ण ट्रैक पीले रंग से फ्लैश करने लगेगा।
		3 रुट सैटिंग के दौरान कांटे फ्लैश करेगे तथा कांटे सैट व तालित होने पर ग्रे रंग का चौकोर बॉक्स से संकेत प्राप्त होगा।
		4 रुट सैट व तालित होने के बाद डाउन होम सिगनल नं. एस -18 से सिगनल नं. 20 तक का पीला संकेत स्थिर हो जायेगा। रुट सैट होने के पश्चात जब सिगनल क्लीयर आ जाये , डाउन सिगनल एस-18 और 20 का लाल संकेत हरा (या पीला) हो जायेगा
5	लाइन नं. 1 से डाउन मुख्य लाइन पर डाउन गाडियों का प्रस्थान	1 डाउन लूप लाइन स्टार्टर सिगनल नं. एस 12 पर लैफ्ट क्लिक किया जायेगा। सही कमांड मिलने पर 'करेन्ट रिक्यूयेस्ट स्टैंक बॉक्स' में इसकी स्वीकृति प्रदर्शित हो जायेगी।
		2 ट्रॉसमिट बॉक्स पर क्लिक किया जायेगा। सिगनल एस-12 से सिगनल नं. 20 तक सही कमांड मिलने पर सम्पूर्ण ट्रैक पीले रंग से फ्लैश करने लगेगा।
		3 रुट सैटिंग के दौरान कांटे फ्लैश करेगे तथा कांटे सैट व तालित होने पर ग्रे रंग का चौकोर बॉक्स से संकेत प्राप्त होगा।
		4 रुट सैट व तालित होने के बाद डाउन होम सिगनल नं. एस -12 से सिगनल नं. 20 तक का पीला संकेत स्थिर हो जायेगा।
		5 रुट सैट होने के पश्चात जब सिगनल क्लीयर आ जाये , डाउन सिगनल एस-12 और 20 का लाल संकेत हरा (या पीला) हो जायेगा।
6	लाइन नं. 3 से डाउन मुख्य लाइन पर डाउन गाडियों का प्रस्थान	1 डाउन लूप लाइन स्टार्टर सिगनल नं. एस 16 पर लैफ्ट क्लिक किया जायेगा। सही कमांड मिलने पर 'करेन्ट रिक्यूयेस्ट स्टैंक बॉक्स' में इसकी स्वीकृति प्रदर्शित हो जायेगी।
		2 ट्रॉसमिट बॉक्स पर क्लिक किया जायेगा। सिगनल एस-16 से सिगनल नं. 20 तक सही कमांड मिलने पर सम्पूर्ण ट्रैक पीले रंग से फ्लैश करने लगेगा।
		3 रुट सैटिंग के दौरान कांटे फ्लैश करेगे तथा कांटे सैट व तालित होने पर ग्रे रंग का चौकोर बॉक्स से संकेत प्राप्त होगा।
		4 रुट सैट व तालित होने के बाद डाउन होम सिगनल नं. एस -16 से सिगनल नं. 20 तक का पीला संकेत स्थिर हो जायेगा।
		5 रुट सैट होने के पश्चात जब सिगनल क्लीयर आ जाये , डाउन सिगनल एस-16 और 20 का लाल संकेत हरा (या पीला) हो जायेगा।

(योगेश मिश्रा)

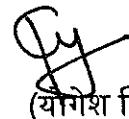
वरि.मं.सि.द.सं. अभि./सम./आगरा

अप गाड़ियों का आगमन		
1	लाइन नं. 2 पर अप गाड़ियों का आगमन	1 एल एक्स 14 के क्लोज विकल्प पर लैफ्ट क्लिक करके कमांड को वर्तमान प्रार्थना स्टैंक बॉक्स ट्रॉसमिट करेंगे। 2 कार्यारत स्टेशन मास्टर फाटक सं0-14 के फाटक वाले को (गाड़ी का नम्बर व गोर्वधन से गाड़ी का प्रस्थान समय)फाटक बन्द करने के लिये सूचित करेगा। जब फाटक वाला फाटक बन्द कर देगा तो एल एक्स मेनू के नीचे पीला संकेत प्रदर्शित होवेगा। 3 समपार फाटक संख्या -14 पर माउस बटन का लैफ्ट क्लिक करके स्टैंक बॉक्स से प्रार्थना सम्प्रेषित की जायेगी। गेट तालित का पीला संकेत उभर जायेगा। सही कमांड मिलने पर स्टैंक बॉक्स में इसकी स्वीकृति प्रदर्शित हो जायेगी। 4 सिगनल नं0 एस-19 पर माउस बटन का लैफ्ट क्लिक करके सही मिलने पर इसकी स्वीकृति स्टैंक बॉक्स में प्रदर्शित हो जायेगी। अप होम सिगनल एस-19 में अप मुख्य लाइन स्टार्टर सिगनल नं0-एस.5 तक सही कमांड मिलने पर सम्पूर्ण ट्रैक पीले रंग में फ्लैश करने लगेगा। 5 रूट सैटिंग के दौरान कांटे फ्लैश करेंगे तथा कांटे सैट व तालित होने पर ग्रे रंग का आयाताकार वाक्स से संकेत प्राप्त होगा। 6 रूट सैट व तालित होने के बाद अप होम सिगनल एस-19 से 201वीटी तक पीला संकेत स्थिर हो जायेगा। 7 रूट सैट होने के बाद जब सिगनल क्लीयर हो जाय तब अप होम सिगनल सं. एस-19 का लाल संकेत हरा(या पीला) हो जायेगा
2	लाइन नं. 1 पर अप गाड़ियों का आगमन	1 सिगनल नं. एस 19 पर लैफ्ट क्लिक किया जायेगा। सही कमांड मिलने पर 'करेन्ट रिक्पूयेस्ट स्टैंक बॉक्स' में इसकी स्वीकृति प्रदर्शित हो जायेगी। 2 ट्रॉसमिट बॉक्स पर क्लिक किया जायेगा। अप होम सिगनल एस-19 से अप लूप लाइन स्टार्टर सिगनल नं. 7 तक सही कमांड मिलने पर सम्पूर्ण ट्रैक पीले रंग से फ्लैश करने लगेगा। 3 रूट सैटिंग के दौरान कांटे फ्लैश करेगे तथा कांटे सैट व तालित होने पर ग्रे रंग का चौकोर बॉक्स से संकेत प्राप्त होगा। 4 रूट सैट व तालित होने के बाद अप होम सिगनल नं. एस -19 से 202 एटी और 202 वीटी तक का पीला संकेत स्थिर हो जायेगा। 5 होम सिगनल के ऊपर एक क्षैतिज पीली रेखा दिखाई देगी, यह रूट इंडीकेटर का संकेत है और रूट सैट होने के पश्चात अप होम सिगनल एस-19 का लाल संकेत एक पीला हो जायेगा नोट - डैड एन्ड की तरफ ओवर लैप को सैट करके आती हुयी गाडी के लिये फाटक को बंद करने की आवश्यकतानही है
3.	लाइन नं. 3 पर अप गाड़ियों का आगमन	1 सिगनल नं. एस 19 पर लैफ्ट क्लिक किया जायेगा। सही कमांड मिलने पर 'करेन्ट रिक्पूयेस्ट स्टैंक बॉक्स' में इसकी स्वीकृति प्रदर्शित हो जायेगी। 2 ट्रॉसमिट बॉक्स पर क्लिक किया जायेगा। अप राउटिंग होम सिगनल एस-19 से अप लूप लाइन स्टार्टर सिगनल नं. 11 तक सही कमांड मिलने पर सम्पूर्ण ट्रैक पीले रंग से फ्लैश करने लगेगा। 3 रूट सैटिंग के दौरान कांटे फ्लैश करेगे तथा कांटे सैट व तालित होने पर ग्रे रंग का चौकोर बॉक्स से संकेत प्राप्त होगा। 4 रूट सैट व तालित होने के बाद अप होम सिगनल नं. एस -19 से 201 एटी और 201 वीटी तक का पीला संकेत स्थिर हो जायेगा। 5 होम सिगनल के ऊपर एक क्षैतिज पीली रेखा दिखाई देगी, यह रूट इंडीकेटर का संकेत है और रूट सैट होने के पश्चात अप होम सिगनल एस-19 का लाल संकेत हरा (या पीला) हो जायेगा नोट - डैड एन्ड की तरफ ओवर लैप को सैट करके आती हुयी गाडी के लिये फाटक को बंद करने की आवश्यकतानही है।

(योगेश मिश्र)

वरि.मं.सि.सं. अभि./सम./आगरा

अप गाड़ियों का प्रस्थान			
4	लाइन नं. 2 से अप मुख्य लाइन पर अप गाड़ियों का प्रस्थान	1	एल एक्स 14 के क्लोज विकल्प पर लैफ्ट क्लिक कमांड को वर्तमान प्रार्थना स्टेक बॉक्स में ट्रांसमिट करेंगे।
		2	कार्यारत स्टेशन मास्टर फाटक 14 के फाटक वाले को (गाडी का नम्बर और प्रस्थान समय) फाटक बंद करने के लिये सूचित करेगा।
		3	जब फाटक वाला फाटक बंद कर देगा तो एल एक्स मेनू के नीचे पीला संकेत प्रदर्शित होगा।
		4	समपार फाटक 14 के एल एक्स पर लैफ्ट क्लिक करके और मेनू पर लैफ्ट क्लिक करके स्टेक बॉक्स में प्रार्थना सम्प्रेषित की जायेगी। गेट तालित का पीला संकेत उभर जायेगा।
		5	सही कमांड मिलने पर स्टेक बॉक्स में इसकी स्वीकृति प्रदर्शित हो जायेगी।
		6	अप मुख्य लाइन स्टार्टर सिगनल नं0 एस -5 पर माउस बटन का लैफ्ट क्लिक करके सही कमांड मिलने पर स्टेक बॉक्स में इसकी स्वीकृति प्रस्तुत हो जायेगी।
		7	सिगनल एस-05 से सिगनल नं0 एस-1 तक सही कमांड मिलने पर सम्पूर्ण ट्रैक पीले रंग से फ्लैश करने लगेगा।
		8	रूट सैटिंग के दौरान कॉटि फ्लैश तथा कॉटि सैट व तालित होने पर ग्रे रंग का आयातकार बॉक्स में संकेत प्राप्त होगा।
5	लाइन नं. 2 से अप मुख्य लाइन पर अप गाड़ियों का प्रस्थान	1	रूट सैट व तालित होने के बाद अप होम सिगनल नं0 एस-5 में सिगनल नं0-1 तक पीला संकेत स्थिर हो जायेगा।
		2	रूट सैट होने के पश्चात् जब सिगनल क्लियर हो जाये तब सिगनल सं0 -05 व सिगनल सं0-1 का लाल संकेत हरा (या पीला) हो जायेगा।
		3	एल एक्स 14 के क्लोज विकल्प पर लैफ्ट क्लिक कमांड को वर्तमान प्रार्थना स्टेक बॉक्स में ट्रांसमिट करेंगे।
		4	कार्यारत स्टेशन मास्टर फाटक 14 के फाटक वाले को (गाडी का नम्बर और प्रस्थान समय) फाटक बंद करने के लिये सूचित करेगा।
		5	जब फाटक वाला फाटक बंद कर देगा तो एल एक्स मेनू के नीचे पीला संकेत प्रदर्शित होगा।
		6	समपार फाटक 14 के एल एक्स पर लैफ्ट क्लिक करके और मेनू पर लैफ्ट क्लिक करके स्टेक बॉक्स में प्रार्थना सम्प्रेषित की जायेगी। गेट तालित का पीला संकेत उभर जायेगा।
		7	अप लूप लाइन स्टार्टर सिगनल नं0 एस-07 पर माउस बटन का लैफ्ट क्लिक करके सही कमांड मिलने पर स्टेक बॉक्स में इसकी स्वीकृति प्रदर्शित हो जायेगी।
		8	सिगनल एस-06 में सिगनल नं0 एस-1 तक सही कमांड मिलने पर सम्पूर्ण ट्रैक पीले रंग में फ्लैश करने लगेगा।
6	लाइन नं. 3 से अप मुख्य लाइन पर अप गाड़ियों का प्रस्थान	1	रूट सैटिंग के दौरान कॉटि फ्लैश तथा कॉटि सैट व तालित होने पर ग्रे रंग का आयातकार बॉक्स में संकेत प्राप्त होगा।
		2	रूट सैट व तालित होने के बाद सिगनल संच एस- 07 सिगनल सं0-01 तक पीला संकेत स्थिर हो जायेगा।
		3	रूट सैट होने के पश्चात् जब सिगनल क्लियर हो तब सिगनल सं0-07 व 01 का लाल संकेत हरा (या पीला) हो जायेगा।
		4	एल एक्स 14 के क्लोज विकल्प पर लैफ्ट क्लिक कमांड को वर्तमान प्रार्थना स्टेक बॉक्स में ट्रांसमिट करेंगे।
		5	कार्यारत स्टेशन मास्टर फाटक 14 के फाटक वाले को (गाडी का नम्बर और प्रस्थान समय) फाटक बंद करने के लिये सूचित करेगा।
		6	जब फाटक वाला फाटक बंद कर देगा तो एल एक्स मेनू के नीचे पीला संकेत प्रदर्शित होगा।
		7	समपार फाटक 14 के एल एक्स पर लैफ्ट क्लिक करके और मेनू पर लैफ्ट क्लिक करके स्टेक बॉक्स में प्रार्थना सम्प्रेषित की जायेगी। गेट तालित का पीला संकेत उभर जायेगा।
		8	अप लूप लाइन स्टार्टर सिगनल नं0-एस 11 पर माउस बटन का लैफ्ट क्लिक करके सही कमांड मिले पर स्टेक बॉक्स में इसकी स्वीकृति प्रदर्शित हो जायेगी।
		1	सिगनल एस-11 में सिगनल एस-1 तक सही कमांड मिलने स्टेक बॉक्स में इसकी स्वीकृति प्रदर्शित हो जायेगी।
		2	रूट सैट व तालित होने के बाद सिगनल संच एस- 07 सिगनल सं0-01 तक पीला संकेत स्थिर हो जायेगा।
		3	रूट सैट व तालित होने के बाद सिगनल सं0 -11 से सिगनल सं0-01 तक पीला संकेत स्थिर हो जायेगा।
		4	रूट सैट होने के बाद जब सिगनल क्लियर हो जाय तब सिगनल नं0-11 व सिगनल नं0-01 का लाल संकेत हरा (या पीला) हो जायेगा।



(योगेश मिश्र)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

8.0 ट्रेक सर्किट

यार्ड की सभी लाइनें डी0सी0 ट्रेक सर्किटेड हैं।

9.0 विद्युत द्वारा संचालित कांटो पर बिना सिगनल के संचालन

विद्युत द्वारा संचालित कांटो पर बिना सिगनल के संचालन तभी अनुमत है जब साधारण व सहायक नियम 3.68/1 के अनुसार कांटो को क्लैम्प व तालित कर दिया गया है।

जब भी ऐसा संचालन करना हो तो कार्यरत स्टेपन मास्टर कांटो को सामान्य या विपरीत दिशा में सैट करेगा तथा उसका संकेत पैनल पर सुनिश्चित करेगा।

10.0 सिगनल को ऑन स्थिति में करना व रूट तथा ओवर लैप रद्द करनाक) सिगनल को ऑन करना-

यदि आपात स्थिति में या अन्य किसी कारण वश सिगनल को ऑन करना पड़े तो सम्बन्धित सिगनल व ई आर एन कमांड को क्लिक करके इसे ऑन किया जा सकता है।

ख) पहले से सैट किये गये रूट को रद्द करना

सामान्यतः एक बार सैट किया गया रूट रद्द नहीं किया जाएगा क्योंकि यह गाड़ी गुजरने पर स्वतः ही रद्द हो जाता है जो कि वी डी यू पर संकेत बुझने से सुनिश्चित होता है फिर भी यदि गाड़ी द्वारा पूरा रूट पार करने के बाद भी रूट रिलीज न हो तो स्टेपन मास्टर सवप्रथम सिगनल को ऑन कर देगा तथा सम्बन्धित सिगनल व ई यू यू वाई एन विकल्प को क्लिक करेगा जिससे ओवर लैप सहित समस्त रूट रिलीज हो जाएगा। यदि एप्रोच टैक धिरा है तो सिगनल के दाईं ओर रूट लॉक का फ्लैपिंग संकेत जलेगा। यह संकेत 120 सैकेण्ड तक फ्लैप करेगा तत्पश्चात् उपर्युक्त प्रक्रिया दोहराई जाएगी तथा रूट रिलीज हो जाएगा। प्रत्येक ऐसे संचालन पर गणक में एक अंक की वृद्धि होगी जिसे सम्बन्धित पंजिका में दर्ज किया जाएगा किन्तु अन्तिम रोक सिगनल रिलीज करने पर अविलम्ब रिलीज हो जाएगा।

टिप्पणी:

1. यदि रूट लॉक संकेत संचालन के तत्काल के बाद बुझ जाए तथा 120 सैकेण्ड का अन्तराल न हो तो इसे खराब माना जाएगा तब स्टेपन मास्टर 2 मिनट इन्तजार करेगा और सामान्य तरीके से रूट कैन्सिल करेगा व सिगनल अनुरक्षक को सूचित करके सिगनल खराबी पंजिका में दर्ज किया जाएगा।

2. यदि एक या अधिक टैक परिपथ की खराबी के कारण रूट रिलीज न हो तो स्टेपन मास्टर लाइन साफ होना सुनिश्चित करने के बाद वी डी यू पैनल पर दिये गये ई यू वाई एन की चाबी लेकर रूट रिलीज करने के लिए ई यू वाई एन कमांड के साथ नियंत्रण कांटो या सिगनल को क्लिक करेगा तथा रूट रिलीज हो जाएगा।

3. स्टेपन मास्टर रूट रद्दीकरण जो वीडियू पर उपलब्ध है और रीडिंग का रिकार्ड का विवरण सम्बन्धित पंजिका में दर्ज करके हस्ताक्षर करेंगे एवम् सिगनल अनुरक्षक सूचित करेंगे।

ग) ओवर लैप रद्दीकरण

जब गाड़ी का आगमन बर्थिंग पर हो जाए तो 120 सैकेण्ड के बाद ओवर लैप स्वतः समाप्त हो जाता है यदि किसी कारण से यह समाप्त नहीं होता है तथा इसका संकेत जलता रहता है तो सम्बन्धित रूट ओ.वाई.एन कमांड को एक साथ क्लिक कर रिलीज किया जायेगा जिससे वी डी यू में एक काउन्टर की वृद्धि होगी।

घ) काउन्टर रीडिंग की रिकॉर्डिंग

निम्नलिखित ऑपरेशन की गणना को अलग-अलग दर्ज किया जाएगा-

सी०ओ०जी०जी०एन० -	बुलावा सिगनल
ई०यू०यू०वाई०एन० -	आपात पूर्ण रूट रिलीज
ई०यू०वाई०एन० -	आपात खण्ड रूट रद्दीकरण
ई०डब्ल्यू०एन० -	आपात कांटो संचालन
ओ०वाई०एन० -	ओवर लैप रिलीज

कार्यरत स्टेपन मास्टर को सभी संचालन का उचित रिकार्ड रखना चाहिये। उपरोक्त प्रत्येक ऑपरेशन के लिये अलग अलग रजिस्टर रखा जायेगा, जिसमें प्रत्येक संचालन का विवरण और उन परिस्थितियों के बारे में लिखा जायेगा जिसके कारण आपात संचालन किया गया।


(योगेश मिश्र)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

11.0 विभिन्न गणक का प्रारूप इस प्रकार है

1 बुलावा सिगनल कॉउटर (सी०ओ०जी०जी०एन०)

क्रम सं०	दिनांक	समय	विफल मुख्य सिगनल का नम्बर	ऑफ किये गये बुलावा सिगनल का नम्बर	विफल ट्रैक सर्किट की संख्या
1	2	3	4	5	6
बुलावा सिगनल पर ली गई गाडी संख्या	कॉउटर में गणना		ब्लॉक लाईन की सं० जिस पर गाडी ली गयी है		
	संचालन से पूर्व गणना	संचालन से बाद में गणना	कार्यरत स्टेपन मास्टर के हस्ताक्षर		
7	8	9	10	11	

2 आपातकाल पूर्ण रूट रिलीज गणक (ई०यू०यू०वाई०एन०)

क्रम सं०	दिनांक	समय	गाडी सं. जिसके लिये रूट रिलीज किया गया	सिगनल व रूट सं०	संचालन से पहले गणना
1	2	3	4	5	6
संचालन के बाद की गणना		रूट रिलीज करने का कारण		टिप्पणी	कार्यरत स्टेपन मास्टर के हस्ताक्षर
7	8	9	10	11	

3 आपातकाल रूट रद्दीकरण गणक (ई०यू०वाई०एन०)

क्रम सं०	दिनांक	समय	सिगनल सं०	रूट सं०	दिनांक व गाडी सं०
1	2	3	4	5	6
सिगनल अनुरक्षक को सूचित करने का दिनांक व समय		ई०यू०वाई०एन० वटन के संचालन का दिनांक व समय		संचालन से पहले गणना	संचालन के बाद की गणना
7	8	9	10	11	12
ई०यू०वाई०एन० वटन को सील करने का दिनांक व समय		कार्यरत स्टेपन मास्टर के हस्ताक्षर		कार्यरत सिगनल अनुरक्षक के हस्ताक्षर	टिप्पणी
11	12	13	14		

4 आपातकाल कांटा संचालन गणक (ई०डब्ल्यू०एन०)

क्रम सं०	दिनांक	समय	विफल टैक सर्किट का नम्बर	ई०डब्ल्यू० एन० वटन संचालन का दिनांक व समय	गणक में संचालन से पहले की गणना
1	2	3	4	5	6
गणक में संचालन के बाद की गणना		कांटा संचालित करने का कारण		ई०डब्ल्यू०एन० को रिलीज करने का दिनांक व समय	टिप्पणी
7	8	9	10	11	12
कार्यरत स्टेपन मास्टर के हस्ताक्षर		कार्यरत सिगनल अनुरक्षक के हस्ताक्षर			

5 ओवरलैप रिलीज गणक (ओ०वाई०एन०)

क्रम सं०	दिनांक	समय	गाडी संख्या	विफल हुये ओवर लैप का विवरण
1	2	3	4	5
गणक की गणना			कार्यरत स्टेपन मास्टर के हस्ताक्षर	
संचालन से पहले		संचालन के बाद		
6	7	8		

6 धुरा गणक

दिनांक	समय	गणक की गणना		कारण	प्राइवेट नम्बर		कार्यरत स्टेपन मास्टर के हस्ताक्षर	टिप्पणी
		संचालन से पहले	संचालन के बाद		दिया	लिया		
1	2	3	4	5	6	7	8	

(यशमिषित्तल)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

12.0 सामान्य निर्देश:-

- क) जब कोई लाइट इंजन या अन्य कोई हल्का वाहन ट्रैक परिपथ से युक्त कांटे से गुजारना हो तो स्टेशन मास्टर विशेष रूप से वी डी यू पर नजर रखेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त वाहन सम्बन्धित ट्रैक से पार हो गया तत्पश्चात् वह कांटो को चलाएगा या अन्य कोई संचालन करेगा।
- ख) कांटे या सिगनल की खराबी पर स्टेशन मास्टर इसकी सूचना सिगनल अनुरक्षक व एस एस ई सिगनल को देगा।
- ग) जब किसी खराब सिगनल का अधिकार पत्र जारी करना हो तो स्टेशन मास्टर ड्राइवर को सम्बन्धित सम्मुख कांटो पर 15 कि०मी० का सतर्कता आदेश भी देगा।
- घ) वी डी यू के लिए स्टेशन मास्टर चाबी की व्यवस्था है सामान्यतः पैनल पर सभी बटन संचालन के लिए उपलब्ध होते हैं किन्तु चाबी निकालने पर कोई संचालन नहीं किया जा सकता।
- ड) संचालन पूर्ण होने के बाद कांटो को उनकी सामान्य स्थिति में कर देना चाहिए।
- टिप्पणी: जब वी डी यू तालित हो तो किसी कांटे को चलाना सम्भव नहीं है किन्तु पहले से ऑफ सिगनल को ई आर एन आप्पन द्वारा ऑन किया जा सकता है। इसी प्रकार जो रूट पहले से सैट है वह स्वतः ही गाडी गुजरने के बाद कैन्सिल हो जायेगा स्टेशन मास्टर इस चाबी को सदैव अपनी अभिरक्षा में रखेगा।

12.1 यह आवश्यक है कि डिप्लारी/सामग्री ट्रॉली/मोटर ट्रॉली/पुष ट्रॉली को बिना स्टेशन मास्टर के लिखित अनुमति के ट पर नहीं उतारा जाएगा तथा हटाने के बाद इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को ट्राली के अधिकारी द्वारा दी जाएगी।

12.2 इन्सुलेटड ट्रॉली का ट्रैक परिपथ पर कोई दुषप्रभाव नहीं होगा।

12.3 अतिरिक्त सावधानियां:- खराब/विनियोजित कांटों एवं उनसे सम्बन्धित रूट बटनों पर बटन कॉलर लगाया जाना चाहिए। निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर बटन कॉलर को हटाया जा सकता है:-

- (क) जब विनियोजित कांटे को संयोजित करके पुनःसंयोजन मीमों प्राप्त कर लिया गया हो, या
- (ख) जब खराब कांटे को ठीक कर दिया गया हो तथा पुनःसंयोजन मीमों प्राप्त हो गया हो, या
- (ग) जब कांटे पर परिचालन की अनुमति दी जाए तो पैनल स्टेशन मास्टर कांटे की स्थिति सुनिश्चित करके ही संचालन की अनुमति देगा।
- (घ) जब गार्ड स्टेशन मास्टर को संचालन की अनुमति देगा तो साथ में प्राइवेट नम्बर भी देगा।

13.0 विफलता के समय गाड़ियों का संचालन

- क) मोटर कांटों की खराबी के दौरान गाड़ियों की आवाजाही
- 1 जब संबंधित बटनों के संचालन से विद्युत संचालित कांटों का संचालन न हो सके तब कार्यरत सहा० स्टेशन मास्टर सर्वप्रथम कांटों को उनकी पिछली स्थिति में कर देगा तथा कांटेवाले को इस कार्य के लिये कांटे पर नियुक्त करेगा कि वह क्रॉस ओवर के दोनों सिरों की टंगरेल एवं स्टॉक रेल के मध्य यदि कोई अवरोध हो तो उन्हें हटा दे।
- 2 कांटेवाले कांटे पर पहुँचकर दोनों सिरों की टंगरेल एवं स्टॉक रेल के मध्य अवरोध की जांच करेगा। यदि कोई अवरोध है तो उसे हटायेगा तथा कांटा चलाने के लिये कार्यरत स्टेशन मास्टर को 'सब कुछ ठीक है' का सिगनल देगा। अवरोध रहने की स्थिति में कांटेवाला खतरे का हाथ सिगनल दिखायेगा।
- 3 कांटेवाले द्वारा 'सब कुछ ठीक है' सिगनल प्राप्त होने के बाद कार्यरत स्टेशन मास्टर कांटे को वांछित स्थिति में सैट करेगा। यदि फिर भी कांटा संचालित न हो या कांटेवाले के खतरे के हाथ सिगनल को देखकर कार्यरत स्टेशन मास्टर क्रैंक हैंडिल चाबी एवं क्रैंक हैंडिल को रिलीज़ करके वी डी यू पैनल को तालित करेगा तथा कांटे पर पहुँच कर कांटे को वांछित स्थिति में क्रैंक हैंडिल द्वारा सैट करायेगा।

(योगेश मिश्र)

वरि.मं.सि.इ.सं. अभि./सम./आगरा

यदि कांटा क्रॉस ओवर है तो दोनों सिरों को क्रैंक हैंडिल द्वारा सैट किया जायेगा और इसको क्लैम्प एवं पैडलॉक करके वापस वी डी यू पैनल कक्ष में आयेगा और पैनल को ताला रहित करेगा। इसके पश्चात् सम्बन्धित कांटा बटन एवं गुप कांटा बटन दबाने के बाद कांटे की वास्तविक स्थिति वी डी यू पैनल पर प्रदर्शित होगी, इसके बाद संचालन की अनुमति दी जायेगी।

टिप्पणी:- जब क्रॉस ओवर कांटा सामान्य से विपरीत स्थिति में सैट किया जा रहा हो तो ध्यान रखा जायेगा पहले 'ए' सिरा तत्पश्चात् 'बी' सिरा सैट किया जायेगा तथा जब विपरीत से सामान्य की स्थिति में सैट किया जा रहा हो तो पहले 'बी' सिरा तथा बाद में 'ए' सिरा सैट किया जायेगा। क्रैंक हैंडिल द्वारा सैट किये कांटों का संकेत यदि पैनल पर मिल रहा हो तो संबंधित सिगनलों को ऑफ किया जायेगा और ऐसी परिस्थिति में यदि मशीन/राइडिंग क्षतिग्रस्त न हुई हो कांटों को क्लैम्प/तालित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि संकेत अनुरक्षक उपलब्ध है तो वह स्टेशन मास्टर को कांटा सैट करने में सहायता करेगा।

ख) कांटों के विनियोजन के दौरान गाड़ियों की आवाजाही

- 1) जब संकेत कर्मचारी द्वारा विनियोजित/खराब कांटे को ठीक किया जा रहा हो और किसी गाड़ी का संचालन आवश्यक हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर सहायक नियम 3.51/1 के अनुसार उक्त कांटे पर जायेगा तथा संकेत कर्मचारी द्वारा कांटे को वांछित स्थिति में सैट करवायेगा।
- 2) वह अपने साथ विशेष पंजिका लेकर जाएगा तथा सिगनल कर्मचारी के हस्ताक्षर कराएगा तथा स्वयं भी हस्ताक्षर करेगा। कांटा सैट होने के बाद इसे क्लैम्प व तालित करेगा। संचालन पूर्ण होने के बाद चाबी पुनः सिगनल कर्मचारियों को सौंप देगा।

ग) टैक सर्किट की खराबी के दौरान गाड़ियों की आवाजाही जब बुलावा सिगनल भी विफल हो-

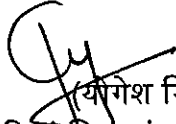
1. कार्यरत स्टेशन मास्टर कांटे वाले के साथ विफल टैक सर्किट पर जाएगा तथा उसका साफ होना सुनिश्चित करेगा इसके बाद रूट को सैट करके कांटो का तालित होना सुनिश्चित करेगा व टी/369(3बी) जारी करेगा। जब तक कि संचालन पूर्ण न हो जाए स्टेशन मास्टर रूट को नहीं बदलेगा।
2. ऐसी परिस्थिति में केवल सीधी लाइन का एक साथ दो संचालन किया जा सकता है कांटो के उपर से एक साथ दो संचालन नहीं किया जाएगा।
3. जब कोई संचालन बिना सिगनल के किया जाए तो कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि कांटो को सैट करके क्लैम्प व तालित कर दिया गया है तथा उसका संकेत उपलब्ध है।

टिप्पणी: विनियोजन या खराबी के दौरान कांटे के दूसरे सिरे का संचालन स्टेशन मास्टर द्वारा ही किया जाएगा।

14 धुरा गणक की कार्य पद्धति

राधाकुण्ड-गोवर्धन एवं राधाकुण्ड-मोरा के मध्य ब्लॉक खंड क्लीयरेंस हेतु इकहरी लाइन अंतिम वाहन गणना डिवाइस ड्यूल एक्सल काउंटर उपलब्ध कराये गये हैं। अप या डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल केवल तभी आफ किया जा सकता है यदि एक या दोनो एक्सल काउंटर क्लीयर स्थिति में हों। कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी आने के बाद क्लीयर या घिरी हुयी स्थिति रिसैट वाक्स पैनल में जान सकता है। जब कोई गाड़ी ब्लॉक खण्ड में प्रवेष्ट करती है और डिटेक्शन प्वाइंट से गुजरती है (जो कि ब्लॉक खंड में प्रवेष्ट करते ही लगा हो) एक्सल काउंटर उपकरण गणना प्रारम्भ कर देता है, इसपर से पासहोने वाली एक्सल की यह गणना इन काउंटर के रूप में दर्ज होती है। इस प्रकार, जब गाड़ी गंतव्य स्टेशन पर पहुँचती है और डिटेक्शन प्वाइंट से गुजरती है ((जो कि ब्लॉक खंड के प्रवेष्ट करते ही लगा होता है) निकास सिरे पर लगा एक्सल काउंटर उपकरण इस पर से पास होने वाली एक्सल की गणना प्रारम्भ कर देता है यह गणना आउट काउंटर के रूप में दर्ज होती है।

जब आउट काउंटर, इन काउंटर के बराबर हो रिसैट वाक्स हरा संकेत प्रदर्शित करेगा। जब ब्लॉक खंड घिरा हो या आउट काउंटर इन काउंटर से कम हो, रिसैट वाक्स लाल संकेत प्रदर्शित करेगा। इस का अर्थ हुआ कि ब्लॉक खंड घिरा है और यह क्लीयर नहीं है। इसलिये, जब रिसैट वाक्स लाल संकेत या कोई संकेत प्रदर्शित नहीं हो, इसका दो आपस हो सकता है, इसका मतलब है कोई गाड़ी का भाग ब्लॉक खंड में छुट गया या दोनो एक्सल काउंटर किसी तकनीकी खराबी के कारण खराब है। ऐसी स्थिति में कार्यरत स्टे0मा0 पूर्ण गाड़ी आगमन साधा. एवं सहा. नियम 4.17 के अनुसार सुनिश्चित करेगा। यदि वह रन थ्रू गाड़ी के मामले में पूर्ण गाड़ी आगमन सुनिश्चित करने में असमर्थ हो तो, वह अगले स्टेशन के स्टे0मा0 से और खंड नियंत्रक से भी प्राइवेट नं. के आदान प्रदान के तहत पूर्ण गाड़ी आगमन सुनिश्चित करेगा।


 (योगेश मिश्र)
 वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

14.1 धुरा गणक में खराबी

राधाकुण्ड-गोवर्धन एवं राधाकुण्ड-मोरा के मध्य ब्लाक खंड क्लीयरेंस हेतु इकहरी लाइन अंतिम वाहन गणना उपकरण ड्यूल एक्सल काउंटर उपलब्ध कराये गये हैं।

(क) यदि पहला एक्सल काउंटर फेल हो जायेगा और गाड़ियाँ प्रोपर सिगनल पर जायेगी। इसी प्रकार दूसरा ड्यूल एक्सल काउंटर फेल होने पर, सिगनलों का नियंत्रण पहले एक्सल काउंटर स्वतः ही हो जायेगा और गाड़ियाँ प्रोपर सिगनल पर जायेगी। उपरोक्त दोनों में से कोई एक स्थिति में, गाड़ी जाने के बाद फेल एक्सल काउंटर अन्य दूसरे सही एक्सल काउंटर द्वारा स्वतः रिसैट हो जायेगा।

(ख) यदि गाड़ी जाने के बाद भी दोनों एक्सल काउंटर फेल स्थिति दर्शाये और रिसैट बॉक्स चिरा हुआ प्रदर्शित करे, एक्सल काउंटर को वापस नार्मल स्थिति में करने हेतु रिसैट बॉक्स पर रिसैट बटन उपलब्ध कराया गया है। एक बार दोनों एक्सल काउंटर फेल हो जाने पर संबंधित ब्लाक उपकरण को फेल माना जायेगा और अंतिम रोक सिगनल आफ नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में कार्यरत स्टे.मा. साधारण एवम् सहा. नियम 4.17 के अनुसार पूर्ण गाड़ी आगमन सुनिश्चित करेगा। यदि कार्यरत स्टेशन मास्टर रन थू गाड़ी के मामले में पूर्ण गाड़ी करने में विफल रहे तो, वह अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से और खंड नियंत्रक से प्राइवेट नम्बर आदान प्रदान के तहत पूर्ण गाड़ी आगमन सुनिश्चित करेगा। ब्लाक खंड क्लीयरेंस सुनिश्चित करने के बाद, एक्सल काउंटर को गाड़ी भेजने वाले और गाड़ी रिसीव करने वाले स्टेशन मास्टर द्वारा कॉ-ऑपरेटिव प्रयास से रिसैट किया जायेगा। रिसैट बॉक्स का धुरा गणक के काउंटर का प्रत्येक संचालन के बाद एक गणना बढ़ जायेगा और दोनों सिरों के स्टेशन पर रिसैट बॉक्स में प्रीप्रेटरी संकेत प्रज्वलित होता है।

14.2 रिसैट संचालन का ब्यौरा दर्ज करने वाली पंजिका

निम्नलिखित प्रारूप के साथ एक पंजिका कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा प्रत्येक स्टेशन पर रखी जायेगी जिसमें प्रत्येक रिसैटिंग के बाद विवरण दर्ज किया जायेगा।

क्रम सं०	दिनांक	गाड़ी जिसके बाद धुरा गणक विफल हुआ	धुरा गणक विफल होने पर पायलट की गई गाड़ी	गणक की संख्या	
				संचालन के पहले	संचालन के बाद
1	2	3	4	5	6
गणक रिसैट करने का समय		धुरा गणक के सामान्य होने के बाद गुजरने वाली पहली गाड़ी		कार्यरत स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	टिप्पणी
7		8		9	10

14.3 कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा धुरा गणक को रिसैट करना

गाड़ी आगमन स्टेशन पर स्टेशन मास्टर पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान के साथ उस गाड़ी का पूर्ण आगमन देगा जिसके बाद धुरा गणक विफल हुआ है। तब गाड़ी प्रस्थान सिरे का स्टेशन मास्टर रिसैट चाबी को लगाकर दाहिनी ओर घुमायेगा और रिसैट बटन के साथ इसे दबाकर रखेगा। फलस्वरूप गाड़ी आगमन स्टेशन पर एक छोटी हरी बत्ती जल उठेगी जिसे देखकर स्टेशन मास्टर रिसैट चाबी को लगाकर दाहिनी ओर घुमायेगा व रिसैट बटन के साथ दबाकर रखेगा। ऐसा करने से दोनों स्टेशनों पर रिसैट बॉक्स में लाल के साथ छोटी हरी रिसैट संकेत जल उठेगी।

14.4 यदि एक्सल काउंटर रिसैटिंग के बाद प्रीप्रेटरी मोड में आ जाता है तो प्रस्थान सिरे का कार्यरत स्टेशन मास्टर आगमन सिरे के स्टेशन मास्टर के साथ प्राइवेट नम्बर के साथ प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करेगा और अगली (पहली गाड़ी) प्रोपर सिगनल पर जायेगी। गाड़ी के आगमन स्टेशन पहुंचने व धुरा गणक द्वारा निगरानी किये जाने वाले स्थान को साफ किये जाने पर दोनों स्टेशनों के रिसैट बॉक्स पर हरा संकेत प्रदर्शित हो जायेगा और धुरा गणक अपनी सामान्य संचालन की स्थिति में बहाल हो जायेगा।

14.5 धुरा गणक के रिसैट न होने की स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही

क) उपरोक्त पैरा के अनुसार गाड़ी के पूर्ण आगमन के बाद भी यदि रिसैट बॉक्स में हरा संकेत प्रदर्शित न हो तो इसकी सूचना स्टेशन के संकेत अनुरक्षक को टेलीफोन व लिखित मीमो द्वारा दी जायेगी।

ख) संकेत अनुरक्षक द्वारा डिस्कनैशन मीमो व उसकी पावती देने के बाद धुरा गणक की विफलता को ठीक करेगा।

ग) धुरा गणक की विफलता के दौरान गाड़ियों का प्रस्थान पेपर लाइन क्लियर टिकट पर ही किया जायेगा तथा रिसैट बॉक्स के संकेत को कोई महत्व नहीं दिया जायेगा।

धुरा गणक विफलता के ठीक होने की सूचना संकेत अनुरक्षक द्वारा लिखित में कार्यरत स्टेशन मास्टर को दी जायेगी। कार्यरत स्टेशन मास्टर दूसरे सिरे के गाड़ी आगमन स्टेशन के सहयोग से उपरोक्त दी गई विधि द्वारा धुरा गणक को रिसैट करेगा। धुरा गणक के सामान्य स्थिति में होने पर ही सामान्य संचालन शुरू किया जायेगा।

(योगेश मिश्र)
वरि.मं.सि.इ.सं. अभि./सम./आगरा

15.(क) ब्लॉक पूर्विग एक्सल काउंटर पैनल ब्लॉक उपकरण की कार्यप्रणाली राधाकुण्ड-गोवर्धन एवं राधाकुण्ड-मोरा, के मध्य-

ब्लॉक संचालन नियमावली 2013 के पैरा 739 के अनुसार राधाकुण्ड-गोवर्धन एवं राधाकुण्ड-मोरा के बीच लाइन क्लियर संचालन के लिये स्टेशन मास्टर कार्यालय में ब्लॉक पूर्विग एक्सल काउंटर पैनल ब्लॉक उपकरण लगे हुये है। इन ब्लॉक पैनल पर विभिन्न पुश, बटनों, चावियों, संकेतको, गणक व वजर लगाये गये है। जिनकी नियमावली व कार्य निम्नलिखित प्रकार है-

1 पुश बटन

नामावली	कार्य
घंटी/वजर	1. ब्लॉक खण्ड के दूसरे सिरे के स्टेशन को घंटी/वजर कूट संप्रेषित करने के लिये। 2. लाइन क्लियर प्राप्त करने के लिये जब टी0जी0टी0, बटन के साथ दबाया जाये। 3. लाइन क्लियर रद्द करने के लिये जब 'रद्द' बटन के साथ दबाया जाये।
गाडी जा रही है' (टी0जी0टी0)	गाडी प्रस्थान करने वाला कार्यरत स्टेशन मास्टर इसे बैल पुश बटन के साथ दबायेगा। इस स्टेशन के ब्लॉक पैनल पर 'टी0जी0टी0' का हरा संकेत और दूसरे सिरे के स्टेशन 'टी0सी0एफ0' (गाडी आ रही है) का संकेत प्रकाशित हो जायेगा।
रद्द	इस बटन को बैल पुश बटन के साथ दबाने से लाइन क्लियर रद्द किया जाता है यदि गाडी ने ब्लॉक खण्ड में प्रवेश नहीं किया हो या गाडी पिछले स्टेशन पर वापस आ गई हो। गाडी आगमन सिरे का स्टेशन मास्टर ही लाइन क्लियर रद्द कर सकता है।
रद्द सहयोग	इसका प्रयोग गाडी भेजने वाले स्टेशन द्वारा गाडी आगमन करने वाले स्टेशन को रद्द करने के लिये सहयोग देने के लिये किया जाता है।
पावती (ए0सी0के0एन0)	इसका प्रयोग खण्ड के धिरे होने या साफ होने की स्थिति में किया जाता है। इससे खण्ड के धिरे होने/साफ होने पर वजने वाले वजर को बन्द किया जाता है।

2. चाबी

नामावली	कार्य
स्टेशन मास्टर चाबी	जब यह चाबी पैनल से बाहर होगी तब निम्नलिखित संचालन संभव नहीं है:- 1. बैल कूट/वजर का संप्रेषण। 2. लाइन क्लियर पूछताछ कूट का संप्रेषण। 3. धुरा गणक की रिसैटिंग (केवल सी0ई0 एल0 निर्मित के लिये है तथा डैल्टान निर्मित में नहीं है)
अनुरक्षक की पीछे के डक़न के ताले की चाबी	पैनल के अनुरक्षण हेतु ब्लॉक पैनल के पीछे के डक़न पर एक ताले की व्यवस्था की गई है।
स्टेशन मास्टर के पीछे के डक़न का ताला	ब्लॉक पैनल के पीछे के डक़न को दोहरे ताले से तालित करने के लिये एक ताले की व्यवस्था की गई है जिसे स्टेशन मास्टर की अभिरक्षा में रखी चाबी से खोला जा सकता है।
शंट चाबी /शंट रिलीज चाबी	शंट रिलीज चाबी नार्मल में आउट रहती है जब शंट चाबी इन हो तो निम्न संचालन संभव होता है। क) EKT से शंटिंग चाबी को बाहर निकालने के लिये जिस चालक को टेंजीवल ऑथरिटी के रूप में अंतिम रोक सिगनल के आगे जाने के लिये दिया जाता है। ख) जब शंट चाबी इन हो तो निम्न संचालन संभव नहीं होता है। (i) लाइन क्लियर लेना। (ii) दुसरे साइड के स्टे0 मा0 द्वारा लाइन क्लियर लेना (iii) ब्लॉक को क्लोज करना (iv) अंतिम रोक सिगनल को ऑफ करना।



(अनुरक्षक मित्तल)

वरि.मं.सि.ह.सं. अभि./सम./आगरा

नामावली	कार्य
लाइन बंद	यह आकार में आयताकार/गोल होती है तथा इस पर सफेद/पीली एल0ई0डी0 की व्यवस्था की गई है। प्रकाशित होने पर यह खण्ड का वाहनों से साफ होना तथा लाइन क्लियर का दिया/लिया न होना दर्शाती है।
गाड़ी आ रही है' टी0ओ0एल0	यह आकार में स्टेशन की दिशा की ओर यातायात की दिशा को तीर नुमा संकेत से दर्शाता है तथा इसमें हरी/लाल एल0ई0डी की व्यवस्था की गई है तथा यह तीन स्थितिया दर्शाता है- 1. 'स्थिर' स्थिति में हरी बत्ती 'गाड़ी जा रही है' स्थिति दर्शाती है। 2. 'फ्लैशिंग' स्थिति में हरी बत्ती दर्शाता है:- (क) गाड़ी के ब्लॉक खण्ड में प्रवेश से पहले लाइन क्लियर रद्द कर दिया गया है, या (ख) गाड़ी के आने के बाद ब्लॉक खण्ड साफ हो गया है परन्तु दोनों में से किसी एक स्टेशन पर संबंधित सिगनलों व नियंत्रणों को उनकी सामान्य स्थिति में नहीं किया गया है 3. 'लाल' संकेत गाड़ी का ब्लॉक खण्ड में प्रवेश दर्शाता है ('गाड़ी लाइन पर है' स्थिति)
'गाड़ी जा रही है' टी0ओ0एल0	यह आकार में स्टेशन की दिशा की ओर यातायात की दिशा को तीर नुमा संकेत से दर्शाता है तथा इसमें हरी/लाल एल0ई0डी की व्यवस्था की गई है तथा यह तीन स्थितिया दर्शाता है- 1. 'स्थिर' स्थिति में हरी बत्ती 'गाड़ी जा रही है' स्थिति दर्शाती है। 2. 'फ्लैशिंग' स्थिति में हरी बत्ती दर्शाता है:- (क) गाड़ी के ब्लॉक खण्ड में प्रवेश से पहले लाइन क्लियर रद्द कर दिया गया है, या (ख) गाड़ी के आने के बाद ब्लॉक खण्ड साफ हो गया है परन्तु दोनों में से किसी एक स्टेशन पर संबंधित सिगनलों व नियंत्रणों को उनकी सामान्य स्थिति में नहीं किया गया है 3. 'लाल' संकेत गाड़ी का ब्लॉक खण्ड में प्रवेश दर्शाता है ('गाड़ी लाइन पर है' स्थिति)
कैसिल कॉपरेशन संकेत पीला	कैसिल कॉपरेशन बटन दवाने के बाद दूसरे सिरे के स्टेशन पर (लाइन क्लियर कैसिल करने के लिये) दर्शाता है।
कैसिल संकेत फ्लैशिंग पीला	वृत्तीय एलईडी यह दर्शाता है। लाइन क्लियर कैसिलेशन टाइमर (120 सैकिण्ड) जारी है। जब कैसिल कॉपरेशन संकेत फ्लैशिंग मौजूद हो तो कैसिल बटन तथा वैल बटन को दवाने पीला पर यह इंडिकेशन जलता है। जब ट्रेन कर्मिंग फ्रॉम फ्लैशिंग ग्रीन संकेत दिखाता है।
स्थिर पीला	कैसिलेशन टाइमर पुरा हो जाय लेकिन किसी कारण से सिस्टम लाइन क्लोज्ड पर नहीं हो पाया हो
लाइन फ्री हरा	यह संकेत एरोहेड संकेत के पास यह दर्शाता है ब्लॉक सेक्शन गाड़ी से खाली है
एस0एन0के0ई (लोकल)पीला	दो संकेत उपलब्ध है। (i) एसएनके पीला संकेत ट्रेन गोंडिंग टू डायरेक्शनल इंडिकेशन के पास उपलब्ध है यह अंतिम रोक सिगनल और उसके कंट्रोल की नार्मल स्थिति दर्शाता है। (ii) एसएनके- पीला संकेत ट्रेन कर्मिंग फ्रॉम डायरेक्शनल इंडिकेशन के पास उपलब्ध है यह होम सिगनल तथा उसके कंट्रोल की नार्मल (स्थिति दर्शाता है।)
एस0एन0के0ई/एस0एन0ओ 0ई0के0(दूसरा सिरा)	यह आकार में गोल होता है। पीला प्रकाशित होने पर यह सी0ई0एल0निर्मित की स्थिति में अंतिम रोक सिगनल, प्रथम रोक सिगनल तथा नियंत्रणों का सामान्य होना तथा ब्लाक खण्ड के दूसरे सिरे के स्टेशन पर ्टी0सी0एफ0 संकेत का उपलब्ध न होना दर्शाता है तथा डैल्ट्रॉन निर्मित की स्थिति में एस0एन0ओ0ई0के0 संकेत अंतिम रोक सिगनल, उसके नियंत्रण तथा शंट चाबी का ई0के0टी में 'अंदर' होना तथा ब्लॉक खण्ड के दूसरे सिरे पर स्टेशन मास्टर ब्लॉक पैनल में शंट रिलीज चाबी का बाहर निकली होना दर्शाता है।
अंतिम रोक सिगनल'	यह आकार में सिगनल के गुम्फाक्षर के अनुसार गोल होता है तथा उस स्टेशन के अंतिम रोक सिगनल की स्थिति को दर्शाता है। लाल संकेत अंतिम रोक सिगनल का ऑन स्थिति में होना दर्शाता है तथा हरा संकेत अंतिम रोक सिगनल का ऑफ स्थिति में होना दर्शाता है।
लाइन व्यस्त (केवल डैल्ट्रान निर्मित में)	यह आकार में दीर्घवृत्ताकार होता है तथा इसको टी0एस0एफ संकेत के पास लगाया जाता है। इसमें लाल संकेत की व्यवस्था की जाती है। यह लाइन क्लियर के बाद या ब्लॉक वैक के बाद लाइन का व्यस्त होना दर्शाता है।
स्टेशन मास्टर चाबी(अंदर)	प्रकाशित/हरा संकेत स्टेशन मास्टर चाबी का 'अंदर' तथा घुमी हुई स्थिति में होना दर्शाती है।

(युगेश मित्तल)

वरि.मं.सि.इ.स. अभि./सम./आगरा

शंट चाबी -अंदर/बाहर	इसमें दो रंग होते हैं। जब 'हरा' प्रकाशित हो यह स्टेशन मास्टर ब्लॉक पैनल पर शंट रिलीज चाबी का 'बाहर' स्थिति की ओर घुमा होना दर्शाता है तथा जब 'लाल' प्रकाशित हो तो यह शंट चाबी का ई0के0टी0 से बाहर निकाला जाना तथा स्टेशन मास्टर ब्लॉक पैनल पर शंट रिलीज चाबी का 'अंदर' स्थिति को ओर घुमा होना दर्शाता है।
गाडी पावती अंदर/बाहर	गाडी के ब्लॉक खण्ड में प्रवेश करते व निकास करते समय प्रकाशित होती है। यह पावती मिलने तक लगातार प्रकाशित रहती है।
मक्स/यू0एफ0एस0वी0आई0 स्थिति (केवल डैल्ट्रॉन निर्मित हेतु)	इसमें 2 रंगीन संकेतक होते हैं। हरा प्रकाशित होने पर मक्स/यू0एफ0एस0वी0आई0स्थिति का सही होना तथा लाल प्रकाशित होने पर मक्स/यू0एफ0एस0वी0आई0स्थिति का विफल होना दर्शाता है।
संचार संपर्क विफलता (केवल डैल्ट्रॉन निर्मित हेतु)	यदि यह पीला प्रकाशित हो तो संचार स्थिति का विफल होना अगर प्रकाशित न हो तो संचार का सही होना दर्शाता है।

घ)

नामावली	कार्य
रद्द	यह गाडी के ब्लॉक खण्ड में प्रवेश न करने या गाडी के प्रस्थान स्टेशन पर वापसी संचालन पर लाइन क्लियर रद्दीकरण का रिकार्ड रखता है।

ङ)

नामावली	कार्य
ब्लॉक	यह ब्लॉक पद्धति के दूसरे सिरे के स्टेशन के संचालक द्वारा 'वैल कोर्ड' के अनुसार संकेत देता है।
खण्ड	यह एक सुनाई देने वाला संकेत है जो गाडी द्वारा ब्लॉक खण्ड को व्यस्त करने या साफ करने की सूचना स्टेशन मास्टर को देता है।

ख)

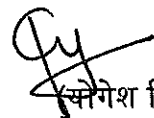
सिंगल लाइन ब्लॉक पूर्विंग एक्सल काउंटर पैनल ब्लॉक उपकरण में जाने वाली गाडियों की कार्यपद्धति का विवरण

जब राधाकुण्ड से गोवर्धन/मोरा की ओर किसी गाडी को चलाना हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर राधाकुण्ड स्टेशन मास्टर गोवर्धन/मोरा से लाइन क्लियर पूछताछ करेगा तथा उसे प्राइवेट नम्बर सहित गाडी संख्या एवं उसका विवरण सूचित करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर गोवर्धन/मोरा गाडी के पूछताछ विवरण को गाडी सिगनल रजिस्टर में दर्ज करेगा और यह सुनिश्चित करने के बाद कि लाइन क्लियर देने की शर्तें पूरी हो रही हैं वह प्राइवेट नम्बर सहित मौखिक लाइन क्लियर देगा।

स्टेशन मास्टर गोवर्धन/मोरा से प्राइवेट नम्बर सहित मौखिक लाइन क्लियर मिलने के बाद कार्यरत स्टेशन मास्टर राधाकुण्ड ब्लॉक पैनल पर वैल बटन के साथ 'गाडी जा रही है' बटन को एक साथ दबायेगा। जैसे ही उपरोक्त बटनों को दबाया जायेगा दोनों स्टेशनों के ब्लॉक पैनलों पर 'लाइन बंद' का संकेत बुझ जायेगा और संबंधित तीरनुमा हरा संकेत अर्थात् राधाकुण्ड में 'गाडी जा रही है' तथा गोवर्धन/मोरा में 'गाडी आ रही है' प्रदर्शित होता रहेगा। दोनों स्टेशनों पर 'लाइन फ्री' का हरा संकेत लगातार प्रदर्शित होता रहेगा जो ब्लॉक खण्ड के अभी भी साफ होने का संकेत दर्शाता है। इसके बाद कार्यरत स्टेशन मास्टर राधाकुण्ड गाडी के प्रस्थान हेतु मार्ग सैट करने के बाद प्रस्थान व अग्रिम प्रस्थान सिगनल को ऑफ करेगा। अंतिम रोक सिगनल लाल से हरे में परिवर्तित हो जायेगा। राधाकुण्ड में एस0एन0के0 संकेत तथा गोवर्धन/मोरा में एस0एन0ओ0ई0के0 संकेत बुझ जायेगा।

जैसे ही गाडी ब्लॉक खण्ड को वाधित करेगी, दोनों स्टेशनों पर दिशासूचक तीरनुमा संकेत और 'लाइन फ्री' का संकेत लाल में बदल जायेगा। खण्ड वजर वजने लगेगा और राधाकुण्ड और गोवर्धन/मोरा के ब्लॉक पैनलों पर क्रमशः 'गाडी जा रही है' तथा 'गाडी आ रही है' का संकेत लाल में बदल जायेगा। वजर को बंद करने के लिये कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा 'पावती' बटन को दबाया जायेगा या गाडी द्वारा ब्लॉक खण्ड को वाधित करते ही 'लाइन फ्री' का संकेत बुझ जायेगा, लाइन व्यस्त संकेत लाल प्रकाशित हो जायेगा। इसके साथ ही राधाकुण्ड व गोवर्धन/मोरा में क्रमशः 'गाडी जा रही है' तथा 'गाडी आ रही है' संकेत बुझ जायेगा। गोवर्धन/मोरा और राधाकुण्ड में 'गाडी लाइन पर है' संकेत के साथ दिशासूचक तीर का संकेत लाल प्रकाशित हो जायेगा। वजर वजने लगेगा। अंतिम रोक सिगनल स्वतः लाल में प्रकाशित हो जायेगा तथा राधाकुण्ड व गोवर्धन/मोरा में क्रमशः एस0एन0के0 तथा एस0एन0ओ0ई0के0 संकेत प्रकाशित हो जायेगा वशर्ते कि सभी सिगनलों के नियंत्रण सामान्य स्थिति में हों।

इसके बाद कार्यरत स्टेशन मास्टर गोवर्धन/मोरा द्वारा निकट सिगनल को ऑफ किया जायेगा। गाडी के ब्लॉक खण्ड को साफ करते ही खण्ड वजर वजाना शुरू हो जायेगा और राधाकुण्ड स्टेशन पर 'गाडी आ रही है' का संकेत फ्लैशिंग हरे संकेत में बदल जायेगा व गोवर्धन/मोरा में एस0एन0के0 संकेत बुझ जायेगा।



(सुरेश मिश्र)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

गोर्वधन/मोरा स्टेशन पर वजर बंद करने हेतु कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा 'पावती' बटन दबाया जायेगा। राधाकुण्ड स्टेशन 'लाइन फ्री' का संकेत हरे रंग में बदल जायेगा, खण्ड वजर वजना शुरू हो जायेगा और 'गाडी जा रही है' का संकेत फ्लैशिंग हरे संकेत में बदल जायेगा। राधाकुण्ड स्टेशन पर वजर बंद करने हेतु कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा 'पावती' बटन दबाया जायेगा। गोर्वधन/मोरा स्टेशन पर गाडी आगमन को नियंत्रित करने वाले सभी संकेत सामान्य अर्थात् एस0एन0के0ई0(स्थानीय) संकेत प्रदर्शित हो जायेगा, 'गाडी आ रही है' संकेत बुझ जायेगा और 'लाइन बंद' का संकेत प्रदर्शित हो जायेगा। राधाकुण्ड स्टेशन के ब्लॉक पैनल पर भी 'गाडी जा रही है' का संकेत बुझ जायेगा और 'लाइन बंद' का संकेत प्रदर्शित हो जायेगा। लाइन व्यस्त संकेत लाल प्रकाशित हो जायेगा। ब्लॉक खण्ड के साफ होते ही दोनों स्टेशनों के ब्लॉक पैनलों पर 'लाइन बंद' का संकेत पुनः प्रदर्शित हो जायेगा, खण्ड वजर वजने लगेगा और 'लाइन फ्री' का संकेत हरे में बदल जायेगा।

ग) सिंगल लाइन ब्लॉक पूर्वी एक्सल काउंटर पैनल ब्लॉक उपकरण में आने वाली गाडियों की कार्यपद्धति का विवरण

जब स्टेशन मास्टर गोर्वधन/मोरा की ओर से किसी गाडी के लाइन क्लियर हेतु प्राइवेट नम्बर सहित पूछताछ की जाती है तो कार्यरत स्टेशन मास्टर राधाकुण्ड गाडी के पूछताछ विवरण को गाडी सिगनल रजिस्टर में दर्ज करेगा और पैनल पर संकेत देखकर तथा यह सुनिश्चित करने के बाद लाइन क्लियर देने की शर्त पूरी हो रही है स्टेशन मास्टर गोर्वधन/मोरा को प्राइवेट नम्बर सहित मौखिक लाइन क्लियर देगा।

स्टेशन मास्टर राधाकुण्ड से प्राइवेट नम्बर सहित मौखिक लाइन क्लियर मिलने के बाद कार्यरत स्टेशन मास्टर गोर्वधन/मोरा ब्लॉक पैनल पर वेल बटन के साथ 'गाडी जा रही है' बटन को एक साथ दबायेगा। जैसे ही उपरोक्त बटनों को दबाया जायेगा दोनों स्टेशनों के ब्लॉक पैनलों पर लाइन बंद का संकेत बुझ जायेगा और संबंधित तीरनुमा हरा संकेत अर्थात् गोर्वधन/मोरा में गाडी जा रही है तथा राधाकुण्ड में गाडी आ रही है प्रदर्शित हो जायेगा। दोनों स्टेशनों पर लाइन फ्री का हरा संकेत लगातार प्रदर्शित होता रहेगा जो ब्लॉक खण्ड का अभी भी साफ होने का संकेत दर्शाता है।

इसके बाद कार्यरत स्टेशन मास्टर गोर्वधन/मोरा अग्रिम प्रस्थान सिगनल को ऑफ करेगा। गोर्वधन/मोरा में एस0एन0के0 संकेत तथा राधाकुण्ड में एस0एन0ओ0ई0के0 संकेत बुझ जायेगा। जैसे ही गाडी ब्लॉक खण्ड को बाधित करेगी दोनों स्टेशनों पर दिशा सूचना तीरनुमा संकेत और 'लाइन फ्री' का संकेत लाल में बदल जायेगा। गोर्वधन/मोरा और राधाकुण्ड के ब्लॉक पैनलों पर खण्ड वजर वजने लगेगा और 'गाडी जा रही है' तथा 'गाडी आ रही है' का संकेत लाल में बदल जायेगा या गाडी द्वारा ब्लॉक खण्ड को बाधित करते ही 'लाइन फ्री' का संकेत बुझ जायेगा, लाइन व्यस्त संकेत लाल प्रकाशित हो जायेगा। इसके साथ ही गोर्वधन/मोरा व राधाकुण्ड में क्रमशः 'गाडी जा रही है' तथा 'गाडी आ रही है' संकेत बुझ जायेगा। गोर्वधन/मोरा और राधाकुण्ड में 'गाडी लाइन पर है' संकेत के साथ दिशा सूचक तीर का संकेत लाल प्रकाशित हो जायेगा। वजर वजने लगेगा। अंतिम रोक सिगनल स्वतः लाल में परिवर्तित हो जायेगा तथा गोर्वधन/मोरा व राधाकुण्ड में क्रमशः एस0एन0के0 तथा एस0एन0ओ0ई0के0 संकेत प्रकाशित हो जायेगा वशर्ते कि सभी सिगनलों के नियंत्रण सामान्य स्थिति में हो।

वजर को बंद करने के लिये कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा 'पावती' बटन को दबाया जायेगा। गाडी के आगमन हेतु मार्ग सैट करने के बाद कार्यरत स्टेशन मास्टर/राधाकुण्ड द्वारा निकट सिगनल को ऑफ किया जायेगा। एस0एन0के0 संकेत बुझ जायेगा।

गाडी के ब्लॉक खण्ड को साफ करते ही खण्ड वजर वजना शुरू हो जायेगा और राधाकुण्ड स्टेशन पर 'गाडी आ रही है' का संकेत फ्लैशिंग हरे संकेत में बदल जायेगा। राधाकुण्ड स्टेशन पर वजर बंद करने हेतु कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा 'पावती' बटन दबाया जायेगा। गोर्वधन/मोरा स्टेशन पर 'लाइन फ्री' का संकेत हरे में बदल जायेगा, खण्ड वजर वजना शुरू हो जायेगा और 'गाडी जा रही है' का संकेत फ्लैशिंग हरे संकेत में बदल जायेगा। गोर्वधन/मोरा स्टेशन पर वजर बंद करने हेतु कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा पावती बटन दबाया जायेगा।

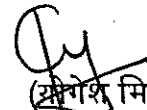
राधाकुण्ड स्टेशन पर गाडी आगमन को नियंत्रित करने वाले सभी संकेत सामान्य अर्थात् एस0एन0के0ई0(स्थानीय) संकेत प्रदर्शित हो जाये, 'गाडी जा रही है' का संकेत बुझ जायेगा और 'लाइन बंद' का संकेत प्रदर्शित हो जायेगा।

गोर्वधन/मोरा स्टेशन के ब्लॉक पैनल पर गाडी जा रही है का संकेत बुझ जायेगा और लाइन बंद का संकेत प्रदर्शित हो जायेगा।

(डी) शंटिंग/ब्लॉक बैक

शंटिंग चाबी को निकालकर ब्लॉक बैक किया जा सकता है जो कि चालक को ब्लॉक खण्ड में प्रवेश कर शंटिंग करने हेतु अधिकृत करता है। शंटिंग चाबी को तभी निकाला जा सकेगा जब ब्लॉक पैनल पर 'लाइन बंद' या 'गाडी जा रही है' का संकेत प्रदर्शित हो रहा हो।

'लाइन बंद' स्थिति में शंट चाबी का निकाला जाना:


(अनिल कुमार मित्तल)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

कार्यरत स्टेशन मास्टर जिसे ब्लॉक खण्ड में शंटिंग करनी हो तो वह ब्लॉक खण्ड के दूसरे सिरे के स्टेशन मास्टर से प्राइवेट नम्बरों के आदान प्रदान सहित इसकी अनुमति लेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर जिसे ब्लॉक खण्ड में शंटिंग करनी है, ऐसी अनुमति मिलने पर यह सुनिश्चित करने के बाद की ब्लॉक वैक करने की सभी शर्तें पूरी हो रही है, 'शंट रिलिज चाबी' को 'अंदर' स्थिति की ओर कर देगा तथा ई0के0टी0 से शंट चाबी को बाहर निकाल लेगा। ब्लॉक खण्ड में गाड़ी के प्रवेश करने पर दोनों स्टेशनों के ब्लॉक पैनलों पर 'लाइन बंद' का संकेत वुझ जायेगा, खण्ड बजर बजने लगेगा और 'लाइन फ्री' का संकेत लाल में बदल जायेगा। लाइन व्यस्त संकेत लाल प्रकाशित हो जायेगा। ब्लॉक खण्ड के साफ होते ही दोनों स्टेशनों के ब्लॉक पैनलों पर 'लाइन बंद' का संकेत पुनः प्रदर्शित हो जायेगा, खण्ड बजर बजने लगेगा और 'लाइन फ्री' का संकेत हरे में बदल जायेगा।

(ई) गाड़ी के अपने प्रस्थान स्टेशन पर वापस आने पर ब्लॉक को बंद करना

सह्यो 4.12/3 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

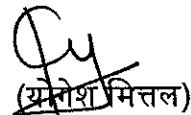
जब किसी गाड़ी को अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण जिस स्टेशन से गाड़ी को चलाया गया हो उस स्टेशन पर वापस भेजना हो तो उसे इकहरी लाइन पर सिगनल पर रोका जायेगा। गाड़ी को तब स्टेशन कर्मचारी द्वारा स्टेशन तक पायलट करवा कर लाया जायेगा। जब किसी गाड़ी को परिचालन कारणों से गाड़ी प्रस्थान स्टेशन पर वापस भेजना आवश्यक हो तो केवल उस ब्लॉक स्टेशन के कार्यरत स्टेशन मास्टर, जिसने लाइन क्लियर दिया है अर्थात् गाड़ी आगमन स्टेशन द्वारा ही प्रस्थान स्टेशन के स्टेशन से सहयोग मिलने के बाद ही लाइन क्लियर रद्द किया जा सकेगा।

गाड़ी के प्रस्थान स्टेशन वापस पहुंचने के बाद, गाड़ी आगमन स्टेशन द्वारा गाड़ी प्रस्थान स्टेशन को प्राइवेट नम्बरों के आदान प्रदान सहित अपने स्टेशन पर गाड़ी के पूर्णागमन की सूचना दी जायेगा तथा निम्न पैरा में दी गई विधि द्वारा लाइन क्लियर रद्दीकरण प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

पुश बैक आपरेशन -

गाड़ी प्रस्थान करने वाले स्टेशन पर जब गाड़ी पुश बैक होती है तो निम्न कार्यवाही होगी:-

सेडिंग स्टेशन	रिसिविंग स्टेशन
ट्रेन ब्लॉक सेक्शन खाली करने में परिवर्तित हो जायेगा। खण्ड बजर बजने लगेगा। खण्ड बजर बजने लगेगा। ए.सी.के.एन जलने लगेगा। गाड़ी जा रही है। तीरनुमा संकेत फ्लैपिंग हरा में बदल जायेगा ए.सी.के.एन बटन को दबाकर पावती करेगा।	ट्रेक ब्लॉक सेक्शन खाली करने में परिवर्तित हो जायेगा। खण्ड बजर बजने लगेगा। खण्ड बजर बजने लगेगा। ए.सी.के.एन जलने लगेगा। गाड़ी आ रही है। तीरनुमा संकेत फ्लैपिंग हरा में बदल जायेगा ए.सी.के.एन बटन को दबाकर पावती करेगा।
गाड़ी रिसिविंग स्टेशन पर के स्टेशन मास्टर दो टेलिफोन द्वारा कैसिल का संदेश देगा।	एस.एन.के संकेत पीला, एसएनओईके संकेत पीला शंट चाबी संकेत हरा सुनिश्चित करने के बाद सहमती टेलिफोन पर देगा।
दूसरे सिरे के स्टेशन मास्टर द्वारा प्रारूप सुनिश्चित करने के बाद कैसिल कॉपरेषन बटन दबायेगा और फॉल अटेंशन बटन रिलीज होगा।	कॉपरेषन लाइट पीला जलने पर बैल बटन तथा कैसिल बटन दबायेगा स्टेशन मास्टर चाबी इन होने पर कैसिल काउटर बंद जायेगा कैसिल संकेत फ्लैपिंग पीला संकेत में बदल जायेगा और लगातार 120 सेकेण्ड फ्लैपिंग करेगा।
गाड़ी जा रही है तीरनुमा संकेत बदल जायेगा। लाइन क्लोज्ड संकेत जलने लगेगा।	120 संकेण्ड पुरा होने पर गाड़ी आ रही है तीरनुमा संकेत और कैसिल संकेत बदल जायेगा। लाइन क्लोज्ड संकेत जलने लगेगा।


(अनिल कुमार मिश्र)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

15.1 कैसिलेशन ऑफ लाइन क्लियर:-

जब गाडी प्रस्थान करने वाले स्टेशन द्वारा लाइन क्लियर ले लिया गया है तो गाडी आने वाली स्टेशन का स्टेशन मास्टर दुसरे तरफ के स्टेशन मास्टर के लाइन क्लियर कैसिल करेगा। गाडी भेजने वाला स्टेशन प्रस्थान व अग्रिम प्रस्थान सिगनल ऑन स्थिति में होना सुनिश्चित करने के बाद ब्लॉक पैनल पर रद्दीकरण सहयोग बटन दबायेगा। दुसरे सिरे का स्टेशन मास्टर रद्दीकरण सहयोग संकेत के प्रदर्शित होने का अवलोकन करने के बाद बैल और रद्दीकरण बटन एक साथ दबायेगा। रद्दीकरण संचालन प्रक्रिया के प्रारंभ होने के दो मिनट बाद ही लाइन क्लियर रद्द हो जायेगा। दोनो स्टेशनों के ब्लॉक पैनलों पर दो मिनट के बाद ही लाइन क्लियर रद्द होने के संकेत "लाइन बंद" संकेत के रूप में प्रदर्शित रहेगा।

कैसिलेशन की विधि:-

सेडिंग स्टेशन	रिसिविंग स्टेशन
1 अंतिम रोक सिगनल को बैक करेगा। एस0एन0के का पीला होना सुनिश्चित करेगा। गाडी आने वाले स्टेशन मास्टर को टेलिफोन द्वारा निर्धारित बैल बजर के बाद सूचित करेगा।	2 एस0एन0के तथा एस0एन0डी0ई0के का पीला होना सुनिश्चित होने पर तथा निर्धारित बैल बजर के बाद सहमति देगा।
3 मौखिक सहमति के बाद कैसिल कॉपरेशन बटन दबायेगा कॉल अटेंशन बटन के पावती के बाद छोड़ेगा।	4 कॉपरेशन लाइन पीला जलाने पर बैल बटन तथा कैसिल बटन दबायेगा। स्टेशन मास्टर चाबी इन होने पर कैसिल काउंटर बंद जायेगा। गाडी आ रही संकेत फ्लैशिंग हरा संकेत में बदल जायेगा। कैसिल संकेत फ्लैशिंग पीला जलने लगेगा और लगातार दो मिनट फ्लैशिंग करेगा
5 गाडी आ रही है फ्लैशिंग हरा संकेत में बदल जायेगा।	6 120 संकेण्ड पुरा होने पर गाडी आ रही है तीरनुमा संकेत और कैसिल संकेत बदल जायेगे। लाइन क्लोज्ड संकेत जलने लगेगा।
7 गाडी जा रही है संकेत बदल जायेगा। लाइन क्लोज्ड संकेत जलने लगेगा।	

ब्लॉक पैनल एक्सल काउंटर की विफलता:-सिंगल लाइन ब्लॉक पैनल में अप/डाउन गाडियों के लिये ब्लॉक पूर्विंग एक्सल काउंटर की विफलता निम्न प्रकार की हो सकती है। वे तुरंत सिगनल मॉनिटरिंग स्टॉफ को रिपोर्ट करेंगे। (जब कम्प्युनिकेशन लिंक फेलियर स्थिर पीला संकेत जलने लगे तो ब्लॉक पैनल ऑपरेशन द्वारा स्थापित हो जायेगा।)

- जब ब्लॉक पैनल पर कोई संकेत प्रदर्शित नहीं हो रहा हो।
- जब घंटी कोई संकेत सही प्रकार से प्राप्त नहीं हो रहा है।
- ब्लॉक पैनल में कोई खराबी दिखने या पते लगने पर
- जब ब्लॉक पैनल पर गाडी आ रही है और गाडी जा रही है संकेत प्रदर्शित नहीं पा रहा हो
- जब ब्लॉक खण्ड में कोई गाडी न हो परन्तु लाइन घिरी संकेत लाइट लाल हो और यह संकेत एक्सल काउंटर रिसेट करने के कोशिश के बाद बना रहे।
- जब गाडी रिसिविंग स्टेशन पर आ गई हो परन्तु ब्लॉक पैनल अभी भी "टैन ऑन लाइन" लाल संकेत दिखा रहा हो।
- जब युएफएसवीआई/एमयूएक्स फेल संकेत दिखाई है
- जब लिंक फेल कम्प्युनिकेशन संकेत स्थिर पीला बना रहे।
- जब गाडी आ रही है या गाडी जा रही है तब तीरनुमा संकेत प्रदर्शित न हो।
- "गाडी जा रही है" या "गाडी आ रही है" तीरनुमा संकेत गाडी सेक्शन में दाखिल होने पर "टैन ऑन लाइन" लाल में परिवर्तित न हो।
- जब गाडी रिसिविंग स्टेशन पर पहुंच गई हो परन्तु ब्लॉक पैनल फ्लैशिंग हरा/हरा दिखा रहा है।
- कैसिलेशन के बाद कैसिल संकेत फ्लैशिंग पीला या स्टडी पीला नहीं जले।
- जब अंतिम रोक सिगनल संस्पेंशन/डिस्कनेक्शन के बाद भी ऑन न हो।
- जब अंतिम रोक सिगनल गाडी ब्लॉक सेक्शन में पहुंचने के बाद भी ऑन न हो।
- टोटल फेलियर ऑफ कम्प्युनिकेशन के दौरान गाडी का संचालन निर्धारित नियमानुसार करते समय


(यो.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

20.1.4 डिजीटल एक्सल काउटर ब्लॉक पैनल का विफल होना:-

ब्लॉक पैनल को निम्नलिखित स्थिति में विफल माना जायेगा:-

- (i) जब ब्लॉक खण्ड में मैटीरियल ट्रॉली/टाई टैम्पिंग मशीन/मोटर ट्रॉली/रेल मोटर/बस और रेल कम रोड वाहन या टावर वैगर (चार पहिया) गई हो।
- (ii) जब बीच खण्ड में कोई दुर्घटना हुई हो
- (iii) जब ब्लॉक पैनल को डिस्कनेक्शन के बाद किसी पार्ट को बदलने या सही करने के लिये खोला गया हो।
- (iv) जब अंतिम रोक सिगनल का मरम्मत सिगनल स्टॉफ द्वारा किया जा रहा हो।
- (v) ब्लॉक फारवर्ड के समय
- (vi) जब अंतिम रोक सिगनल को ब्लॉक पैनल के नार्मल वर्किंग से अलग कर दिया गया हो किसी कारण के ब्लॉक पैनल की कार्यप्रणाली स्थगित कर दिया गया हो।

16 विद्युत आपूर्ति उपकरण और विद्युत आपूर्ति की विफलता:-

(क) सिगनलिंग के लिये विद्युत सप्लाई के साधन इस प्रकार हैं:-

- (i) सिगनलिंग सर्किट को विद्युत आपूर्तियों हेतु इस स्टेशन पर विद्युत आपूर्तियों की व्यवस्था है रेलवे उपरी उपस्कर के द्वारा एक सहायक टॉसफार्मर आपूर्ति अप.ए.टी या स्थानिय विद्युत आपूर्ति (राज्य विद्युत बोर्ड)
 - (ii) एक स्वचालित चेंज ओवर सी.एल.एस पैनल स्टेशन पर स्टेशन मास्टर अधीन लगाया गया है।
 - (iii) एक छः स्थितियों वाला रोटरी स्वीच , स्वचालित चेंज ओवर सी.एल.एस पैनल में लगाया गया है। जिसकी छः स्थितियाँ निम्न प्रकार हैं।-
(ए) बंद (बी) ए.टी (सी) मैन्यूअल राज्य विद्युत बोर्ड (डी) मैन्यूअल जनरेटर सैट (ई) बंद (एफ) ओटो मोड
 - (iv) प्रत्येक आने वाली सप्लाई के लिये चमकने वाले इन्डिकेटर्स लगाये गये हैं। ये जलते रहेंगे अगर संबंधित सप्लाई उपलब्ध रहेगी अन्यथा बूझे रहेंगे। सिगनलिंग व्यवस्था के लिये आने वाली सप्लाई ओटो मोड में रहेगी। इनमें से अगर कोई भी इंडिकेटर्स जलता नहीं है तो कार्यरत स्टेशन मास्टर इसकी सूचना टी.पी.सी एवं विद्युत नियंत्रक को देगा।
 - (v) सामान्य रोटरी स्विच ऑटो पोजिशन में होने चाहिये। जब पावर सप्लाई फेल होगी तब अप एटी से डब्ली का स्वतः चेन्जओवर होगा। जब स्वचालित ऑपरेशन का संकेतक फेल होगा तो अलार्म चालू हो जायेगा। ड्यूटी पर उपस्थित स्टेशन मास्टर पैनल पर लगे हुए ए टी सैट बटन को दबाकर इस अलार्म को बंद करेगा तत्पश्चात् वह रोटरी स्विच का अप एटीया ई वी की तरफ घुमाकर जहाँ भी सप्लाई उपलब्ध होगी उससे सप्लाई प्राप्त करेंगे।
 - (vi) चेन्जओवर से पहले ड्यूटी पर उपस्थित स्टेशन मास्टर संबंधित सर्किट ब्रेकर को देखेगे और यदि सर्किट ब्रेकर ट्रिप होकर ऑफ स्थिति में पाया जाता है तो इस ऑन स्थिति में करके उसकी सप्लाई को चालू करेंगे।
 - (vii) यदि सर्किट ब्रेकर ट्रिप होकर ऑफ स्थिति में नहीं पाया जाता है अथवा ट्रिप सर्किट ब्रेकर को ऑफ स्थिति से ऑन स्थिति में करने के बाद भी यदि सप्लाई ठीक नहीं होती है तो ड्यूटी पर उपस्थित स्टेशन मास्टर सप्लाई की उपलब्धता के अनुसार स्वीच को एटी या ई वी तरफ घुमायेगा।
 - (viii) यदि सप्लाई राज्य विद्युत बोर्ड से ली जा रही है तो ड्यूटी पर उपस्थित स्टेशन मास्टर चौकन्ने रहकर एटी सप्लाई नॉर्मल होती है तो स्टेशन मास्टर तुरंत स्वीच को एटी सप्लाई की तरफ घुमायेगे क्योंकि अप एटी नॉर्मल सप्लाई है।
 - (ix) यदि सर्किट ब्रेकर बार बार ट्रिप होता है और सभी सप्लाई पर ट्रिप होता है यानि अप एटी और राज्य विद्युत बोर्ड सप्लाई सभी पर ट्रिप होता तो इसे सामान्य नियम एवं उपनियम के संबंधित प्रावधानों 3.68 से 3.70 को ध्यान में रखा जायेगा।
 - (x) सभी पावर सप्लाई फेलियर का रिकार्ड एक स्पेशल रजिस्टर में रखा जाये एवं कर्पण विद्युत नियंत्रण को सूचित किया जायेगा। एटी सप्लाई फेलियर की लिखित सूचना कर्पण विद्युत नियंत्रण को देने के साथ उनकी प्रति वरिष्ठ खण्ड अभियंता टी.आर.डी का एटी सप्लाई को ठीक हेतु दी जायेगी। राज्य विद्युत बोर्ड सप्लाई के खराब होने पर लिखित सूचना वरिष्ठ खण्ड अभियंता प् विद्युत को दी जायेगी और प्रतिलिपि टेक्नीशियन प् वरिष्ठ खण्ड अभियंता (सिगनल) और मण्डल परिचालन प्रबंधक को दी जायेगी।
- चेंज ओवर सी एल.एस पैनल के ब्लैक हो जाने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर जाँच करेगा कि एटी एवं स्थानीय विद्युत आपूर्ति उपलब्ध है अथवा नहीं। स्टेशन मास्टर के कार्यालय में लगे पावर सप्लाई चेन्जओवर बोर्ड पर लगे पायलट लैम्पों के इण्डिकेशन द्वारा इसकी जाँच की जा सकती है। दोनों एटी और स्थानीय विद्युत आपूर्ति की अनुपलब्धता पर वह नीचे के पैरा 4.3.11 में बताये अनुसार स्टेशन पर लगे डीजल जनरेटर का संचालन करेगा। किसी भी दोष से यदि डीजल जनरेटर आपूर्ति उपलब्ध नहीं होने के साथ साथ एटी एवं स्थानीय विद्युत आपूर्ति भी अनुपलब्ध होने पर पैनल से सामान्य संचालन नहीं किया जा सकेगा। कांटो को क्लैम्प करके आवाजाही गैर अर्न्तर्पाषित यार्ड में सामान्य एवं सहायक नियम 3.77 के अनुसार की जायेगी। फिर भी कांटो का स्थानीय संचालन क्रैन्क हैण्डल द्वारा करने के लिये क्रैन्क हैण्डल की चाबी (एनएक्स चाबी) पैनल से कन्ट्रोल देकर के एलसीआर बॉक्स से निकाली जा सकेगी।

(संकेत मित्तल)

वरि.मं.सि.दूसं.अभि./सम./आगरा

4.3.11 डीजल जनरेटर सप्लाय-

सिगनलों के लिये इस स्टेशन पर एटी एवं स्थानीय विद्युत आपूर्ति (यू.पी.पी.सी.एल) और जेनरेटर सैट द्वारा तीन प्रकार की विद्युत आपूर्ति उपलब्ध है। विद्युत का प्रारम्भिक साधन एटी एवं दूसरा स्थानीय विद्युत आपूर्ति (यू.पी.पी.सी.एल) और सहायक तीसरा साधन जेनरेटर सैट है। पहली दोनो आपूर्ति चेंजओवर सी.एल.एस पैनल पर स्वचालित रूप से उपलब्ध रहती है स्टे.मा. कार्यालय में ऑटो/मैन्युअल चेंज ओवर स्विच लगे हुये है। बल्बो के जलने से सी एल एस चेंज ओवर पैनल पर विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता का संकेत मिलता है। जब कभी एटी एवं स्थानीय विद्युत आपूर्ति ((यू.पी.पी.सी.एल) की विद्युत आपूर्ति फेल होती है तो चेंज ओवर पैनल का स्विच जेनरेटर पर ले जाना है यदि एक विद्युत आपूर्ति के विफल हो जाने पर ऑटो चेंज ओवर स्विच कार्य न करे तो कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्वयं स्विच को पैनल पर उपलब्ध आपूर्ति पर कर देना चाहिये। जब कभी एटी एवं स्थानीय विद्युत आपूर्ति (यू.पी.पी.सी.एल) की विद्युत आपूर्ति लम्बे समय तक फेल रहे तो विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिये स्विच को ऑफ स्थिति में कर देना चाहिये और खण्ड नियंत्रक के माध्यम से विद्युत नियंत्रक को सूचित करना चाहिये।

इसके अतिरिक्त आई पी एस विद्युत के लिये एक पैनल स्टेशन मास्टर के कार्यालय में सिगनलों को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति की जाँच के लिये लगाया गया है। स्टेशन मास्टर के पैनल द्वारा आई पी एस की खराबी के लिये ध्वनि संकेत भी लगे है निम्नलिखित स्थितियों में ध्वनि संकेत व बैटरियों की जाँच की जाती है।

वोल्टेज मॉनीटरिंग बार ग्राफ:- यह 2 वोल्ट से 102 वोल्ट तक वोल्टेज व लगी हुई एल ई डी को दर्शाता है। लगी हुई 10 एल ई डी में से 6 हरी, 2 आसमानी और 2 लाल होती है। हरा संकेत सुरक्षित व आसमानी संकेत सावधान दर्शाता है।

जेनरेटर का चालू होना :- जब बैटरी का वोल्टेज लगभग 109 वोल्ट पर चला जाये तब ध्वनि संकेत भी बजने लगेगा फिर जेनरेटर चालू हो जायेगा और संकेत चले जायेगे बजने वाले ध्वनि संकेत को पुश बटन को दबाकर बंद किया जायेगा।

आपातकाल में जेनरेटर का चालू होना :-

जब बैटरी का वोल्टेज लगभग 107 पर चला जाये तब स्टे.मा. के लिये यह दूसरा संकेत है कि वह जेनरेटर को चालू कर दे। बजने वाली घंटी को रीसैट पुश बटन द्वारा रीसैट किया जा सकता है।

सिस्टम का बंद होना :-

जब बैटरी का संकेत 105 वोल्ट डिस्चार्ज प्रदर्शित करे तब जेनरेटर के चालू करने तक ध्वनि संकेत लगातार बजता रहेगा।

एस एण्ड टी स्टाफ को बुलाना :-

जब कोई मोड्यूलस, डीसी, सीवीटी इत्यादि फेल हो जाये तो एल ई डी संकेत दिखाई देगा तब सम्बन्धित एस एण्ड टी स्टाफ को सूचित किया जायेगा।

डी जी (जेनरेटर) सैट का संचालन:-

यदि आई पी एस जाँच पैनल पर जेनरेटर सैट के चालू होने का संकेत मिलता है तो स्टेशन मास्टर के कार्यालय में लगे डी जी सैट के पुश बटन को दबाकर डी जी सैट को चलाया जायेगा और चेंज ओवर स्विच को घुमाकर डी जी सैट पॉजिशन पर किया जायेगा, जैसे ही यू पी पी सी एल की विद्युत आपूर्ति आती है, कार्यरत स्टेशन मास्टर को डी जी सैट को स्टॉप बटन के द्वारा बंद कर देना चाहिए। यदि स्थानीय विद्युत आपूर्ति 4 घंटे से ज्यादा फेल रहे तब कार्यरत स्टे.मा. पहले (पूजे) डी जी सैट को बंद करेंगे और पुश बटन को दबाकर दूसरे डी जी सैट को चालू करेंगे तथा उसी के अनुसार चेंज ओवर स्विच को भी सैट करेंगे कार्यरत स्टे.मा. द्वारा इस उद्देश्य के लिये रखे गये रजिस्टर में इसकी प्रविष्टि की जायेगी।

यदि दोनो विद्युत आपूर्ति लम्बे समय तक फेल रहती है, तब कार्यरत स्टे.मा. द्वारा ईएसएम/एमएसएम को स्थिति से अवगत कराते हुये इसकी सूचना दी जायेगी एवं खण्ड नियंत्रक के माध्यम से सिगनल नियंत्रक को भी खराबी की सूचना दी जायेगी और सामान्य एवं सहायक नियमावली के सहायक नियम 3.68, 3.69 के अनुसार गाड़ियों को टी-369 (3वी) प्राधिकार पत्र देकर चलाया जायेगा।

17(क) सामान्य निर्देश:-

नियोन वल्व के मामले में जब वह स्थाई तौर पर बुझ गया हो जो कि बोर्ड पर सामान्य आपूर्ति न दिखा रहा हो। सहायक स्टेशन मास्टर ऑन ड्यूटी एस.ई/जे.ई (विद्युत) और ई.एस.एम. को उपकरण को अटेंड करने के लिए कंट्रोल मैसैज द्वारा सूचना देगा और इसकी प्रतिलिपि खंड के जे.ई./ई और एस.ई.एस. को देगा।

- डीजल जनरेटर को चलाने और रोकने के लिए निर्देश
- यदि विद्युत आपूर्ति कई दिन तक आती रहती है तो परीक्षण के लिये इंजन (जेनरेटर) पर लोड देकर जाँच कर लेनी चाहिए और अगर वह चलने में असफल हो तो एक्स.आर. टेलीग्राम द्वारा जे.ई/एस.ई/एस.एस.ई. सिगनल को रिपोर्ट करना चाहिए।
- कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्रतिदिन टैन्क में तेल का लेवल चेक करना चाहिए और डीजल इंजन में लुब्रीकेटिंग ऑयल लेवल एक (डिप स्टिक) इन्डिकेटर के माध्यम द्वारा चेक करना चाहिए।
- डीजल तेल या मॉवीऑयल तेल का लेवल डिपस्टिक में दिये गये निशान से कम दिखे तो कर्मचारी को अपेक्षित तेल भर देना चाहिए।
- वह डीजल और मोबिल तेल की आपूर्ति के लिए खण्ड की एस.एस.ई. (सिगनल) को सूचित करना चाहिए।


 (अनिल कुमार मिश्र)
 वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

17(ख)

- (i) अगर किसी कारण से सिगनल बुझ गये हों, गाड़ी ने पिछला स्टेशन छोड़ दिया है और गाड़ी को आने की अनुमति दी जा चुकी है तब स्टेशन मास्टर एक दक्ष कर्मचारी को आवश्यक हाथ सिगनल पटाके लेकर खड़ा करेगा जो कि आने वाली गाड़ी के ड्राइवर को बुझे सिगनल की लोकेशन के बारे में सतर्क करेगा और नियमानुसार गाड़ी को पायलट करेगा।
- (ii) जब कॉमर्शियल आपूर्ति पुनः चालू हो जाये तो स्विच को चेन्ज ओवर करके कॉमर्शियल साइट पर कर देना चाहिए एवं जनरेटर को बंद कर देना चाहिए।
- (iii) जनरेटर में डीजल तेल भरा जाएगा और स्टेशन मास्टर द्वारा लॉग बुक में प्रविष्टि की जाएगी। स्टेशन मास्टर लॉग बुक में जनरेटर में डीजल प्रयोग की भी प्रविष्टि करेगा। रिमार्क कालम में एस. एण्ड टी. द्वारा सर्विस/ओवर हालिंग रिपेयर का विवरण भी लिखा जाएगा।

लॉग बुक में निम्नलिखित तरीके से स्टेशन मास्टर विद्युत आपूर्ति की विफलता और आपूर्ति का विवरण लिखेंगे।

लॉग बुक में निम्नलिखित तरीके से स्टेशन मास्टर विद्युत आपूर्ति की विफलता और आपूर्ति का विवरण लिखेंगे।

क्रमांक	दिनांक	समय जब कॉमर्शियल विद्युत फेल हो गई	समय जब कॉमर्शियल विद्युत पुनः आई	कॉमर्शियल विद्युत फेल की अवधि	जनरेटर प्रारम्भ करने का समय
1	2	3	4	5	6
जनरेटर बन्द करने का समय	कितने समय तक जनरेटर चला	भरी गयी मात्रा		स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	टिप्पणी
		डीजल	मोविल तेल		
7	8	9	10	11	12

(vi) जब कभी कॉमर्शियल पूर्ति "लो" हो तो भी डीजल जनरेटर को चलाया जा सकता है।

(vii) डीजल की खपत का अन्दाजा निम्न प्रकार है-

(क) जब जनरेटर अच्छी हालत में होगा तो एक घन्टे में ढाई लीटर की खपत होगी।

(ख) डीजल जनरेटर टैन्क की क्षमता - 10 लीटर

(ग) एक इन्च नापने से का अर्थ है डैड लीटर

(घ) डीजल जनरेटर सेट के फेलियर में स्टेशन मास्टर सिगनल कर्मचारी को सूचित करेगा।

18. दूर संचार व्यवस्था-

1. स्टेशन मास्टर के कार्यालय में मथुरा-अलवर खण्ड का एक नियंत्रक टेलीफोन लगाया गया है।

2. स्टेशन मास्टर के कार्यालय और समपार फाटक क्रं-14 पर फाटक वाले के साथ एक अलग ग्रुप टेलीफोन व्यवस्था है।

3. स्टेशन मास्टर के कार्यालय और राधाकुण्ड-गोवर्धन खंड में समपार फाटक क्रं-17 पर फाटक वाले के साथ एक अलग ग्रुप टेलीफोन व्यवस्था है।

4. गोवर्धन-राधाकुण्ड और राधाकुण्ड-मोरा खंड में गाड़ियों के संचालन के लिये स्टेशन पर पैनल ब्लॉक उपकरण के साथ अलग से ब्लॉक टेलीफोन लगा है।

19. मुख्यालय पर दी जाने वाली सूचनायें:-

दूर संचार उपकरणों के खराब होने पर निम्न अधिकारियों को लिखित और या टेलीफोन द्वारा सूचना भेजी जायेगी।

01. एम.एस.एम. - मथुरा जंक्शन

02. ई.एस.एम. - राधाकुण्ड

03. जे.ई. (सिगनल-सैक्शन) - मथुरा जंक्शन

04. एस.ई. (सिगनल) - मथुरा जंक्शन

05. एस.एस.ई. (सिगनल) - मथुरा जंक्शन

06. यातायात निरीक्षक - मथुरा जंक्शन

07. मुख्य नियंत्रक - आगरा

08. मं.सिग.और दूरसंचार इंजी. - मथुरा जंक्शन

09. मंडल सुरक्षा अधिकारी - आगरा

10. वरि. मंडल सिग.एवं.दूरसंचार इंजी - आगरा

विद्युत आपूर्ति के विफल होने की स्थिति में उपरोक्त अधिकारियों के अलावा निम्न अधिकारियों को लिखित/टेलीफोन द्वारा सूचित किया जायेगा।

01. विद्युत वायरमैन (मैन्टीनेन्स) - मथुरा जंक्शन

02. वरि. विद्युत फोरमैन (जी) - मथुरा जंक्शन

03. विद्युत फोरमैन पीएसआई - मथुरा जंक्शन

04. वरि मं. विद्युत इंजी (जी) - आगरा

05. मंडल विद्युत इंजी (पीएसआई) - आगरा

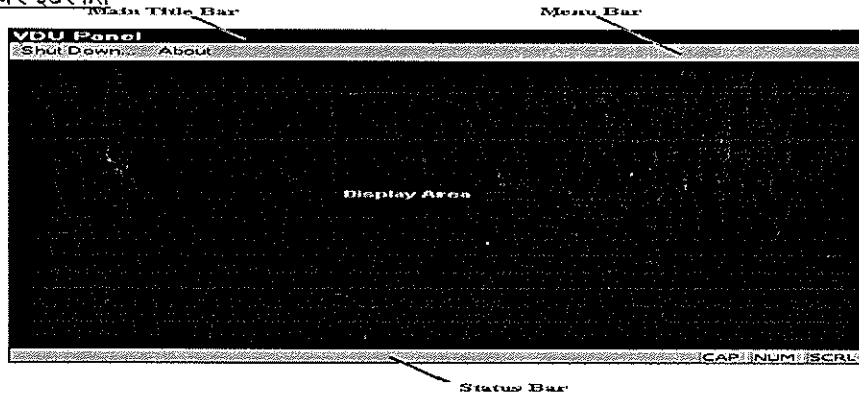
06. मंडल विद्युत इंजी (जी) - आगरा

(योज्य मित्र)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

वीडियो प्रदर्शित यूनिट के साथ सिगनलिंग गेयर्स का संचालन:-

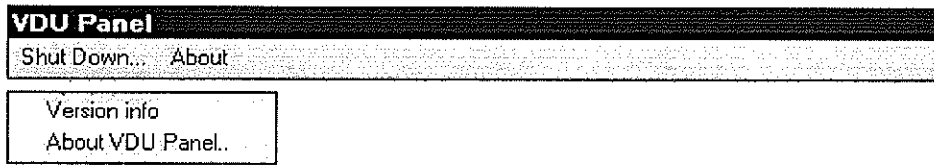
- वीडियो प्रदर्शन यूनिट (पीसी) द्वारा सिगनल, कॉटे, क्रैक हैडिल, साइडिंग कॉटे के संचालन को बनाये रखना
- 1.0 **इंटरलॉकिंग पद्धति की रचना:-**
पैनल के साथ-साथ संचालन हेतु कम्प्यूटर के साथ उच्च क्षमता वाला का कलर मॉनीटर की बोर्ड और पोइंटिंग डिवाइस (माउस) वीडियू में दिया गया है। संकतो की सूचना और नियंत्रण के बदलाव हेतु माइक्रोलॉक प् सीपीयू बोर्ड के साथ एक सीरीयल पोर्ट को कम्प्यूटर के साथ जोड़ा जायेगा। वीडियू पर स्टेशन के ट्रैक का मानचित्र सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रदर्शित होगा और वह सभी अतिरिक्त कार्य मैनु द्वारा किये जायेंगे। जब कार्य करने का तरीका चुना जायेगा तो सही सूचनाओं के साथ सही विकल्प द्वारा (रूट का मॉगना, कॉटो को नार्मल और रिबर्स में मॉगना) इत्यादि उचित मार्ग दर्शिका प्रदर्शित होगी। कम्प्यूटर और पैनल का प्रयोग स्टेशन के नियंत्रण और मॉनीटरिंग के लिये होगा जो कि किसी भी एक दिये गये समय में "ऑन लाइन" होगा। जब भी वीडियू और पैनल पर ट्रैक मिमिक डायग्राम के संकेत हो तो वह डायनामिकली पूरे माने जायेंगे।
- 1.1 इस वीडियू (पीसी) की स्थापना सिगनलों, कॉटो, क्रैक हैडिल और ट्रैक के मानचित्र के साथ साइडिंग कॉटो के संचालन के लिये हुई है। वीडियू (पीसी) पर ट्रैक का मानचित्र प्रदर्शित है, जो कि एस-1 प्लान के मुताबिक पैनल संकेतों के संचालन और यार्ड प्लान का अच्छा लगना सही प्रतिरूप है। वीडियू (पीसी) संचालन के लिये की-बोर्ड/माउस स्थापित है।
- 1.2 **कम्प्यूटर नियंत्रण - वीडियो प्रदर्शित यूनिट:-**
जब भी वीडियू के साथ प्रदर्शित करेगा तो माइक्रोलॉक प् अंतरपाशित पद्धति के लिये सॉफ्टवेयर नियंत्रण पैनल की तरह कार्य करेगा यह तभी संभव है जबकि तालित पैनल में पीसी मोड से पैनल स्विच में यूजर को चुना जायेगा। ऑपरेटर/स्टे.मा. का माइक्रोलॉक प्, नियंत्रण के तरीके और स्टेशन अन्तर्पाशित पर ध्यान रखता है। जब भी नियंत्रण के लिये कम्प्यूटर को चुना जाये और वह लाइन पर आ जाये तो माइक्रोलॉक प् से नियंत्रण पैनल पर कोई निवेश के लिये पैनल से माइक्रोलॉक प् में आने वाला निवेश अयोग्य माना जायेगा। माइक्रोलॉक प् सॉफ्टवेयर प्रार्थना पत्र के बिना मान्य व लागू नहीं होगा। वीडियू के प्रथम लाइन पर मुख्य मैनु शीर्षक बार प्रदर्शित है। अनुमानित मैनु आइटम के चुनाव द्वारा (यूजर) उपयोगकर्ता की सहायता से किसी भी कार्य पर नियंत्रण/प्रदर्शन हो सकता है। कुछ मैनु आइटम दो प्रकार से प्रगति में शामिल है जहाँ पॉप अप विन्डो में इन टी सब मैनु आइटम प्रदर्शित है। जोकि मैनु आइटम की सहायता से प्रदर्शित होगी। मैनु का प्रदर्शन उपयोगकर्ता को ट्रैक जैसा प्रदर्शित करने योग्य करता है या कुछ समय के लिये स्तर का आना-जाना रहता है। वीडियू पर ट्रैक का मानचित्र प्रदर्शित है जो कि पैनल संकेतों का प्रतिरूप है। जब ट्रैक का मानचित्र वीडियू पर प्रदर्शित होता है तब यूजर संचालन से आने वाले नियंत्रण को कमान्ड द्वारा अपेक्षित डिवाइस निश्चित करता है। (सिगनल, कॉटे आदि) जो कि सहयोगी संचालन का कार्य करते है (पथ कॉटे का) जो कि तय किये गये डिवाइस पर उपलब्ध रहता है, सिगनल, कॉटे, ट्रैक का चालू स्तर वीडियू व पैनल पर लगातार बढ़ता रहता है। लोगो यार्ड आर जी वार्ड रचना में प्रयोग किये गये रंगों के मिलान हेतु वीडियू के ऊपर सीधे हाथ की तरफ उपलब्ध है। यदि कोई रंग जो कि यार्ड रचना के लिये उपलब्ध है का मिलान लोगो में उपलब्ध रंगों से नहीं कर रहा हो तो झूटी पर सहा.स्टे.मा. वीडियू से कार्य को सस्पेंड (रोक) कर देगा। झूटी पर कार्यरत सहा.स्टे.मा. इनके सम्बन्ध में भीमों द्वारा झूटी पर कार्यरत ईएसएम को तुरंत सूचित करेगा।
- 1.3 **संचालन वर्णन:-**
वीडियू सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता खिड़की का आकार (डिजाइन) के लिये विविध क्षमता वाली खिड़की के अनुरूप किया गया है। आरम्भ से सीरीयल कम्प्यूनिकेशन माइक्रोलॉक प् व वीडियू पीसी पोर्ट जैसी सूचना के समान डेटावेस जैसा उपलब्ध कराया गया है जो पोर्ट सैटिंग के बाद वीडियू की मुख्य खिड़की मिमिक मानचित्र के साथ प्रदर्शित होती है। यह खिड़की की-बोर्ड या माउस के साथ जीयू-प् प्रदान करती है। जो कि वीडियू की एक महत्वपूर्ण कार्य संचालन पद्धति है मुख्य खिड़की के नीचे विभिन्न घटक दर्शाये गये है। मैनु कार्य वीडियू प्रदर्शन और नियंत्रण प्रदर्शन को सैट करने के लिये दिये गये है। अगले खंड में जी यू आई का विस्तृत विवरण दिया गया है।
- 1.4 जब कार्य संचालन पैनल द्वारा किया जा रहा हो तो वीडियू का उपयोग मॉनीटर पर किया जा सकता है।
- 2.0 **ग्राफीकल यूजर इंटरफेस**



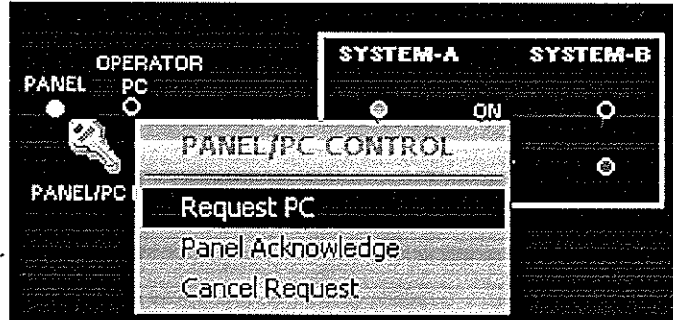
(योगेश मित्तल)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

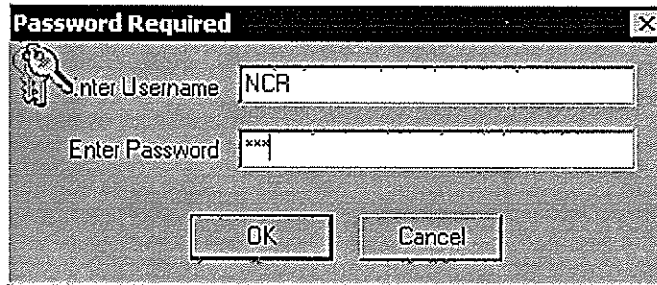
- वीडीयू के मुख्य संचालन के लिये खिड़की पर सहायता के लिये सभी तरीकों के कंट्रोल स्थापित है। मुख्य खिड़की में निम्न समायोजित है।
1. मुख्य शीर्षक बार
 2. प्रदर्शित क्षेत्र
 3. स्टेटस बार
 4. मूची बार
 - 2.1.1 **मुख्य शीर्षक बार:-**
खिड़की स्क्रीन के ऊपरी भाग पर मुख्य शीर्षक बार को देखा जा सकता है। जिसमें एप्लीकेशन का नाम प्रदर्शित होता है।
 - 2.1.2 **प्रदर्शित क्षेत्र:-**
वी डी यू स्क्रीन का प्रयोग प्रदर्शन क्षेत्र के लिये किया जाता है, इस पर संचालन की विभिन्न सूचनायें प्रदर्शित होती हैं। प्रदर्शन के लिये सूचनाओं का चयन स्टे.मा. करेगा। जिस प्रकार कि नियंत्रण कम संकेत पैनल मैन्यू बार का प्रयोग करता है।
 - 2.1.3 **स्टेटस बार:-**
स्टेटस बार फ्रेम खिड़की के नीचे लगा है। जो कि तीन पेन को प्रदर्शित करता है। बाँयी ओर का पेन कैप के ताला चाबी को दर्शाता है। मध्य पेन नम्बर ताला-चाबी के स्तर को बताता है और दाँयी ओर का पैनल स्क्रोल ताला-चाबी के स्तर को दर्शाता है।
 - 2.1.4 **मैन्यू बार:-**
मैन्यू बार सीधा मुख्य टाइटल बार के नीचे दिखाई देता है। इसमें दो पीप अप मैन्यू होते हैं जो कि खुलने पर अलग-अलग विकल्प देते हैं। कार्यरत स्टे.मा. इसके द्वारा वीडियू संचालन को चुन सकता है। मैन्यू बार निम्न मैन्यू को दर्शाता है:
- (क) शट डाउन
(ख) एवाउट



- मैन्यू माउस को बाँयी बटन को क्लिक करके स्लेक्ट किया जाता है अथवा इसके साथ "की" का प्रयोग किया जा सकता है। जब उपयोग के लिये मैन्यू को सलेक्ट किया जाता है तब सम्बन्धित उप मैन्यू - पाँपम अप, कार्यरत स्टे.मा. कर्मर को घुमाकर इच्छानुसार उपमैन्यू को सलेक्ट कर सकता है और माउस के बाँयी बटन को क्लिक करके या उप मैन्यू आयटम के साथ "मी टी आर एल" का उपयोग किया जा सकता है।
- 2.2 **मुख्य मैन्यू:-**
जब कार्य शुरू किया जाता है, वीडियू मैन्यू बार उपरोक्त के अनुसार प्रदर्शित किया जाता है।
 - 2.2.1 **शट डाउन:-**
यह विकल्प कार्यरत स्टे.मा. द्वारा वीडियू स्क्रीन को बंद करने के लिये है, और कम्प्यूटर स्वतः बंद हो जायेगा।
 - 3.0 **वीडीयू पैनल संचालन:-**
 - 3.1 **पैनल कार्य प्रणाली से पीसी पर बदलना:-**
नियंत्रण कम संकेत पैनल पर एक चाबी दी गयी है जिसे पैनल/पीसी स्विच कहते हैं। अब वीडियू मॉनीटर पर, पैनल/पीसी स्विच के पाम क्लिक करके/गुलाबी रंग की चाबी है और मैन्यू नीचे दिये अनुसार दर्शाया गया है।



अनुरोध पीसी मैन्यू को क्लिक करने पर यह नाम व पासवर्ड पूछेगा जो इस प्रकार है।



(योगेश मित्तल)

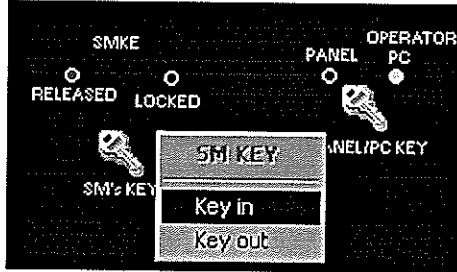
वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

3.2

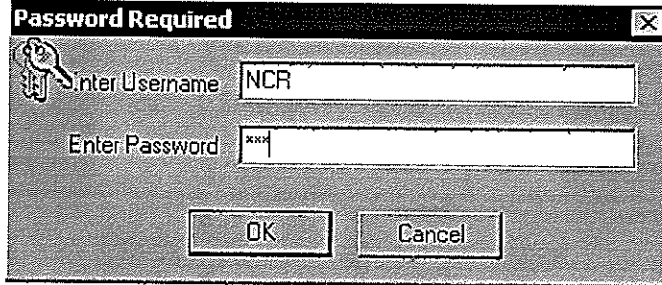
सही नाम व पासवर्ड डालने पर पैनल पर पीसी संकेत की फ्लैशिंग पैनल पर शुरू हो जायेगी। अब पैनल पर पहले हमको इस स्विच को पैनल से (बाँयी स्थिति) पीसी पर (सीधी स्थिति) घुमाना होगा। पीसी संकेत अब स्थिर हो जायेगा। अब कार्य प्रणाली पीसी द्वारा की जायेगी।

स्टेशन मास्टर की चाबी अन्दर:-

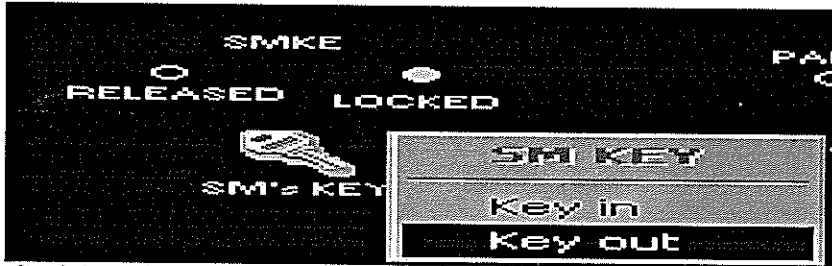
सिगनल एवं कॉटा संचालन करने के लिये स्टे.मा. को "स्टे.मा. चाबी" को वीडियू पैनल के अनुसार डालनी होगी, माउस द्वारा स्टे.मा. चाबी पर क्लिक किया जायेगा। अब "चाबी अन्दर" का चयन मैन्यू में करना होगा जो इस प्रकार है।



अब उपरोक्त दोनों दशाओं की तरह नाम और पासवर्ड माँगा जायेगा। अन्य सभी मैन्यू को शुरू करने के लिये नाम व पासवर्ड डाला जायेगा अन्यथा किसी सिगनल या कॉटा का संचालन नहीं किया जा सकता।



यदि हम स्टे.मा. चाबी को कार्य रहित करना चाहे तो नीचे दिये अनुसार "स्टे.मा.चाबी बाहर" का चयन करना होगा।



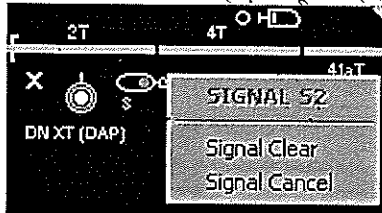
इसमें सभी मैन्यू कार्य करना बंद कर दें और तालित का संकेत दिखायी देगा। पैनल को कार्यरत करने के लिये "की इन" का चयन करना होगा और ऊपर बताये अनुसार नाम व पासवर्ड का प्रयोग करना होगा।

टिप्पणी:- यार्ड का मानचित्र नीचे दिया है जिसमें वीडियू के संचालन का विवरण दिया गया है। जो कि राधाकुण्ड यार्ड से भिन्न नहीं है।

3.3

अग्रिम प्रस्थान सिगनल को "ऑफ" करना और निरस्त करना:-

जब हम सिगनल के पास क्लिक करते हैं एक मैन्यू दिखाई देता है जो इस प्रकार है।



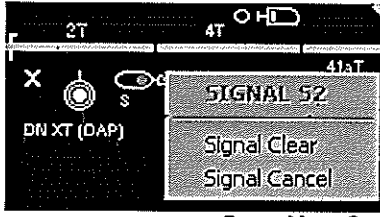
एक बार लाइन क्लियर लेने पर सिगनल देने के लिये सिगनल क्लियर को क्लिक करना होगा। तब जीएलकेई संकेत पीले रंग का दिखाई देगा और सिगनल संकेत हरा हो जायेगा। यदि हम सिगनल को रद्द करना चाहे तो पॉप अप मैन्यू में "सिगनल रद्द" का चयन करना होगा।

(यमेश मित्तल)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

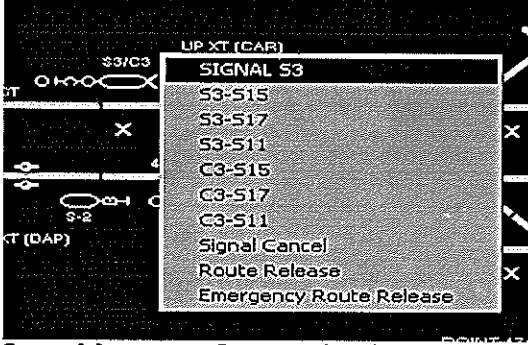
3.3 अग्रिम प्रस्थान सिगनल को "ऑफ" करना और निरस्त करना:-

जब हम सिगनल के पास क्लिक करते हैं एक मैन्यू दिखाई देता है जो इस प्रकार है।



एक बार लाइन क्लियर लेने पर सिगनल देने के लिये सिगनल क्लियर को क्लिक करना होगा। तब जीएलकेई संकेत पीले रंग का दिखाई देगा और सिगनल संकेत हरा हो जायेगा। यदि हम सिगनल को रद्द करना चाहें तो पॉप अप मैन्यू में "सिगनल रद्द" का चयन करना होगा।

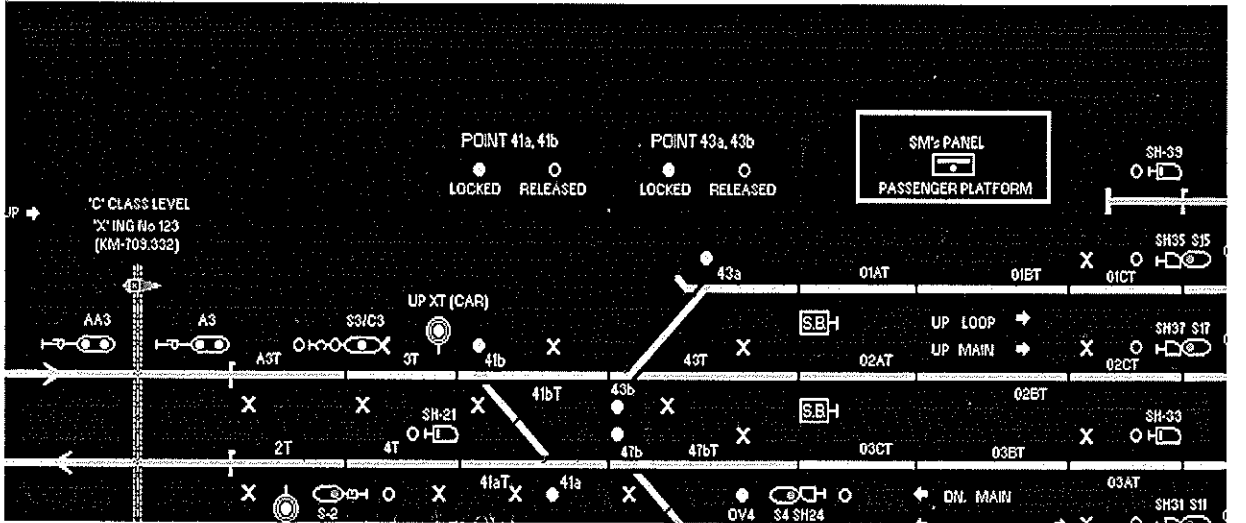
3.5 होम सिगनल को ऑफ करना, रद्द करना और रूट को रिलीज करना (एस-3 के मामले में) और बुलावा सिगनल (सीओ-3):-



सिगनल सीओ-3/एस-3 पर क्लिक करना होगा और मुख्य सिगनल एस-3 और बुलावा सिगनल सीओ-3 सभी सम्भव रूट उपरोक्त जैसे दिखायी देंगे।

मुख्य सिगनल:-

- (i) जब हम एस-3-एस-15 पर क्लिक करते हैं लूप लाइन सैट होती है तब रूट संकेत का निशान पीले रंग में "यू ई सी आर" प्राप्त होने तक फ्लैश होते हैं और "यू ई सी आर" प्राप्त होने के बाद स्थिर हो जाते हैं। सिगनल संकेत पीला हो जायेगा और यार्ड के स्तर को दर्शायेगा। यदि लोकेशन पर पीली बत्ती खराब है तब केवल वीडियो पैनल और कंट्रोल कम संकेत पैनल पर पीली बत्ती फ्लैश करेगी (और लोकेशन पर नहीं, 110 वोल्ट फीड कट होने पर सम्बन्धित जीआर/एचआर रिले द्वारा जी ई एस सी आर/एच ई एस सी आर)

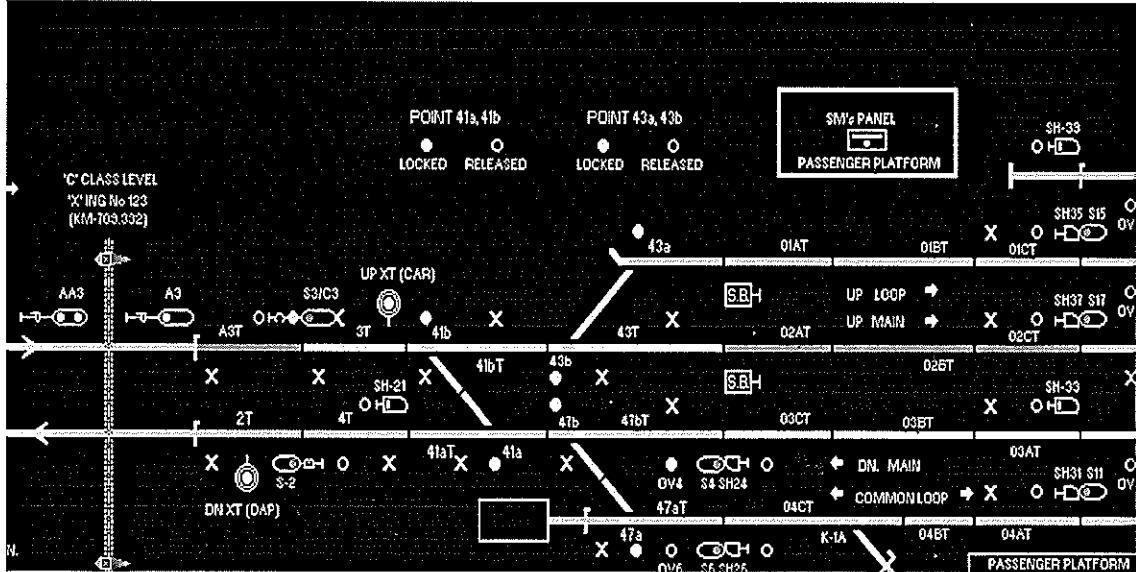


(योगेश मित्तल)

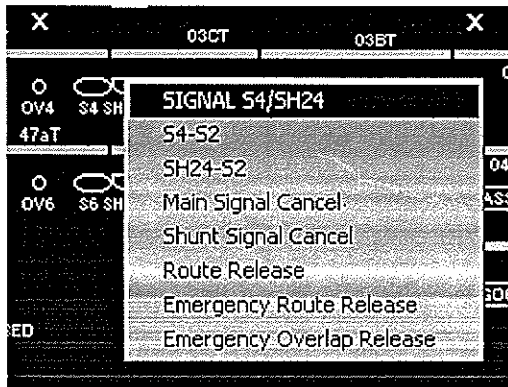
वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

बुलावा सिगनल:-

- (i) ट्रैक सर्किट के बिगड़ जाने पर या ओवर लैप कॉटा (या) दोनों ट्रैक और कॉटा खराब होना (या) मुख्य सिगनल का बल्ब फेल होने पर बुलावा सिगनल दिया जायेगा।
- (ii) बुलावा सिगनल ऑफ करने से पूर्व मुख्य सिगनल को पुनः देना चाहिए- उपरोक्त मद क्र. (पप) के अनुसार (निम्न परिस्थिती में यूएमटी-1, यूएमटी-2 और यूएमटी-3 खराब होने पर) और गाड़ी पिछले ट्रैक सी-3टी नीचे मानचित्र में, सी-3 सिगनल संकेत पीला है और मुख्य सिगनल लाल है।
- (iii) सी-3/एस-3 सिगनल पर क्लिक करने पर और सभी सम्बन्धित मुख्य सिगनल रूटो पर, एस-3 और बुलावा सिगनल सी-3 मुख्य सिगनल की तरह प्रदर्शित होगा। बुलावा सिगनल देने के पूर्व कार्यरत स्टे.मा. सिगनल क्र. एस-3, एस-15 को "ऑफ" करने का प्रयास करेगा। जब सी-3-एस-17 को क्लिक किया जायेगा तो मुख्य लाइन सैट होती है। बुलावा सिगनल देने के लिये गाड़ी को पिछले ट्रैक सी-3टी को घेरना होगा ट्रैक सर्किट रूट में खराब होने के बाद भी बुलावा सिगनल आ जाता है। बुलावा सिगनल की शर्तें पूरी होने पर पीले संकेत पर फ्लैशिंग शुरू हो जायेगी जो कि 120 सैकण्ड के बाद स्थिर हो जायेगी।



- (iv) बुलावा सिगनल ऑफ करने से पूर्व मुख्य सिगनल को पुनः देना चाहिए- उपरोक्त मद क्र. (पप) के अनुसार (निम्न परिस्थिती में यूएमटी-1, यूएमटी-2 और यूएमटी-3 खराब होने पर) और गाड़ी पिछले ट्रैक सी-3टी नीचे मानचित्र में, सी-3 सिगनल संकेत पीला है और मुख्य सिगनल लाल है। कॉलिंग ऑन का पीला संकेत 120 सैकण्ड तक फ्लैश करता है और "सी ओ जी आर" के पिकअप होने के बाद स्थिर होता है और सिगनल ऑफ हो जायेगा। (सी ओ जी ई सी आर उठ जायेगा।)
- (v) मुख्य सिगनल ऑफ को निरस्त करने के लिये "सिगनल निरस्त" का चयन करना होगा और तब कॉलिंग ऑन के लिये "सिगनल निरस्त" का चयन करना होगा।
- (vi) नियंत्रण कम संकेत पैनल पर एक सामान्य बटन का प्रयोग किया जाता है मुख्य या कॉलिंग ऑन के सैट रूट रिलीज के लिये भी सामान्य बटन का प्रयोग किया जाता है। जब रूट रिलीज किया जा रहा हो "जी एल के ई" 120 सैकण्ड के लिये फ्लैश करेगा, 120 सैकण्ड पूरे होने के बाद रूट रिलीज हो जायेगा।
- (vii) आपातकालीन रूट निरस्तीकरण (ईयूवाईएन) यह विकल्प वीडियो पर उपलब्ध है। जैसे ही हम इस विकल्प पर क्लिक करते हैं यह नाम व पासवर्ड मांगता है। प्रत्येक सहा.स्टे.मा. का अपना नाम और पासवर्ड होता है। यह 120 सैकण्ड तक ही रहता है इसके बाद रूट व ओवरलैप दोनों तुरंत रिलीज हो जाते

3.6 प्रस्थान सिगनल को देना व निरस्त करना:-

(Signature)

(योगेश मिश्र)

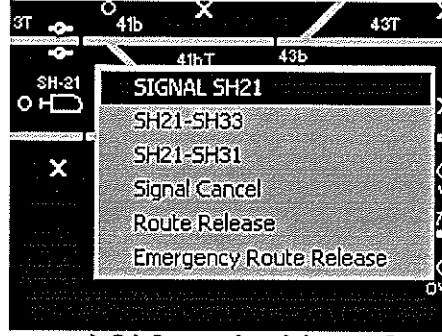
वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

जब प्रस्थान सिगनल के साथ शंट लगा हो, पॉप मैनु ऊपर जैसा दिखेगा, सिगनल मुख्य सिगनल जैसा होगा। जब रूट रिलीज किया जायेगा "जी एल के ई" 120 सैकण्ड के लिये फ्लैश करेगा और 120 सैकण्ड के पूरे होने पर, रूट रिलीज हो जायेगा। यदि एप्रोच ट्रैक नहीं धिरा हो तो रूट तुरंत रिलीज हो जायेगा। आपातकालीन रूट निरस्त (ईयूवाईएन) मुख्य सिगनल के समान ही निरस्त करता है। जब आपातकालीन रूट रिलीज सलैक्ट किया जाता है, संचालन नियंत्रण की स्वीकृति के लिये कार्यरत स्टे.मा. उपयोगकर्ता का नाम व पासवर्ड डालेंगे।

जब हम मुख्य सिगनल को सैट करते हैं, ओवरलैप व कंटे तालित हो जायेंगे और वर्थिंग ट्रैक धिरने के 120 सैकण्ड बाद रिलीज हो जायेंगे।

जैसे ही आपातकालीन ओवरलैप रिलीज होगा निम्न शर्तें दिखायी देंगी।

1. जब सिगनल का एप्रोच ट्रैक धिरा न हो तो ओवरलैप तुरंत रिलीज हो जायेगा।
 2. जब सिगनल का एप्रोच ट्रैक किसी गाड़ी से धिरा हो या फेल हो गया हो तो ओवरलैप 120 सैकण्ड के बाद रिलीज होगा।
 3. कार्यरत स्टे.मा. को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस रूट का ओवरलैप रद्द करना हो तो गाड़ी को सिगनल के वर्थिंग ट्रैक को घेर कर खड़ा होना चाहिए। लूप लाइन के प्रस्थान सिगनल के मामले में, एक निश्चित समय के बाद सिगनल क्लियर होगा जब लूप लाइन का वर्थिंग ट्रैक धिर जायेगा।
- 3.7 नीचे लगे शंट सिगनल को देना व निरस्त करना:-

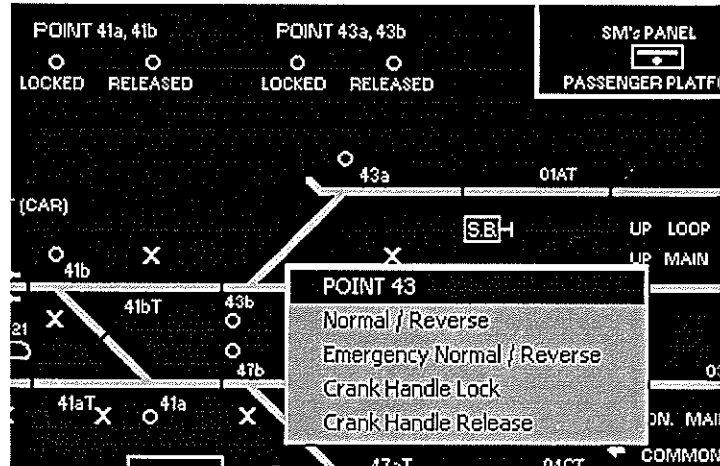


यहाँ पर नीचे लगा शंट 21 उदाहरण के लिये दिया गया है। सभी मैनु मुख्य सिगनल जैसे हैं, एवं उनका संचालन समान है। जब सिगनल दिया गया है, तिरछी जलती स्लिट 45 डिग्री पर पीले रंग की होगी।

जब रूट रिलीज किया जाता है, "जी एल के ई" 120 सैकण्ड के लिये फ्लैश करेगी (केवल यदि एप्रोच ट्रैक साफ न हो) और स्थिर हो जायेगा। इसको प्रभावी करने के लिये अब हमको पुनः रूट रिलीज को क्लिक करना होगा।

आपातकालीन रूट रिलीज उसके मुख्य सिगनल के निरस्त जैसा है। जब आपातकालीन रूट रिलीज सलैक्ट किया जाता है, स्टे.मा./उपयोगकर्ता को नाम व पासवर्ड देना होगा।

- 3.8 कंटे का संचालन और क्रैंक को रिलीज करना:-



टिपिकल कॉटा संचालन मैनु यहाँ दर्शाया गया है। पैनल/वीडीयू में सामान्य या विपरीत संचालन के लिये समान बटनों का प्रयोग किया गया है (WN+WWN) मैनु ऊपर दर्शाया गया है। "नार्मल/विपरीत मैनु पर क्लिक करने पर कॉटा नार्मल से विपरीत पर चला जायेगा और जब विपरीत से नार्मल करना हो तो इसी मैनु को क्लिक किया जाता है।

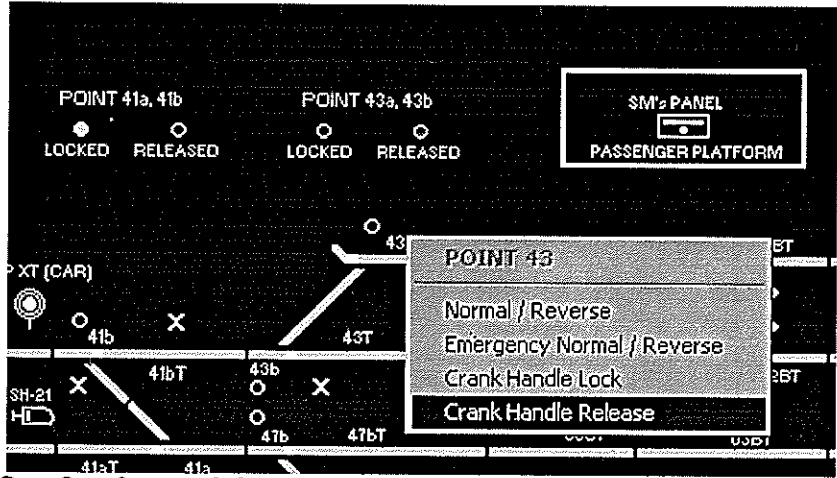
आपातकालीन रूट रिलीज के मामले में आपातकालीन नार्मल/रिवर्स का चयन किया जाये, स्टे.मा./ऑपरेटर इसमें नाम व पासवर्ड डालेंगे।

इस पैनल पर अलग से कोई क्रैंक हैण्डिल रिलीज बटन नहीं लगा है। जो कि सम्बन्धित छेड़ छेड़ (गुरुप बटन) बटन को दबाकर निकाला जा सके।

इसमें क्रैंक हैण्डिल ताला भी दिया गया है और स्वयं कॉटा नियंत्रण के अन्तर्गत रिलीज मैनु है। क्रॉस ओवर के मामले में "ए" और "बी" सिरे पर यह समान मैनु दिखाई देगा।

(योगेश मित्तल)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

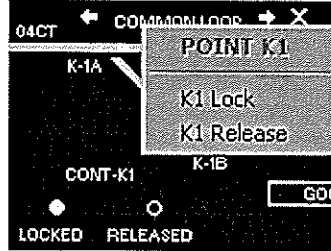


जब क्रैक हैण्डिल की चाबी अंदर लगी हो तब कॉटा 41ए, 41बी पर तालित संकेत दिखाई देगा यदि चाबी को बाहर ले जाने के लिये रिलीज किया जाये तो पहले चाबी को बाहर निकाला जायेगा तब कॉटा 43ए, 43बी पर दशयिनुसार लाल संकेत दिखायी देगा। जब हम क्रैक हैण्डिल को रिलीज करते हैं, रिलीज संकेत चाबी को बाहर निकलने तक फ्लैश करेगा और चाबी के बाहर निकलने पर लुप्त हो जायेगा व ऊपर लाल दिखाई देगा।

टिप्पणी:-

1. आपातकालीन रूट रिलीज करने के पूर्व या आपातकाल कॉटा संचालन या आपातकाल ओवरलैप रिलीज करना हो तो कार्यरत स्टे.मा. का यह दायित्व है वह स्वयं कॉटा जोन/रूट का साफ होने की जाँच करेगा।
2. यद्यपि रूट का रद्द करना। कॉटा संचालन या आपातकाल ओवरलैप रिलीज करना वीडियो द्वारा किये जाते हैं, सभी सम्बन्धित रद्दीकरणों के काउन्टर पैनल पर दिये गये हैं।
3. जब कार्यरत स्टे.मा. किसी सिगनल को ऑफ करते हैं तब पूर्ण निर्धारित समय के लिये प्रथम रूट सिगनल शुरू में फ्लैश करेगा और तब स्थिर होगा। किसी खराबी की दशा में सिगनल ऑफ नहीं होगा, किन्तु सब ठीक है तो सिगनल ऑफ हो जायेगा।

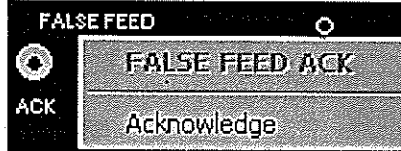
3.8 साइडिंग के कॉटा को तालित व रिलीज करना:-



क्रैक हैण्डिल को तालित और रिलीज करने का संचालन और संकेत समान है।

4. विविध:-

- 4.1 गलत फीड की दशा में बजर व लाल संकेत आयेगा तो बजर को बंद करने के लिये एक्कोलिजमेंट को क्लिक किया जायेगा जो नीचे दर्शाया गया है।



(योगेश मित्तल)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

परिशिष्ट "ग"
एंटी कोलीशन डिवाइस (रक्षा कवच)

उपलब्ध नहीं



(योगेश मिश्र)

वरि.मं.सि.दू.सं. अभि./सम./आगरा

परिशिष्ट "घ"

राधाकुण्ड स्टेशन का स्टेशन संचालन नियम
राधाकुण्ड स्टेशन पर कर्मचारियों द्वारा की जानी वाली झूटी

स्टेशन मास्टर

- 1.1 कार्यरत स्टेशन मास्टर स्टेशन पर कुशल और सुरक्षित गाड़ी संचालन के लिये उत्तरदायी है तथा सामान्य एवं सहायक नियमावली, ब्लॉक संचालन नियमावली और समय-समय पर जारी विभिन्न परिपत्रों द्वारा निर्देशित नियमों द्वारा गाड़ियों का संचालन करना चाहिए। उपरोक्त के अलावा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा दिये गये अस्पष्ट आदेशों/निर्देशों को मानने के लिये वह बाध्य नहीं है। यदि खण्ड नियंत्रक द्वारा गाड़ियों के विषय में जानकारी नहीं दी गयी है, तो वह खण्ड नियंत्रक से गाड़ी का नम्बर एवं नाम आदि की जानकारी लेने के लिये उत्तरदायी है।
- 1.2(क) स्टेशन मास्टर स्टेशन संचालन नियम के पैरा 6.1 में सूचीबद्ध सभी गाड़ी संचालन कर्मचारी की, स्वतंत्र रूप से झूटी करने की अनुमति देने से पूर्व तथा प्रत्येक बार जब 15 दिन या उससे अधिक दिन अनुपस्थित रहने के बाद झूटी पर आते हैं या जब स्टेशन संचालन नियम में या यार्ड के ले आउट में कोई संशोधन किया जाता है तो परिचालन नियमावली में दिये गये निर्देशों के अनुरूप उनका आश्वासन प्राप्त करेंगे।
- (ख) स्टेशन मास्टर, संरक्षा साहित्य के समुचित रख-रखाव संबंधित गाड़ी संचालन कर्मचारियों का आश्वासन प्राप्त करने एवं तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के उन कर्मचारियों को जो भली-भाँति अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं रखते उन्हें विस्तृत रूप से समझने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।
- 1.3 आश्वासन पंजिका की दूसरी प्रति स्टेशन मास्टर के व्यक्तिगत अभिरक्षा में रहेगी तथा वह उपरोक्त पैरा 1.2 (क) में बताए गये कर्मचारियों से आश्वासन प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
- 1.4 स्टेशन मास्टर, स्टेशन संचालन नियमों का आश्वासन लेने से पूर्व ऐसे कर्मचारियों को जो अंग्रेजी में नहीं समझ सकते, स्टेशन संचालन नियम के संबंधित नियमों को हिन्दी में समझावेंगे।
- 1.5 स्टेशन मास्टर अपनी ड्यूटी के दौरान गाड़ी पास करने के साथ-साथ कोचिंग और गुडस यातायात सभालेंगे और सौंपे गये कार्य से सम्बन्धित सभी रिकार्ड बनायेंगे।
- 1.6 दैनिक आमदनी के कैश को बन्द करके सही रूप से भेजना स्टे. मा. का दायित्व होगा वह सभी गुडस और कोचिंग के रिटर्न बनायेंगे और तैयार करके समय से भेजेगे।
- 1.7 समय-समय पर निर्देशित एवं नियमानुसार स्टेशन मास्टर स्टेशन के विभिन्न निरीक्षण करेंगे।
- 2.0 सहायक स्टेशन मास्टर:-
- 2.1 सहा.स्टेशन मास्टर ट्रेन पासिंग का कार्य करेंगे तथा अपने कार्य अवधि के दौरान जरूरत के अनुसार सही ढंग से तैयार किये गये आवश्यक परिवहन फार्म तथा संदेश भी जारी करेंगे। वे अपने ड्यूटी के समय सभी कोचिंग का कार्य भी करेंगे।
- 2.2 वे सौंपे गये कार्यों के सम्बन्ध में सभी अभिलेख ठीक ढंग से रखेंगे। वे सभी कोचिंग विवरणियां समय से सही-सही तैयार करेंगे।
- 2.3 सहायक स्टेशन मास्टर आवश्यकता पड़ने पर रेल संबंधी कार्यों में स्टेशन मास्टर की सहायता करेंगे तथा अपने कार्य अवधि में स्टेशन के कुशल संचालन के लिए भी उत्तरदायी होंगे।
- 2.4 सहायक स्टेशन मास्टर संरक्षा के अभिलेखों के समुचित रख-रखाव में स्टेशन मास्टर की हमेशा सहायता करेंगे।
- 3.0 गेटमैन:- इन नियमों के परिशिष्ट 'क' में फाटक वाले की ड्यूटी दी हुई है।



(के.जी.गोस्वामी)

वरि.मं.परि.प्रबंधक/सा. एव को./आगरा

4.0 पॉइण्टसमैन:-

- 4.1 कंटिवाला संकेतक तथा लैम्पों को साफ करेगा और उन्हें जलायेगा व बुझायेगा। पार्सल पैकेजों का हेन्डिल करेगा। कार्यरत स्टे.मा. के आदेशानुसार परिचालन प्रपत्र और सूचनाओं को सही तरीके से सौपेगा।
- 4.2 कंटिवाला संरक्षित एवं कुशल शंट संचालन में सहायता करेगा और उन्हें दिये गये वैद्य आदेशों का पालन करेगा।
- 4.3 कंटिवाले ऑफ साइड से या कार्यरत स्टे.मा. द्वारा बताये गये दूमेरे स्थान से गाड़ियों को झंडी/वस्ती दिखायेगा, और गाड़ियों में 'मब ठीक होने पर आगे यात्रा जारी रखने के लिए 'सब कुछ ठीक हैं' सिग्नल दिखायेगा। गाड़ी में कोई असामान्य बात देखने पर वे तुरन्त ड्राइवर व गार्ड को हाथ रोक सिग्नल दिखायेगा और आगे कार्यवाही के लिए कार्यरत स्टे.मा. को सूचित करेगा।
- 5 सामान्य समस्त स्टेशन स्टाफ समय-समय पर मिलने वाली प्रत्येक नियमबद्ध ड्यूटी को मानने के लिये बाध्य है।
- 6 स्टेशन के सभी स्टाफ को ड्यूटी पर आते समय प्रापर व साफ यूनीफार्म पहनकर आना चाहिए और उनके सभी उच्च अधिकारियों द्वारा दिये गये सभी आदेशों का पालन करना चाहिए।
- 7 मं.रे.प्र. कार्यालय उ.म.रे. आगरा द्वारा जारी एवं स्टेशन पर लगाये गये रोस्टर के अनुसार सुदृढ़ता से कर्मचारी ड्यूटी करेगा। सभी कर्मचारियों के लिए सामान्य और सहा.नि. 2.02, 2.05, 2.06 और 2.10 लागू होंगे।
- 8 स्टे.मा. ड्यूटी में तब तक ऑफ नहीं होंगे जब तक जिस गाड़ी को लाइन क्लीयर दिया है या रिसीव हो रही है, ब्लॉक सैक्शन को क्लीयर न कर जाये और इसके पीछे लाइन क्लोज न कर दी जाये। सा.नि. 3.51 (2) और सहा. नि. 14.07 (3) सिवाय जब एक मैटेरियल गाड़ी ब्लॉक सैक्शन में काम कर रही है या ब्लॉक सैक्शन में ऐसी गाड़ी जो आगे जाने में असमर्थ हो या एक ऐसी गाड़ी जो अगम्य रूकावट की वजह से आगे नहीं जा सकती हो, तब स.नि. 14.07 (4) में निर्दिष्ट निर्देश लागू होंगे। ड्यूटी पर कार्यरत सभी कर्मचारी स्वयं के रिलीवर आने के पश्चात ही ड्यूटी छोड़कर जायेंगे।

(के.जी.भेस्वामी)

वरि.मं.परि.प्रबंधक/सा. एव को./आगरा

परिशिष्ट 'ड'

राधाकुण्ड स्टेशन पर आवश्यक उपकरण:-

क्र.स.	उपकरण	स्टेशन
01	पटाखे	40
02	बैनर फ्लैग	-
03	हाथ सिगनल/ट्राई कलर टार्च	06
04	बटन कॉलर	08
05	झण्डियां	10 (05 लाल ० 05 हरी)
06	गेट चेन	-
07	सुरक्षा जंजीरे	02
08	आग बुझाने के यंत्र	02
09	आग बुझाने की बाल्टियां स्टेण्ड सहित	04
10	प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स	01
11	स्विच क्लैम्प	06
12	पैड लॉक	10
13	लकड़ी के गुटखे	04
14	स्ट्रेचर	01

(के.जी.गास्वामी)

वरि.मं.परि.प्रबंधक/सा. एव को./आगरा

परिशिष्ट "च"

डी.के. स्टेशन, हॉल्ड, आई.बी.एच. आई.बी.एस. और बाहरी साइडिंगो के संचालन नियम

- लागू नहीं -



(के.जी.गोस्वामी)

वरि.मं.परि.प्रबंधक/सा. एव को./आगरा

परिशिष्ट 'छ'
विधुतिकरण खण्ड में गाडी संचालन के नियम

(यह परिशिष्ट वरि.म.विधुत अभि./कर्पण एवं वितरण/आगरा के कार्यालय द्वारा जारी की जायेगी।)



(के.जी.गोस्वामी)

वरि.मं.परि.प्रबंधक/सा. एव को./आगरा